राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ४] तृतीय विधान सभा का चतुर्थ सत्र, १९६३ का ११वां दिवस [संख्या ६

बृहस्पतिवार, २९ अगस्त, १९६३

विधान सभा की बैठक म. प. २ बज कर ३२ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व, सहकारी, राजनीति, नियुक्ति, उद्योग, शिक्षा, विकास, एवं पंचायत-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री गोकुलप्रसाद शर्मा।

माफीदारों व जागीरदारों की जमाशुदा रकम का भुगतान—तहसील सहाड़ा

२७७. श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा में पिछले वर्षों में माफीदारों व जागीरदारों की जमाशुदा रकम का पेमेंट एक से ज्यादा मरतबा किया गया है ?

(२) क्या यह भी सही है कि इस प्रकार की रकमों के भुगतान का सिलसिला वर्षों तक चला और उसमें एक के बाद दूसरे करीब ४ तहसीलदार के समय में चलता रहा ? क्या यह भी सत्य है कि सरकार को वहां के सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के बार बार जानकारी देने के करीब १ वर्ष बाद इसकी जांच की गई ? यदि हां, तो ऐसी शिकायत आने पर लापरवाही क्यों दिखाई गई ? क्या यह भी सही है कि इसकी विभागीय जांच हो गई है और जांच से कई व्यक्ति अपराधी पाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो जांच की रिपोर्ट मय फाइल के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह भी सही है कि इतने बड़े गबन के काण्ड में सिर्फ अकाउन्ट्स क्लर्क ही सस्पेन्ड किया गया है ? यदि हां, तो इस मामले में ढिलाई क्यों हो रही है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री,राजस्व): अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब नहीं आया है।

प्रश्न संख्या २७८

श्री अध्यक्ष : श्री जेठमल।

(अनुपस्थित)

अजमेर की सहकारी समिति द्वारा भवन निर्माण ऋण के लिये आवेदन-पत्र

२७६. श्री **अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या अजमेर में कोई ऐसी सहकारी समिति है जिसका नं० १८३० है और जो १५-५-५६ को रजिस्टर्ड हुई है और क्या यह सहकारी समिति मकान बनाने के लिये ऋण चाहती है ?

(ख) ऋण प्राप्ति करने हेतु आवेदन-पत्र कब दिया गया ?

(ग) ऋण न देने के कारण क्या हैं ?

(घ) क्या भवन निर्माण कार्य हेतु इस समिति के सदस्यों ने प्लाट्स खरीद लिये हैं ?

उप-मन्त्री, सहकारी (श्री भीमसिंह) : (क) जी हां, अजमेर में एक सहकारी समिति है, जिसका पंजीयन क्रमांक १८३० है और जो दिनांक १५-५-५६ को पंजीयित हुई है। यह समिति मकान बनाने हेतु ऋण चाहती है।

(ख) ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र दिनांक २१-१-६१ व ५-२-६२ को दिया गया।

(ग) ऋण जिलाधीश द्वारा दिया जाता है। उन्होंने पृथक् पृथक् सदस्यों को ऋण दिये जाने का जवाब दिया है, सामूहिक रूप में समिति को नहीं।

(घ) हां, समिति ने गृह निर्माण हेतु जमीन खरीद ली है।

श्री **अब्दुलजब्बार** : आपने फरमाया कि कलेक्टर को ऋण देने का अधिकार है। कलेक्टर के पास इस हेतु जो आवेदन-पत्र आये उनको उसने अपनी रिकमन्डेशन के साथ गवर्नमेंट के पास भेजा, उस पर गवर्नमेंट ने क्या आदेश दिया कलेक्टर अजमेर को ?

श्री **भीमसिंह** : जितनी दरख्वास्तें प्राप्त हुई थीं वे कलेक्टर के पास भेजीं, लेकिन वे उन्होंने यह कह कर लौटा दीं कि प्रोपर फोर्म में नहीं आई हैं। इसलिये दुबारा प्रोपर फोर्म में दी जायं।

श्री **अब्दुलजब्बार** : क्या यह सही है कि सन् ६० में कलेक्टर से कहा था कि हर एक सदस्य की शेयर कैपिटल बताओ, लैंड का सर्टीफिकेट पेश करो, लोन इन्डिविज्युल मेम्बर को दिया जायगा ? जैसा कालेक्टर ने चाहा वह सब पेश कर दिया, फिर भी लोन क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

श्री **भीमसिंह** : ऐसा नहीं है। १३. १. ६२ को दो प्रार्थना-पत्र भेजे थे; एक १६, ००० के लिये और दूसरा ८८, १०५ के लिये। इन्कार करके १२. ३. ६२ को वापिस भेज दिया गया।

Page No 3

श्री अब्दुलजब्बार: लोन देने में इतनी देरी क्यों हो रही है ? लैंड का सर्टीफिकेट माँगा वह दे दिया, शेयर केपिटल माँगा वह दे दिया, पट्टा माँगा वह दे दिया। उसके बाद भी कौनसी मजबूरी है, जिसके कारण आज तक' ५६ से लोन नहीं दिया जा रहा है?

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री अब्दुलजब्बार : अध्यक्ष महोदय, यह इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है। डिसप्लेस्ड पर्सन्स को लोन देने का मामला है।

प्रश्न संख्या २८०

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हाँडा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २८१

श्री सम्पतिलाल बोहरा।

(अनुपस्थित)

राजनैतिक पीड़ितों को मुआवजा

२८२. **श्री रामकिशन (बैर):** क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में अब तक कितने राजनैतिक पीड़ितों को मुआवजा दिया गया है और कितना कितना ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखा जाय।

(२) क्या कुछ पीड़ितों को जमीन भी दी गई हैं? अगर हाँ, तो किस स्थान पर और प्रत्येक को कितनी ?

(३) राजनैतिक पीड़ितों के और कितने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं ? जिलेवार पूरा विवरण सदन की मेज पर रखा जाय।

(४) मुआवजा प्राप्त राजनैतिक पीड़ितों में बर्खास्त शुदा सरकारी कर्मचारी कितने हैं तथा कौन कौन ?

उप-मंत्री, राजनीति (श्री परसराम मदेरणा):(१) राजस्थान में अब तक कुल १८० राजनैतिक पीड़ितों को मुआवजा दिया जा चुका है। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) १४ राजनैतिक पीड़ितों को जमीन भी दी गई है। विवरण सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) राजनैतिक पीड़ितों के १३६ प्रार्थना पत्र विचाराधीन हैं। जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(४) बर्खास्तशुदा सरकारी कर्मचारी ४ हैं :—

१. श्री हरचरणलाल, भरतपुर।

२. श्री चुन्नीलाल के. शाह, सिरोही।

३. श्री बाबूलाल जे. सोलंकी, सिरोही।

४. श्री सज्जनलाल चौबीसा, डूंगरपुर।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा, पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रामकिशन : जो १३६ प्रार्थना पत्र विचाराधीन हैं वे कितने अर्से से विचाराधीन हैं ?

श्री परसराम मदेरणा: विचाराधीन कुछ अर्से से हैं। जैसा कि माननीय सदस्यों ने सूची देखी होगी एक्स. आई. एन. ए. के पर्सोनल्स इनरूल्स के अंतर्गत नहीं आते थे इसलिये रूल्स में अमेन्डमेन्ट किया गया। एक दफा अमेन्डमेन्ट करने के बाद भी वे राजनैतिक पीड़ितों की डेफिनिशन में नहीं आते थे इस लिये दुबारा कम्प्लीट अमेन्डमेन्ट करके,

Page No 4

(श्री परसराम मदेरणा)

कोरेस्पोन्डिंग अमेन्डमेन्ट करके गजट में नोटिफाइ कर दिया गया। अब जल्दी ही इन पर निर्णय लिया जायगा।

श्री रामकिशन : जमीन कब-कब दी गई है?

श्री परसराम मदेरणा : सूची सदन की मेज पर रख दी है, देख लें।

श्री दलपतसिंह (आबू) : श्री बाबूमल जे. सोलंकी क्या काम करते थे?

श्री परसराम मदेरणा : वे क्या काम करते थे, यह तो हरेक पोलिटिक वर्कर की अलग अलग फायल है, उससे पता चल सकता है। ये बर्खास्तशुदा कर्मचारी हैं जिनको पोलिटिकल पेन्शन दी है। मैं यह नहीं बता सकता कि क्या काम किया? काम करने से नहीं मिलता, जिन्होंने मुल्क की आजादी के लिये सफर किया उनको कम्पेन्सेट करने के लिये दिया गया। जिनको सर्विस से निकाल दिया था या और तरह से जिनको नुकसान पहुँचाया गया था देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने के बदले में, उनको ये पेन्शन्स दी गई हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): जिन व्यक्तियों को सहायता दी वह कैश के रूप में दी या जमीन के रूप में देते है या और कोई तारीका है?

श्री परसराम मदेरणा: कैश में भी दी है। लम्पसम पेन्शन दी है जो मेग्ज़िमम ७५) रु० माहवार से ज्यादा नहीं है। किसी किसी केस में जमीन भी दी है। कुछ पोलिटिकल सफरर्स के चिल्ड्रन की एज्युकेशन, जनरल और टैक्निकल एज्युकेशन के लिये सहायता दी है।

श्री भैरोंसिंह : कैश और जमीन के अलावा जिन लोगों को इन्डस्ट्रियल लोन के रूप में, परमिट्स के रूप में सहायता दी है क्या उन लोगों को दी गई सहायता सूची में शामिल करने योग्य नहीं है?

श्री परसराम मदेरणा : जिनको मुआवजा दिया गया है लम्पसम, पेन्शन या लैंड के रूप में, उनकी सूची प्रस्तुत कर दी गई है।

श्री भैरोंसिंह : जिनको इन्डस्ट्रियल लोन दिया गया है या और सहायता दी गई है, वह भी एक तरह से मुआवजा ही है।

श्री अध्यक्ष : राजनैतिक पीड़ितों को सहायता देने के लिये नियम बने हुए हैं। उनके अन्तर्गत जिनको सहायता मिली है उनका उल्लेख किया है। इनके अलावा विशेष परिस्थिति में इन रूल्स के बाहर किया है तो वे संभवतः शायद इसमें शामिल नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : रूल्स के बाहर किये हैं उनके बारे में मैं नहीं पूछ रहा हूँ और सरकार से मैं यह उम्मेद करता हूँ कि रूल्स के बाहर वह कोई काम नहीं करेगी। लेकिन कम्पेन्सेशन का जो प्रोविजन रखा है उसके दो रूप रखे हैं; एक तो मंथली या ईयरली पेमेन्ट और दूसरा जमीन। इसके अलावा जो फेसिलिटीज और चीजों की लोगों को दी गई हैं उनको इन्क्ल्यूड क्यों नहीं किया गया?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने लोन आदि का जिक्र किया। नियम में लोन आदि की फेसिलिटीज़ देने का प्रावधान है क्या?

Page No 5

श्री भैरोंसिंह : लोन ही नहीं, इन्डस्ट्रियल प्लॉट्स, नमक के प्लॉट्स आदि भी पोलिटिकल सफरर्स को दिये हैं, उनको साथ में क्यों नहीं लिया गया ?

श्री परसराम मदेरणा : लोन का तो मैंने ब्यौरा दिया है। हमने लोन दिया है उसकी लिस्ट पेश की है। वह तो इसमें है।

श्री भैरोंसिंह : आप जो बता रहे हैं कि कुछ फेसिलिटीज़ दी हैं, वे इसमें शामिल नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : वे शामिल नहीं हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : नम्बर (३) पर अलवर जिले के चिरंजीव लाल हैं। ये कौन हैं और मुआवजा किस बिना पर दिया गया है ?

श्री परसराम मदेरणा : जो पोलिटिकल सफरर्स हैं उनकी अलग अलग फाइल मेरे पास हैं। कोई विशेष जानकारी किसी के बारे में चाहते हैं तो बता दें। वैसे कमेटी ने तय करने के पहले, फलां आदमी उस एक्ट में फेसिलिटी पाने के लायक है या नहीं; इस बात का निर्णय किया था। जो पोलिटिकल सफरर्स हैं उनकी अलग अलग फाइल हैं और उन फाइल्स को देख कर ही मैं किसी के बारे में बता सकता हूँ। मेरे लिये यह सम्भव नहीं है कि १८० व्यक्तियों के बारे में बिना फाइल देखे बता दूं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : आपने कहा कि मुआवजा नियमों के अनुसार दिया गया है। तो क्या औद्योगिक सुविधायें उन नियमों के अन्दर नहीं आतीं ? उसके अतिरिक्त जो प्लॉट्स दिये हैं वे किस आधार पर दिये हैं ?

श्री अध्यक्ष : कोई मिसाल दीजिये तो उससे अन्दाज लगाया जा सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास : फलौदी में उसी आधार पर प्लॉट दिये हैं। ये कहें कि नहीं दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री परसराम मदेरणा : मैं कोई चीज छिपा नहीं रहा हूँ, माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये। जैसा मैंने निवेदन किया यह तथ्य मेरी जानकारी में नहीं है। जानकारी करके मैं सदन को बता दूंगा कि इन्डस्ट्री के लिए मुआवजा, प्लॉट या नमक के परमिट पोलिटिकल सफरर को रीहेबिलिटेट करने के लिए दिये हैं या नहीं। अभी मुझे जानकारी नहीं है और मैं जानकारी करके ही यह जानकारी दे सकूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या, यह जो चिरंजीवलाल का नाम दिया है (३) नम्बर पर, ये अलवर जिले के श्री शोभाराम, एम. पी. के छोटे भाई तो नहीं हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : यह आप ज्यादा जानते होंगे।

श्री अध्यक्ष ; श्री विजयसिंह झाला।

ऑफीसरों का जन्म दिन मानने का आधार

२८३. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथ-

Page No 6

(श्री विजयसिंह झाला)

द्वारा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) भूतभूर्व रियासतों से जो ऑफिसर आर. ए. एस. या आर. जे. एस. श्रेणी की सर्विस में आये उनका जन्म दिन किस आधार पर माना गया ?

(ख) क्या यह सही है कि कुछ ऑफिसरों का जन्म दिन हाई स्कूल सर्टिफिकेट के विपरीत सिविल लिस्ट की एन्ट्री के आधार पर माना गया तथा कुछ ऑफीसरों का जन्म-दिन लिस्ट की एन्ट्री के विपरीत हाई स्कूल सर्टिफिकेट के आधार पर माना गया ? दोनों तरह के जन्म दिन वाले ऑफिसरों की सूची सदन के समक्ष रखें ।

(ग) इन ऑफिसरों के जन्म-दिन मनाने के क्या नियम हैं ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल के सिलसिले में सैकड़ों फाइलें देखना जरूरी हैं...

श्री अध्यक्ष : में माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इस प्रश्न के (ख) भाग में पूछा है, "क्या यह सही है कि कुछ ऑफिसरों का जन्म दिन हाई स्कूल सर्टीफिकेट के विपरीत सिविल लिस्ट की एन्ट्री के आधार पर माना गया तथा कुछ ऑफिसरों का जन्म दिन लिस्ट की एन्ट्री के विपरीत हाई स्कूल सर्टीफिकट के आधार पर माना गया ...." इस वजह से प्रश्न का उत्तर आने में देरी हो रही है । यह भाग निकाल दिया जाय तो मंत्री महोदय नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट वीक में किसी दिन उत्तर दे दें । यह प्रिन्सिपल का सवाल है कि दोनों सर्विसेज़ की डेट ऑफ बर्थ हाई स्कूल सर्टीफिकेट के आधार पर की है या नहीं और कितने ऑफिसरों का किया है, कितनों का नहीं; यह कोई इससे सम्बन्धित नहीं है । We may remove this part.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस पार्ट को रिमूव करते हैं तो सात दिन के बाद उत्तर दे देंगे ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इसमें ज्यादा केस नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष : देखनी तो पड़ेंगी सब की फाइलें ।

श्री भैरोंसिंह : जितने डिस्प्युटेड केसेज़ हैं वे सब गवर्नमेंट ने डिसाइड किये हैं। ऐसे बहुत सारे केस नहीं हैं; बहुत कम केसेज़ हैं । सारे डिस्प्यूटेड केसेज़ में गवर्नमेंट ने डिसीज़न्स लिये हैं । अगर माननीय मंत्रीजी इसको कान्फाइन करना चाहें तो जिस समय उनके रिटायरमेंट का टाइम हुआ है उस समय कितने केसेज़ क्रॉप-अप हुए हैं और जिनमें गवर्नमेंट ने ऐज लिमिट को रिलेक्स किया है, यह बता दें ।

श्री अध्यक्ष : उनके भी आँकड़े इकट्ठे करने पड़ेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : आँकड़े हैं ?

श्री अध्यक्ष : इसके लिए फाइलें देखनी पड़ेंगी कि किस केस में ऐसी बात हुई है और वे किस जगह के हैं ।

श्री भैरोंसिंह : इनके पास है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो फाइल देखने से ही पता चलेगा।

श्री अध्यक्ष : दो–चार केसेज़ जो संदिग्ध हों ~ दें। सारे केसेज़ के लिए पूछेंगे तो फाइल देखनी पड़ेगी।

श्री भैरोंसिंह : जुडिशियल ऑफिसर्स में, जो सिविल जज हैं, सैशन जज हैं, उनमें से जिनकी ऐज के बारे में रिलेक्सेशन किया है वह बता दें कि डेट ऑफ बर्थ, जो डेट मैट्रिक्यूलेशन सर्टीफिकेट में दी है, उनको स्वीकार किया है ? दूसरे, जो जयपुर के एडमिनिस्ट्रेटर श्री सूर्यस्वरूप माथुर हैं उनकी एज के बारे में रिलेक्सेशन किया है, वह बता दें ?

श्री विजयसिंह भाला : श्री भैरोंलाल जावरिया के बारे में भी बता दें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सात दिन के बाद बता देंगे।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

(विराम)

श्री शिवनारायण छाछिया।

सस्ती कार तथा स्कूटर बनाने का कारखाना खोलने की योजना

२८४. **श्री शिवनारायण छाछिया** (सूरजगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि राजस्थान में सस्ती कार तथा स्कूटर बनाने का कारखाना खोलने की कोई योजना है ? यदि हां, तो इस योजना पर कितना व्यय होगा ?

(२) क्या इस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब और इसमें क्या प्रगति है ?

(३) क्या इस योजना का कार्यभार सरकार ही सँभालेगी या इसमें किसी के साथ हिस्सेदारी होगी ?

उप-मंत्री उद्योग, (श्री चन्दनमल वैद): (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री कुमारानन्द।

अजमेर जिले के शिक्षकों को मंहगाई भत्ते का भुगतान

२८५. **श्री कुमारानन्द** (ब्यावर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या अजमेर जिले के शिक्षकों के मंहगाई भत्ते में भी १६५८ व '६० में क्रमशः प्रत्येक बार पाँच, पाँच रुपये की वृद्धि की गई थी ?

(२) इस जिले के शिक्षकों का तत्-सम्बन्धी कितना एरियर सरकार को चुकाना है ?

(३) क्या यह सही है कि सावर की दो अध्यापिकाओं का प्रत्येक का ५.००) रु० से भी अधिक एरियर बाकी है ?

(४) क्या यह सही है कि जिला शिक्षणालय निरीक्षक, अजमेर द्वारा एक, एक

(श्री कुमारानन्द)

रुपये के स्टाम्प पर रसीदें लिखवा लेने के उपरान्त भी उक्त एरियर का भुगतान नहीं किया है ?

(५) शिक्षकों के तत्सम्बन्धी एरियर का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) केवल १—८—६० से अजमेर जिले अध्यापकों के लिये मंहगाई भत्ते में पांच रुपये की वृद्धि हुई है।

(२) मंहगाई भत्ते से सम्बन्धित एरियर केवल दो अध्यापिकाओं के अलावा तमाम को चुकाया जा चुका है।

(३) जी हां।

(४) जी हां। एक रुपये के स्टाम्प पर इन्डेम्नीटी बॉंड भरवाये गये थे, परन्तु एरियर का भुगतान नहीं किया गया।

(५) एक अध्यापिका का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का एक्स ३ कार्ड प्राप्त होने पर बकाया वेतन चुकाया जायगा।

दूसरी अध्यापिका का छुट्टी का मामला विचाराधीन है। यह अध्यापिका विजयनगर से सांभर स्थानान्तरित की गई थी, लेकिन यह अध्यापिका सांभर स्कूल में उपस्थित नहीं हुई।

एक माननीय सदस्य : दो अध्यापिकाओं को क्यों रखा गया था ? क्या कारण है ?

श्री कुमारानन्द : एरियर बकाया कितना और कितने दिन का बाकी है और कब तक चुकाया जायेगा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : पांच सौ रुपये प्रत्येक के हैं। चुकाने का जिम्मा अध्यापिकाओं के खुद के ऊपर है। एक एक्स ३ कार्ड नहीं ला सकी, इससे गड़बड़ी हो रही है। दूसरी ट्रान्सफर पर गई नहीं, घर बैठ गई छुट्टी लेकर। छुट्टी का मामला प्रस्तुत है। इसकी हम पर जिम्मेदारी नहीं है। एक जल्दी से जल्दी एक्स ३ कार्ड ले आये और दूसरी छुट्टी के प्रश्न रिलेक्सेशन सीक कर ले ; ये दो मसले हैं।

एक माननीय सदस्य : एरियर बाकी रहने का क्या कारण है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने जवाब में निवेदन किया। आप सुन नहीं रहे थे।

श्री अध्यक्ष : पाँच साल पहले का कार्ड बनवायेंगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति हुई कि इस अध्यापिका की नियुक्ति विशेष स्थिति में अध्यापिकायें न मिलने के कारण यह समझ कर कर दी कि बाद में एक्स ३ कार्ड मिल जावेगा और उसके बाद नियुक्ति वेलीडेट हो जायगी। उसके बाद एक्स ३ कार्ड प्राप्त करने की कोशिश की गई, लेकिन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ने इन्कार कर दिया। उसका मसला चल रहा है। एक्स ३ कार्ड मिल जायगा तो यह स्थिति साफ हो जायगी। कार्ड मिला उसके आगे का एरियर चुका दिया है और पीछे की स्थिति वैसी की वैसी है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा ।

जिला बूंदी के ग्रामों में भूमिहीन किसानों को भूमि का अलॉटमेंट

२८६. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सच है कि जिला बूंदी की नैनवा तहसील के जैतपुर, पीपल्या, लाम्बाबरडा, सबलपुरा, लुहारपुरा, तलवास, सहन, औतरदा गांवों में भूमिहीन किसानों को अलॉटमेंट-कमेटी के द्वारा भूमि अलॉट की गई थी ?

(२) यदि हां, तो क्या उन किसानों ने भूमि को आबाद करना प्रारम्भ कर दिया है ?

(३) क्या तहसीलदार, नैनवा व एस. डी. एम. नैनवा ने यह मान कर कि इसमें जलाऊ लकडियां हैं, ३०) रु० एकड़ किसानों से जमा करवा रहे हैं और २ वर्ष के बाद भी जमीनों में काश्त नहीं करने देने की कार्यवाही की है ?

उप-मन्त्री राजस्व, (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां।

(२) जी हां ।

(३) अलॉट शुदा भूमि, जिसमें जलाऊ व ईमारती लकड़ी थी उसकी कीमत १० रुपये फी एकड़ अलॉटीज़ से वसूल की गई है । २ वर्ष बाद काश्त की कोई कार्यवाही नहीं करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि रेवेन्यू जमीन में ईमारती लकड़ी की जमीन बिल्कुल नहीं है, नाम मात्र को है ? इस जमीन के भूमिहीन काश्तकारों ने बताया कि जितनी लकड़ी इसमें होती है उसको काट कर इकट्ठी करके सरकार को देने के लिए तैयार है, अलॉटमेंट कमेटी ने जमीन दी है कि इन्हें आबाद करने दिया जाय, उसके बाद भी आबाद नहीं करने दिया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके लिए नियम बने हुए हैं । जो जमीन अलॉट करते हैं उसके अन्दर अगर पेड़ खड़े हुए हैं तो रूल्स के तहत प्रति एकड़ क्या कीमत ली जानी चाहिए, किस तरह के पेड़ हों तो क्या कीमत ली जानी चाहिए, इस प्रकार के नियम बने हुए हैं और इसके अन्तर्गत रकम वसूल की गई है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : अलॉटमेंट कमेटी मौके पर गई है । उसने माना है कि इतने पड़े नहीं हैं, इसलिए इतना पैसा नहीं लेना चाहिए । मैं अलॉटमेंट कमेटी का सदस्य हूँ। इसके विपरीत भी एस. डी. ओ. का अलग आइडिया है । इस तरह भूमिहीन किसानों को जमीन नहीं मिलती है और उन्हें आबाद नहीं करने दिया जाता ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जिस प्रोसीजर के तहत यह रकम वसूल की जा सकती है उसके खिलाफ अपील भी की जा सकती है। अगर किसी किसान को असंतोष है तो अपील करके वह अपना राइट सीक कर सकता है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : जो अलॉटमेंट कमेटी बनी हुई है उसने मौके पर जाकर माना है । यह ठीक नहीं है कि जिनको अलॉट की गई है वे काश्तकार जाकर अपील करें और

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

मुकदमे करें और पैसा खर्च करके जमीन प्राप्त करें। यह सरकार के लिए शोभनीय नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पांच–सात गांवों के किसानों को जमीन अलॉट करने के बारे में आपने पूछा है। पांच–सात गांव हैं तो किसान कई होंगे। किस व्यक्ति से नियम विरुद्ध पेड़ की कीमत मांग ली गई है या उसके क्या एलीगेशन्स हैं, जब तक उसका पता नहीं चल जाता है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। स्पेसिफिक इन्सटॉन्सेज हों तो जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह बहुत वेग क्वेश्चन है, इसलिए इसका जवाब नहीं दिया जा सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि राजस्थान के लैण्ड रेवेन्यू के अलॉटमेंट रूल्स बने हुए हैं, उसमें यह व्यवस्था नहीं है कि जो जमीन अलॉट की जाय तो उसमें किस प्रकार के पेड़ हों; तो उसकी क्या कीमत वसूल की जा सकती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : राजस्थान लैंड रेवेन्यू अलॉटमेंट रूल्स के रूल ५७ में है कि "Allottees will have to pay to the State Government the price of the well and the permanent structure, if any, existing on the land as well as the price of the trees growing on the land prescribed for the purpose of section 80 of the Tenancy Act..."

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या यह ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि सेक्शन ८०, उसके अन्डर जो प्राइसेज प्रेसक्राइब्ड हैं, उसके अनुसार न होकर और हायर प्राइसेज पर होता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता दूं कि इन रूल्स को अफेक्ट देने के लिए हमने रूल्स में प्रोवाइड कर दिया है; इसके ३८ ए, ३८ बी, ३८ सी, ३८ डी।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मेरा प्रश्न है कि अलॉटमेंट कमेटी और एस. डी. ओ. इन दो में से किसको आप मान्यता देना चाहते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अलॉटमेंट कमेटी का यह जुरिस्डिक्शन नहीं है, यह तहसीलदार का जुरिस्डिक्शन है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : क्या अलॉटमेंट कमेटी में एस. डी. ओ. मेम्बर नहीं होता ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नहीं होता।

श्री दलपतसिंह (आबू) : दो साल से काश्त क्यों नहीं करने दे रहे हैं, जब कि अलॉटमेंट हो गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दो साल से काश्त करने का केस नहीं है। आपका कहना है कि जिसके खिलाफ काश्त न करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की गई उसको काश्त क्यों नहीं करने दिया गया ?

कृषि सहकारी समितियों का गठन, तहसील साँचोर

२८७. **श्री रघुनाथ बिश्नोई**(साँचोर): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No 11

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

(१) तहसील सांचोर में कितनी कृषि सहकारी समितियों का अब तक गठन किया जा चुका है और कितनी समितियों को भूमि वितरित की जा चुकी हैं ?

(२) क्या यह सच है कि उक्त समितियों में से बहुत सी समितियां कार्य नहीं कर रही है ? अगर हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह सच है कि डोंगपुरा कृषि सहकारी समिति को दूसरों की कब्जाशुदा जमीन अलॉट कर दी गई और बाद में यह जमीन अदालत द्वारा खातेदारी की घोषित कर दी गई ?

(४) क्या यह सच है कि सोसाइटी व काश्तकारों के आपस में झगड़े भी हुये और मुकदमे भी चल रहे हैं ? अगर हां, तो ऐसा क्यों हुआ और इसमें किसकी गलती थी ? क्या यह भी सच है कि इस मुकदमें में सजाएं भी हो चुकी हैं ?

(५) क्या गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? अगर हां, तो कब तक ?

उप-मंत्री, सहकारी (श्री भीमसिंह) : (१) तहसील सांचोर में सात कृषि सहकारी समितियों का गठन किया जा चुका है एवं इन सभी सहकारी कृषि समितियों को भूमि अलॉट की जा चुकी है।

(२) उक्त समस्त सहकारी कृषि समितियां कार्य कर रही हैं।

(३) इस नाम की कोई समिति ही नही है।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पहले तीन बार दिया जा चुका है। इनके पास इस की पूरी इन्फॉर्मेशन मौजूद है और केवल कलेरिकल मिस्टेक के कारण इस प्रकार का उत्तर दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : गांव के नाम में क्लेरिकल मिस्टेक में डोंगपुरा लिख दिया गया है, वह डींगपुरा है। मैंने डींगपुरा ही लिखा है, मगर क्लेरिकल मिस्टेक से यह गलत नाम लिख दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : सांचोर में सभी सहकारी कृषि समितियों को भूमि अलॉट की जा चुकी है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : डींगपुरा तहसील में दूसरों की कब्जाशुदा जमीन अलॉट कर दी गई और बाद में वह जमीन अदालत द्वारा खातेदारी की घोषित की गई।

श्री अध्यक्ष : सांचोर में सात कृषि सहकारी समितियां हैं और सातों को भूमि अलॉट की जा चुकी है। क्या ये इन सातों के बाहर हैं ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, दूसरों की जमीन अलॉट कर दी, जिस पर बहुत झगड़ा हुआ। उस अधिकारी को दंड देने का प्रश्न है। पटवारी ने दूसरे की जमीन कब्जाशुदा अलॉट कर दी। उसका

(श्री रघुनाथ विश्नोई

झगड़ा चला और लोगों को सजा हुई। ये इन सातों में शामिल हैं। मगर गांव का नाम गलत लिखा गया है, इससे आपने जवाब दिया कि इस नाम की कोई समिति ही नहीं है। डींगपुरा गांव है।

श्री अध्यक्ष : आपको इसमें दिक्कत क्या है ? जमीन मिली या नहीं, आप इसमें क्या जानकारी चाहते हैं ? आप स्पष्ट कहें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जमीन दी गई और पटवारी की गलती से दूसरे की कब्जाशुदा जमीन पटवारी ने सोसाइटी को दे दी। यह सब पटवारी की गलती से हुआ और उसके बाद में दोनों पार्टीज़ के आपस में अदालत में मुकदमा चला और लोगों को सजा भी हो गई।

श्री अध्यक्ष : बहुत अच्छा हुआ। कानूनी कार्यवाही हो गई। मैं माननीय सदस्यों को कई दफा निवेदन कर चुका हूँ कि आप अपना पर्टीकुलर प्रश्न हो उसको साफ तौर से पूछें, जिससे कि उसका उत्तर मिल सके। अगर आपको पटवारी को सजा देने के लिये पूछना है तो पटवारी को सजा देने के लिये सीधा प्रश्न पूछिये। आप तो तहसील की सहकारी समितियों से आखिर पटवारी पर आना चाहते हैं।

राजस्थान विश्वविद्यालय में राजस्थानी भाषा में अनुसंधान व पठन-पाठन की व्यवस्था

२८८. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या राजस्थान विश्वविद्यालय में राजस्थानी भाषा डिंगल व अन्य भाषायें जिनका साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो सकता है उनमें अनुसंधान व पठन-पाठन की कोई व्यवस्था है ? यदि हां, तो विश्वविद्यालय में इस विषय का पंडित कौन है ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(२) क्या राजस्थान साहित्य के प्राचीन ग्रंथ अनुसंधान के लिये विश्वविद्यालय पुस्तकालय में उपलब्ध हो सकते हैं ? यदि हां, तो कुल ग्रन्थ कितने हैं ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य): (१) राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्तर्गत राजस्थानी भाषा डिंगल व अन्य भाषाओं का अलग विभाग नहीं। हिन्दी भाषा के एम० ए० परीक्षा की योजना में शिक्षार्थी को एक मूल भाषा अपने ऑप्शन में लेनी पड़ती है। यह मूल भाषा संस्कृत हो सकती है या पाली या अपभ्रंश या डिंगल हो सकती है।

डॉ० माताप्रसाद, जो कि राजस्थानी साहित्य के उच्चकोटि के विद्वान व लेखक हैं हिन्दी के हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट के पद पर काम कर रहे हैं और उनके अलावा डॉ० हीरालाल महेश्वरी विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग में प्राध्यापक हैं। उन्होंने भी राजस्थानी साहित्य व भाषा (विक्रम सम्वत् १५७०-१६५०) पर एक थीसिस लिखी है। डॉ० हीरालाल महेश्वरी एम० ए० डिंगल की क्लास पढ़ाते हैं और डॉ० एस० के० शुक्ला तथा डॉ० श्रीमती गायत्री देवी वैश्य एम० ए० की हिन्दी क्लासेज़ को पाली भाषा पढ़ाती हैं।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(२) हस्तलिखित राजस्थानी भाषा का साहित्य विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में उपलब्ध नहीं है। परन्तु भाषा की पुरानी किताबें, जिनको राजस्थान पुरातत्व ग्रन्थमाला ने प्रकाशित करवाया है, २५ प्रतियां उपलब्ध हैं।

श्री दुर्गालाल बाद्दार : क्या डिंगल भाषा के लिये भी, जिसका साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो सकता है, अनुसंधान की कोई व्यवस्था है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसके लिये अलग विभाग नहीं है, इसलिये यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री दुर्गालाल बाद्दार : विभाग अलग है या नहीं, इससे कोई सम्बन्ध नही है, लेकिन आपने अभी बताया कि डॉ० हीरालाल महेश्वरी डिंगल की एम०ए० क्लासेज़ को पढ़ाते हैं; तो क्या उनके गाइडेन्स के लिये राज्य सरकार की ओर से कोई व्यवस्था है या नहीं ? इसके सम्बन्ध में हस्तलिखित साहित्य होगा, उसकी क्या दशा होगी उसको तो सरकार जाने। मगर डिंगल पुस्तकें उपलब्ध होते हुए भी वहां पर नहीं हैं, इसलिये मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि इसके लिये कोशिश की जावे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं इस सुझाव को विश्वविद्यालय के सामने प्रस्तुत कर दूंगा ? इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कह सकता।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत(भीम): आपने अभी बताया कि पुरानी किताबें जिनको एक राजस्थान पुरातत्व ग्रन्थमाला ने प्रकाशित करवाया है, २५ प्रतियां लाइब्रेरी में उपलब्ध है, क्या ये २५ ग्रन्थ काफी हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह ज्ञान का विषय है। इसमें कभी संतोष प्राप्त नहीं होता।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : यह तो मैं भी समझती हूं। आपके यहां हस्तलिखित बहुत सी पुस्तकें हैं, अप्रकाशित ग्रन्थ हैं, उनको लाइब्रेरी में मंगाकर रखना चाहिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कहां से मंगाकर रख सकते हैं ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : डिंगल साहित्य पर।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

अलवर में कृषि भूमि को आबादी भूमि में तब्दील करने की दर

२८६. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) अलवर नगर में सन् १९५७ से लेकर अब तक किस किस ने कितनी कितनी कृषि भूमि आबादी भूमि में तब्दील कराई है ? सरकार ने इनसे तब्दील कराने के क्या रेट चार्ज किये हैं ? पूरी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(२) इस समय अलवर नगर की कृषि भूमि को आबादी भूमि में तब्दील करने के लिए किस किस और कितनी कितनी भूमि की दरख्वास्तें पेंडिंग हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) अलवर नगर में श्री बाबूराम जैन को १ बीघा १२ बिस्वा व श्री पुरुषार्थियान मेव बोर्डिंग, अलवर को १ बीघा १५ बिस्वा भूमि आबादी में परिवर्तित करने की स्वीकृति सरकार ने दी है। श्री बाबूराम जैन से १.५० न. पै. प्रति वर्ग गज नजराना लिया गया तथा श्री पुरुषार्थियान मेव बोर्डिंग, अलवर से नजराना के बारे में अभी तक तय नहीं हुआ है।

(२) इस समय सरकार में कोई प्रार्थना-पत्र विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सैलाइन एरियाज का सर्वे

२६०. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार ने सैलाइन एरियाज का सर्वे कराने का आदेश दिया है ? यदि हां, तो कहाँ कहाँ पर ?

(२) क्या सर्वे का काम शुरू हो गया है ?

(३) क्या कोई क्षेत्र राजस्व विभाग द्वारा सैलाइन एरियाज घोषित किये जाकर उद्योग विभाग के नियँत्रण में दिये गये हैं ? यदि हां, तो कौन से ?

(४) ऐसे क्षेत्रों की कितनी लीजेज कहां और किस किस को दी गई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (१) हां, सारे राजस्थान के सैलाइन एरियाज़ के सर्वे करने को आदेश दे दिये हैं।

(२) हां।

(३) हां, जो क्षेत्र दिये गये है उनका ब्योरा निम्न प्रकार है :—

	ग्राम	तहसील	जिला	खसरा नं०
१.	जसवंतगढ़	लाडनू	नागौर	३१४।३१८
२.	सरगोठ	नांवा	,,	५६६
३.	कुचामन सिटी	नांवा	,,	७४५
४.	बीढ़ छापर	सुजानगढ़	चूरू	१०४
५.	मलाररिण	फलौदी	जोधपुर	अरण क्षेत्र
६.	बापरिण	फलौदी	,,	,,
७.	रिणपोकरन	पोकरण	जैसलमेर	,,
८.	थाट सॉल्ट एरिया	पोकरण	,,	११७ व ११८

(४) एरियाज सैलाइन घोषित होने के बाद अभी किसी को लीज नहीं दी गई, अतः सूची का प्रश्न नहीं उठता।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : सैलाइन एरिया में सरगोट एरिया भी शामिल है ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : सांचोर का एरिया भी शामिल किया गया है ?

श्री चन्दनमल वैद : सर्वे हो रही है, उसके बाद विचार किया जावेगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या कोई एरिया रेवेन्यू विभाग द्वारा सेलाइन एरिया घोषित किया गया है ? सरगोट एरिया के प्लॉट कर रखे हैं, वे प्लॉट रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थे ?

श्री चन्दनमल वैद : मैं यह अर्ज कर रहा हूँ कि सैलाइन एरियाज़ के रूल्स घोषित होने के बाद अब तक हमने कोई प्लॉट अलॉट नहीं किये हैं ?

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न यह है कि क्या कोई एरिया रेवेन्यू विभाग द्वारा सैलाइन एरिया घोषित किया गया है ? पहले जो एरिया रेवेन्यू डिपार्टमेंट में था और अब सैलाइन एरिया कर दिया गया है, ऐसे क्षेत्र में कहां कहाँ लीज दी है ?

श्री चन्दनमल वैद : मैंने कहा कि कहीं नहीं।

श्री भैरोंसिंह : सरगोट एरिया में जिन लोगों को जमीन के प्लॉट नमक बनाने के आपने अलॉट किये हैं, क्या यह एरिया भी सैलाइन एरिया घोषित करके लैण्ड रेवेन्यू से इन्डस्ट्रियल डिपार्टमेंट में दिया गया है या नहीं ?

(३ म. प.)

श्री चन्दनमल वैद: यह एरिया सेलाइन एरिया घोषित करने के बाद में इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट को मिला। इसके बाद कोई अलॉटमेंट नहीं किया गया।

श्री भैरोंसिंह : आज जिन लोगों को प्लॉट दे रहे हैं वे भी रेवेन्यु डिपार्टमेंट के थे और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट को ट्रान्सफर हुए..........

श्री अध्यक्ष: मन्त्री महोदय ने प्रश्न का साफ उत्तर दिया है कि सेलाइन एरिया डिक्लेयर करने के बाद में कोई अलॉटमेंट नहीं किया गया।

श्री भैरोंसिंह: आपका यह कहना है कि सर्वे करवा रहे हैं। प्रश्न यह है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ऐसी लैंड ट्रान्सफर हुई है। उस ट्रान्सफर्ड लैंड में किन–किन को लीजेज दिये गये हैं, प्रश्न यह हैं।

श्री चन्दनमल वैद : २९ मई, १९६३ को रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट को दिया। उसके बाद में हमने कोई अलॉटमेंट नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह: यह तो कह रहे हैं नये रूल्स बने उनके अनुसार अलॉटमेंट नहीं किया; पर मेरा प्रश्न यह है कि पहले किन किन को लीजेज दिये गये ?

श्री चन्दनमल वैद : इससे पहले कोई एरिया रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट को ट्रान्सफर नहीं हुआ।

श्री भैरोंसिंह: सरगोट एरिया में आपने अलॉटमेंट किये हैं ?

श्री चन्दनमल वैद: जो प्रश्न पूछा गया है उसका जवाब मैंने दे दिया। अगर यह पूछते

Page No 16

(श्री चन्दनमल वैद)

कि गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने ट्रान्सफर किया है तब से किन किन को लीजेज़ दीं तो मैं उसका उत्तर देता। अलग से प्रश्न पूछें तो उत्तर दिया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह: प्रश्न यह है कि क्या कोई क्षेत्र राजस्व विभाग द्वारा से लाइन सेएरियाज़ घोषित किये जाकर उद्योग विभाग के नियन्त्रण में दिये गये हैं ? यदि हां, तो कौन से ? तो इसमें कहीं यह नहीं पूछा है कि ६२ के बाद या ६३ के बाद किन किन को लीजेज़ मिले, उनकी लिस्ट दी जाय।

श्री चन्दनमल वैद: २६ मई,१६६३ के पहले कोई एरिया रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सेलाइन एरिया घोषित करके इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट को नहीं दिया है, इसलिये कोई प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह : मई, १६६३ के पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट की कोई लैंड नमक बनाने के नाम से इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट को अलॉट नहीं की गई ?

श्री चन्दनमल वैद: यह बिल्कुल अलग प्रश्न है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अलॉट करना अलग प्रश्न है, सेलाइन एरिया घोषित करना अलग प्रश्न है। ये दोनों अलग २ बातें हैं।

श्री भैरोंसिंह: नये रूल्स में 'सेलाइन' वर्ड इस्तेमाल किया गया है, पर इससे पहले जिन लोगों को अलॉटमेंट किया है, लीजेज़ दिये हैं, उनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष: फिर भी अमुक व्यक्ति के बारे में पूछना चाहते हैं, तो वह इसमें नहीं आता, इतनी लम्बी– चौड़ी लिस्ट है।

श्री भैरोंसिंह : लिस्ट इतनी लम्बी नहीं है।

श्री चन्दनमल वैद : माननीय अध्यक्ष, लिस्ट लम्बी–चौड़ी है। सेलाइन एरिया घोषित करने के बाद में कोई अलॉटमेंट नही किया गया। जो प्रश्न पूछा गया था उसका जवाब मैंने दे दिया। बिना प्रश्न के पूछे इस समय इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। स्पेसिफिकली पूछें तो उत्तर दिया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह: इसका मतलब यह हुआ कि लैंड तो ट्रान्सफर हुई है और इन रूल्स के पहले अलॉटमेंट किया गया है ....

श्री अध्यक्ष: बहस ठीक रास्ते पर नहीं हुई है। माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं तो यही प्रश्न पूछ लेते कि किन किन को अलॉट हुई है; लैंड के ट्रान्सफर के चक्कर में नहीं पड़ते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने फ्रेश रूल्स के लागू होने के बाद का नहीं पूछा, यह कहीं इस प्रश्न में नहीं है।

श्री अध्यक्ष: रूल्स का मतलब यह है कि ट्रान्सफर होने के बाद तो ट्रान्सफर तो मई में हुई है। आपने प्रश्न में ऐसा स्पेसिफिकेशन कर दिया है कि मई के बाद का ही आता है।

नेक्स्ट, श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

जंगल लगाने हेतु प्रोत्सहन

२६१. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि विकास विभाग द्वारा गांवाई जंगल लगाने के हेतु अधिक जोर दिया जा रहा है तथा लोगों को फलदार पेड़ लगाने के लिये भी प्रोत्साहित किया जा रहा है ?

(२) क्या इस सम्बन्ध में भूमि अलॉट करने के लिये कोई नियम बनाये गये हैं ?

(३) यदि नहीं, तो गांवाई जंगल लगाने हेतु वन विभाग और विकास विभाग द्वारा दिये गये अनुदान की रकम का किस प्रकार उपयोग किया जा सकेगा ?

उप-मंत्री, विकास (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां।

(२) कोई नये नियम नहीं बनाये गये हैं।

(३) प्रत्येक पंचायत में प्राप्त १५ बीघा जमीन या चारागाह भूमि का उपयोग किया जा सकता है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत ; (२) के बारे में फिर से कह दें, सुना नहीं।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : कोई नये नियम नहीं बनाये गये हैं, पहले ही नियम बने हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री हीराभाई।

तहसील कुशलगढ़ क्षेत्र में माध्यमिक पाठशाला

२६२. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(१) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा की तहसील कुशलगढ़ के क्षेत्र में प्राइमरी पाठशालाओं के स्थान पर माध्यमिक शालाएं खुलवाने के निमित्त संबंधित पंचायत समिति एवं जिला परिषद् द्वारा कोई मांग प्रस्तुत की गई है ?

(२) यदि हां, तो किन किन स्थानों के लिये और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि ग्राम बड़वास, तहसील कुशलगढ़ में माध्यमिक पाठशाला खुलवाने के लिये ग्रामवासियों तथा पंचायत ने २५००) रू० की राशि जमा भी करवा दी है और विभाग द्वारा यह सूचित भी किया जा चुका है कि सन् १९६२ में उक्त पाठशालायें खोल दी जायेंगी ? यदि हां, तो यह कार्य अभी तक क्यों नहीं हुआ ?

(४) उक्त पाठशालाएं कब तक चालू करने का सरकार का विचार है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : (१) जी हां। कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा क्षेत्र में प्राथमिक शालाओं के स्थान पर माध्यमिक शालाओं में परिवर्तन करने के प्रस्ताव निरीक्षणालय तथा जिला परिषद से प्राप्त हुए।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(२) बड़ी सरवा और बड़वास के प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शालाओं में परिवर्तित करने के प्रस्ताव थे। लेकिन ये दोनों शालाएं सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति नहीं करती थीं। अतः इन्हें अपग्रेड नहीं किया गया।

(३) प्राथमिक शाला बड़वास को अपग्रेड करने की स्वीकृति ६१-६२ में दी गई थी क्योंकि यह शाला निर्धारित शर्तों के साथ साथ रेकरिंग व्यय २५००) रू० की शर्त पूरी न कर सकी; अतः अपग्रेड न हो सकी। यह रकम ६२-६३ में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, कुशलगढ़ को उस समय जमा कराई गई जब कि शालाओं का अपग्रेड करने के प्रस्तावों पर विचार हो चुका था।

(४) यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री हीराभाई : माननीय मंत्री महोदय बता रहे हैं कि ६१-६२ में स्वीकृति दी गई थी। जब रुपया जमा करा दिया तो आपने यह जवाब दिया कि आदेश दे दिया है स्कूल खोल दिया जावेगा। आदेश के होने पर भी नहीं खोला है, तो क्या आप एक्शन लेने को तैयार हैं ? आप डिप्टी मिनिस्टर थे फिर भी आपने आज तक कुछ नहीं किया है, और जगह चुनावों के टाइम में खोल दिये। पंचायत ने, पंचायत समिति ने, जिला परिषद् ने मांग की शर्त पूरी कर दी, तो शर्त पूरी करने के बाद भी नहीं खोला गया, इसका क्या कारण है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मुख्य कारण यह है कि २५००) रू० जमा कराने का कहा गया, वह स्कूलें खोलने के बाद में जमा कराया। वह मामला वहीं खत्म हो गया। वह पहले ही जमा करा देते तो देखने की बात थी। दूसरे, मदरसों में २,५००) रू० जमा कराना ही काफी नहीं, उसमें और भी शर्तें हैं; जैसे इमारत दी जाय, ६ टी क्लास में १५ लड़के हों, पांचवीं कक्षा में १५ लड़के हों, आसपास में दूसरी प्राइमरी स्कूलें होनी चाहिये जो फीड करने वाली फीडर स्कूलें कहलाती हैं। इसके अतिरिक्त मिडिल स्कूल, हाई स्कूल दस माइल के रेडियस में होनी चाहिये। ये शर्तें नहीं रहीं, सिर्फ २,५००) रू० ही दिया और वह भी स्कूलें खुलने के बाद में जमा कराया गया इसलिये हम मजबूर हो गये।

श्री हीराभाई : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जो पहले आदेश दे दिये थे किस आधार से दिये थे ? शर्तें पूरी नहीं हुईं तो वह आदेश कैसे दिया था ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आदेश का मतलब हमारी सहृदयता थी कि इस स्कूल को खोलना है। पर इच्छा होते हुए भी दूसरी बात पूरी नहीं हुई तो हम मजबूर हो गये।

श्री हीराभाई : शर्तें पुरी करने का, कितने कितने दिनों के अन्तर में, कितने दिनों के बाद में शर्तों को पूरा कर सकते हैं ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : जितने स्कूल खुले हैं, सभी शर्तें पूरी होने पर खुले हैं। ये शर्तें पहले ही उनके सामने रख दी थीं कि इनको पूरी कर देंगे तो खोल देंगे, फिर निरीक्षक और जिला परिषद् सिफारिश करेंगे वहां स्कूल खोल देंगे।

Page No 19

श्री हीराभाई : जहां बिल्डिंग वगैरह का जिक्र किया है तो वहां की पंचायत समिति को आदेश देते कि पाठशाला भवन, छात्रों के रहने के क्वार्टर वगैरह बना कर फिर २,५००) रु० जमा कराना। ये शर्तें पूरी नहीं हुईं तो किस कानून के अन्दर यह आदेश दिया था ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : पंचायत समिति के पास जो हम शर्तें रखते हैं सभी पंचायत समितियों के पास में हैं, जिला परिषद् और पंचायत समितियों के पास में हैं, यह बात ग्राम पंचायतें भी जानती हैं। पंचायत पंचायत समिति के पास भेजती है, पंचायत समिति जिला परिषद् के पास भेजती है, हमारे इन्सपेक्टर, एस. डी. आई. को भी कहते हैं कि तुम्हारा स्कूल शर्तों में आ गया है,

श्री हीराभाई : आदिवासियों में यह सारी व्यवस्था प्राप्त हो सकती है क्या ? वह आपको उम्मीद हो सकती है कि वहां ये शर्तें पूरी हो जायेंगी ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आदिवासी एरिया बहुत तरक्की कर रहा है। वहां आदिवासी ईमारतें बनाते हैं, खुद काम करते हैं, श्रमदान देते हैं। फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ईमारत नहीं है, दूसरी कन्डीशन्स हैं तो भी हम लागू कर देंगे, पर यहां तो कोई कन्डीशन पूरी नहीं होती।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि सरकार ने उस स्थान पर स्कूल खोलने का निर्णय लिया था ?

श्री अध्यक्ष : और २ हजार रुपया जमा कराने के लिए भी निर्णय लिया था ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य: निर्णय क सरकार ने संकेत किया था।

श्री भैरोंसिंह : संकेत नहीं निर्णय लिया था या नहीं, आप स्पष्ट रूप से बतायें !

श्री अध्यक्ष : और फिर यह मन क्यों बदला गया?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, २,५००)रु. के आधार पर फिर मुझे यह कहना चाहिये कि निर्णय लिया था लेकिन सरकार के सामने यह परिस्थिति थी कि आगे डेटाज् फुलफिल होते हैं या नहीं, यह बाद में ज्ञात हुआ।

श्री भैरोंसिंह : जो आपने निर्णय लिया था क्या वह सशर्त था ? किस शर्त को स्वीकार किया गया था ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : २,५००) रु० आधार था, समय पर जमा हो जाय। यह पहला आधार था।

श्री भैरोंसिंह : आपने समय जो निर्धारित किया था और आपका निर्णय पंचायत या पंचायत समिति या गांव के पास पहुंचा तो जितने समय में वह रुपया जमा हुआ उससे आपकी शर्त पूरी नहीं हुई ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : समय के पूर्व हुआ ही नहीं। स्कूल सारे खुल चुके थे.......

श्री अध्यक्ष : नहीं, पिछले साल तो समय नहीं था, इस साल तो यह समय में था।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : इस साल भी यह बाद में आया।

श्री अध्यक्ष : रुपया तो पिछले साल आया १६६२ के बाद ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह रकम ६२-६३ में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, कुशलगढ़ को उस समय जमा कराई गई जब कि शालाओं का अपग्रेड करने के प्रस्तावों पर विचार हो चुका था ।

श्री भैरोंसिंह : इस साल के विचार में वह आवेगी या नहीं ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : डेटाज़ फुलफिल न करे तो नहीं आवेगी ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय इसको गम्भीरता से लें । पिछले साल कमिटमेन्ट कर चुके हैं जिस चीज के लिए उसको इस साल, पिछले साल तो नहीं खोली, तो प्राथमिकता देनी चाहिये थी ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, २,५००) रु० का मूल आधार था पिछले साल, स्कूल खोलने की कोशिश कर रहे थे....

श्री अध्यक्ष : आपका कमिटमेन्ट है; Don't wiggle out of that please !

श्री निरन्जननाथ आचार्य: वह साल तो चला गया और इस साल कतई डेटा फुलफिल नहीं हुआ था इसलिए विवश थे ।

श्री भैरोंसिंह : निर्णय लिया था उस समय डेटाज़ फुलफिल हो गये थे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : कोई इसमें मतलब नहीं, Government is so slippery !

(विराम)

Next Question

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको सर्टीफिकेट मिल गया है ।

शुगर फैक्ट्री लगाने हेतु भूमि का अलॉटमेन्ट, ग्राम कोठियां, जिला भीलवाड़ा

२६३. **श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि भूतपूर्व शाहपुरा स्टेट, जिला भीलवाड़ा के वक्त गांव कोठियां के पास बीड़ की करीब ८०० (आठ सौ) बीघा जमीन भीलवाड़ा के सेठ श्री पूसालालजी रेंधुनाथसिंहजी को शक्कर की फैक्ट्री लगाने व गन्ना बोने के लिये दी गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि इस जमीन के लिये कोठियां की जनता ने कोई मुकदमा लड़ा था जिसकी कार्यवाही भीलवाड़ा कलेक्टर के यहां हुई ?

(३) क्या यह सही है कि उस मुकदमे का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है ?

(४) क्या यह सही है कि इस जमीन में न तो शुगर फैक्ट्री ही लगाई गई, न गन्ने की खेती ही होती है ?

(५) क्या यह सही है कि इस जमीन की कीमत एक पैसा भी सरकार ने नहीं लिया और मुफ्त में यह जमीन सेठ साहब को दी गई ?

(६) क्या सरकार ने कभी सेठ साहब को शर्तों के विरुद्ध यह जमीन अपने कब्जे में

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

रखने बाबत कोई जवाब तलब किया है ?

(७) क्या सरकार अभी भी इस जमीन को सेठ साहब के कब्जे से हटा कर आस-पास के भूमिहीन किसानों को देने का इरादा रखती है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) भूतपूर्व शाहपुरा स्टेट के समय श्री दामोदरलाल वल्द श्री महादेवलाल मानसिंह का नाम २२४।।) ३ और १,२६६ बीघा भूमि तरक्की काश्त के लिये दी गई थी ?

(२) सही नहीं है ।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(५) जी हां, वृक्षों का मूल्य ही लिये जाने की शर्त पट्टे में थीं।

(६) इस सम्बन्ध में कार्यवाही चल रही है।

(७) इस समय इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह जो आपने जवाब दिया कि २, ३ व ४ का प्रश्न नहीं उठता, क्या आपके यहां पर पहले ऑर्डर के लिए मुकदमा नहीं आया था ? कलेक्टर ने, एस० डी० ओ० ने, तहसीलदार ने कार्यवाही की ? फाइनल डिसीज़न के लिए आपके पास १६५० से मुकदमा चल रहा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सन् ५० से नहीं चल रहा है । मेरे चार्ज लेने के बाद जब मैं दौरे में गया तो लोगों ने मुझे रिप्रेज़ेन्टेशन दिया । इसके सम्बन्ध में मैंने नीचे से रिपोर्ट माँगी थी और उसके आने के बाद लॉ डिपार्टमेन्ट से एक्ज़ामिन कराया और लॉ डिपार्टमेन्ट ने कुछ क्वेरीज़ कीं, उनकी जानकारी करने के बाद फाइनल एडवाइस लॉ डिपार्टमेन्ट की आ जावेगी उसके बाद ही कोई हुकम दिया जा सकेगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : क्या यह सही नहीं है कि सम्वत् २०१० के अन्दर राजस्व मन्त्री दामोदरलालजी थे उस समय इस जमीन का हासिल ४००) रुपये कम कर दिया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसकी जानकारी मुझे नहीं है और मेरे ख्याल से कोई लगान कम नहीं किया गया ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, वहां की जनता के द्वारा एग्रीमेन्ट आदि की सारी नकलें दी हुई हैं और साफ लिखा हुआ है । जब यह जमीन दी गई तो एग्रीमेन्ट किया गया वह साफ है····

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह जमीन इसलिए मुफ्त में दी गई थी कि इसमें शुगर फैक्ट्री लगायेंगे और गन्ने की काश्त करेंगे । आज १२ साल निकल गये। अब तक वहां पर न तो कोई शुगर फैक्ट्री ही लगाई गई और न ही गन्ने की काश्त की गई और ऊपर से यह हुआ कि उस जमीन का लगान भी कम कर दिया गया। जब एग्रीमेन्ट के खिलाफ यह काम किया गया है तो यह जमीन वापिस ली जानी चाहिये। १३०० बीघा जमीन है।

Page No 22

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, न तो यह जमीन शुगर फैक्ट्री के लिए दी गई, पट्टे की जो प्रतिलिपियां मेरे पास हैं उनसे स्पष्ट है कि यह जमीन शुगर फैक्ट्री के लिए या गन्ने की काश्त के लिये नहीं दी गई थी। उसमें तो यह शर्त है कि काश्त की तरक्की के लिए यह जमीन दी जाती है। इसलिए यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : १३०० बीघा जमीन में से एक बीघे में भी काश्त नहीं की गई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जिस समय शाहपुरा की स्टेट थी और वहां के राजा शाहपुरा थे उनसे सन् ४५ के अन्दर यह जमीन प्राप्त हुई। यह किन आधारों पर दी, वह पता नहीं। लेकिन हमारे पास तो मिसल में पट्टे हैं उनसे शर्त के बारे में जानकारी प्राप्त की और उनको देखने से पता लगता है कि शुगर फैक्ट्री के एस्टेबिलशमेन्ट के लिए जमीन दी हो, ऐसा जाहिर नहीं होता है; किन्तु गांव वालों ने ऐसा रिप्रेज़ेन्ट किया था इसलिए इस साल भी जांच करा रहे हैं कि कानूनन किस प्रकार से उनसे यह जमीन वापिस ले सकते है और इसके लिए कानूनी सलाह लॉ डिपार्टमेन्ट से ली गई है। उन्होंने कुछ क्वेरीज़ कीं। पिछली क्वेरीज़ का जवाब देने पर उनकी जो एडवाइस होगी उस पर विचार किया जावेगा।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : जिस वक्त उसको जमीन दी थी क्या वह जोत पर थी?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जोत पर नहीं थी। अनऑक्यूपाइड लैंड थी शाहपुरा स्टेट की। इसलिए उनको जमीन बोने के लिए दी।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): क्या पिछले पांच-छः सालों में लैंड युटिलाइजेशन एक्ट के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लैंड युटिलाइजेशन एक्ट के अलावा भी मैंने स्वयं ने इनीशिटिव लेकर कार्यवाही करायी है और वह फाइनल नहीं हुआ है।

श्री मानिकचंद सुराणा : कितने दिन से चल रही है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ८ महीने से।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या यह सही है कि काश्त कभी नहीं की?

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

गंगकेनाल कॉलोनी क्षेत्र में स्थाई भूमि का बँटवारा

२६४. **श्री मुरलीधर व्यास**(बीकानेर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) गंग केनाल कॉलोनी क्षेत्र में जो स्थाई भूमि का बँटवारा किया जा रहा है उसके अन्तर्गत कितनी दरख्वास्तें पेश हुईं? उनमें से कितनों को भूमि दी जानी मंजूर हुई? कितनी नामंजूर हुई?

Page No 23

(श्री मुरलीधर व्यास)

(ख) क्या यह सच है कि भूमि का बंटवारा किया जाने के बाद अभी बहुत सी सरकारी भूमि बच गई है और बहुत से भूमिहीन भूमि लेने से वंचित रह गये है ?

(ग) क्या यह सच है कि जो भूमिहीन भूमि लेने से वंचित रह गये हैं उनमें से अधिकतर स्थाई भूमि वितरण नियमों के अन्तर्गत भूमि पाने के हकदार थे ? यदि हां, तो उन्हें भूमि से वंचित रखने का क्या कारण है ?

(घ) क्या सरकार इन बचे हुए भूमिहीनों को बाकी बची जमीन देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) गंग केनाल कॉलोनी क्षेत्र में स्थाई भूमि का आवंटन किया जा रहा है। उसके अन्तर्गत कुल ३०,७६१ प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए, जिनमें से ५,८३७ आवेदन-पत्र मंजूर हुए, १८,६८२ नामंजूर हुए।

(२) भूमि वितरण कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है।

(३) जी नहीं। जो भूमिहीन भूमि लेने से वंचित रह गये हैं वे भूमि पाने के भूमि वितरण नियमों के आधीन हकदार नहीं थे।

(४) जो भूमिहीन स्थाई भूमि वितरण नियमों के अन्तर्गत भूमि पाने का हकदार नहीं बनता है तो उसे इन नियमों के अनुसार भूमि दिये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

श्री मुरलीधर व्यास : इसमें आपने कहा है कि १८ हजार लोग भूमिहीन थे जो वंचित रह गये हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह मैंने नहीं कहा है।

श्री मुरलीधर व्यास: तो क्या भूमिहीन नही हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नियमों की पर्व्यू में नहीं आते, इसलिये प्रायर्थना-पत्र अस्वीकार किये गये।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या कोई भूमिहीन उन प्रार्थनापत्रों में नहीं हैं जिनको जमीन नहीं दी गई हो ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: बाकी के पांच हजार से ऊपर प्रार्थना-पत्र हैं जो जेर कार्य हैं, उनको जमीन दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर): और भूमि आपके पास में है क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी नहीं कहा जा सकता कि भूमि कितनी बची हुई है। जब तक मौजूदा प्रार्थना-पत्रों पर अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक हम नहीं कह सकते कि हमारे पास कितनी जमीन बचेगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने १६५६ में प्रार्थना-पत्र लिये थे, अब क्या दुबारा फिर प्रार्थना-पत्र लेने का विचार ले ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पहले के प्रार्थना-पत्रों पर अन्तिम निर्णय हो जाता, सभी प्रार्थना-पत्रों पर निर्णय नहीं हो जाता, इसका वचार नहीं रखते।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कितने वर्ष और लगेंगे सारे प्रार्थना-पत्रों के डिसपोज ऑफ होने में ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: जल्दी ही डिसपोज़ ऑफ कर रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: सन् १९५६ से ६३ तक आपने कितने किये और कितने बाकी हैं?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: माननीय सदस्यों को पता होना चाहिये, गवर्नमेंन्ट ने समय समय पर रिलेक्सेशन दिया है; पहले '५२ तक के थे, उसके बाद कुछ महीने हुए'; ५३ तक के किये गये। सारे विधान, लिमिटेशन्स को रिव्यू किया जा रहा है, पेन्डिंग केसेज़ का रिव्यू किया जा रहा है अन-डिसपोज्ड ऑफ जो हैं उनको डिस्पोज़ ऑफ किया जा रहा है। इस रिलेक्सेशन से काफी लाभ पहुँचा है। पहले के केसेज डिस्पोज़ ऑफ नहीं हो जाते हम और प्रार्थना-पत्र लेने की नहीं सोच रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: इस रिलेक्सेशन से कितने लोगों को लाभ पहुँचा है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: इसके फिगर्स मेरे पास नहीं हैं।

श्री मुरलीधर व्यास: आपके पास कितनी भूमि बची है देने के लिये?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: करीब पाँच हजार एकड़ बची हुई है।

श्री मुरलीधर व्यास: और भूमि कितनी दी गई है?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): आपने संशोधन नियमों में किया, लेकिन शुरू में जिन लोगों की दरख्वास्तें ५३ तक की थीं, अब जैसा कि चार-छः महीने पहले निर्णय लिया उनको भी लेने का, तो उस आधार पर जो प्रार्थना-पत्र पहले खारिज हो गये उनको फिर से रिवज़िन करने का विचार रखते हैं?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: जो आधार हैं और जिन आधारों पर रिव्यू करने का हमने रूल्स में अमेन्डमेन्ट किया वह प्रोवाइड कर दिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या जो '५३ में काबिज थे उनको भूमिहीन मान लिया जावेगा?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: वर्षों से मुकदमे फैसल हो चुके, उनको रीओपन करने का सरकार का इरादा नहीं है।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट, श्री गणपतिलाल वर्मा।

माण्डलगढ़ ग्राम विकास पंचायत को निर्माण कार्य के लिये दी गई धन-राशि

२६५. **श्री गणपतिलाल वर्मा (मांडलगढ़):** क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) माण्डलगढ़ ग्राम विकास पंचायत को वर्ष सन् ५८-५९, सन् ५९-६०, सन् ६०-६१ तथा सन् ६१-६२ में निर्माण के किस किस काम के लिये कितनी कितनी रकमें दी गई हैं?

(२) क्या उक्त रकमें जिस काम के लिये दी गई थीं वे उसी काम के लिये खर्च की गईं? यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में

(श्री गणपतिलाल वर्मा)

पंचायत के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(३) क्या उक्त वर्षों में दी गई सब रकमों के खर्चे के विधिवत् हिसाब प्रस्तुत हो गये हैं ? यदि हां, तो किस किस काम में कितनी कितनी रकम व्यय हुई ? व्यौरा सदन की मेज पर प्रस्तुत किया जाय।

उप-मंत्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी नहीं। कार्यवाही वसूली चलाई गई है।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री गणपतिलाल वर्मा : क्या यह रकम पंचायत कोष में जमा है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी हां।

अध्यापकों के फिक्सेशन के मामले

२६६. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डोन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में शिक्षा विभाग के किस किस जिले के निरीक्षक के पास अध्यापकों के किस किस प्रकार के फिक्सेशन के कितने कितने मामले विचाराधीन हैं और कब कब से और क्यों ?

(२) इन मामलों में किस किस जिले में अध्यापकों की अनुमानतः कितनी कितनी रकम होगी ?

(३) इन मामलों के निपटारे के लिये सरकार की ओर से क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से संबंधित हैं। मै वहाँ सूचना प्राप्त करने के लिये प्रयत्नशील हूँ। इसलिये इसके उत्तर के लिये पन्द्रह दिन का समय और दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह प्रश्न पिछले सत्र में भी आया था और उससे पहले वाले सत्र में भी आया था, उस पर भी उत्तर नहीं मिल रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आप खुद भी इनको जल्दी कराने में इन्ट्रेस्टेड थे, फिर क्या हुआ ?

श्री भैरोंसिंह : पिछले सत्र में भी यह प्रश्न आया था और उस समय भी यही उत्तर दिया गया था।

श्री अध्यक्ष : सरकार की ओर से उत्तर नहीं आया, इसलिये हम छाप नहीं सके। अब आप इसका उत्तर पन्द्रह रोज के अन्दर अन्दर दे दें।

श्री भैरोंसिंह : हर सत्र में इस प्रकार का सवाल आता है, हर बार यही उत्तर दिया जाता है, जब कि सब-इन्सपेक्टोरेट में फाइलें हैं, फिर भी आप उत्तर नहीं मँगा सके।

श्री अध्यक्ष : सामान्य दृष्टिकोण से भी प्रशासन के पास में यह सूचना आवश्यक है कि कितने अध्यापक हैं और कितनों का फिक्सेशन हो चुका है।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मंत्रीजी के पास जितने जिलों की जानकारी आई है वही दिलवा दें।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आई नहीं।

श्री भैरोंसिंह : कोशिश ही नहीं की तो आवे कहाँ से।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आपको जैसी अध्यापकों में दिलचस्पी है उससे भी अधिक राज्य सरकार को है। जब आपने सवाल नहीं रखा था उससे पहले से हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि अध्यापकों का फिक्सेशन हो जाय। यह मामला पड़ा हुआ है, यह ख्याल आपका गलत है।

श्री अध्यक्ष : सितम्बर, १९६२ से पड़ा है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न पूछा था जयपुर जिले के कितने अध्यापकों के क्लेम दे दिये गये हैं। उस समय आपने सूचना दी थी और आज आप कह रहे हैं किसी जिले की सूचना नहीं है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में क्या क्या प्रयत्न कर रहा हूँ वह सब जानकारी मैं आपको चैम्बर में दूंगा, अपने प्रयत्न सामने रख दूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री जुझारसिंह।

भू-प्रबन्ध विभाग के भू-मापक की नई वेतन-श्रृंखला

२६७. श्री जुझारसिंह (चेचट) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या भू-प्रबन्ध विभाग के भू-मापक (अमीन) चकबन्दी के सर्वेअर्स व फोरेस्ट सेटलमेंट के अमीन एक ही श्रेणी के कर्मचारी हैं व उनका काम करीब करीब एक सा ही है ?

(२) जबकि फोरेस्ट सेटलमेंट व चकबन्दी सर्वेअर्स का ग्रेड रिवाइज़ कर दिया गया है तो भू-प्रबन्धक विभाग के अमीनों का ग्रेड रिवाइज़ करने में क्यों विलम्ब हो रहा है और इनकी ग्रेड में फर्क रखने का क्या कारण है ?

(३) क्या यह सही है कि अन्य विभाग के कर्मचारियों की भांति भू-प्रबन्ध विभाग के अमीनों को डी. ए. नहीं दिया जाता है व नई वेतन-श्रृंखला में उनकी स्पेशल पे कम कर दी गई है ?

(४) भू-प्रबन्ध विभाग के भू-मापकों का कब तक ग्रेड रिवाइज़ हो जाने की आशा है ?

उप–मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) भू-प्रबन्ध विभाग केभू-मापक (अमीन) व चकबन्दी सर्वेअर श्रेणी तीन (मिनिस्टीरियल सर्विस) के कर्मचारी हैं तथा फोरेस्ट सेटलमेंट के अमीन द्वितीय श्रेणी (सबोर्डिनेट सर्विस) के कर्मचारी हैं। इन सब के कार्य में भिन्नता है और पद की जिम्मेवारी में भी अन्तर है।

(२) सरकार ने इस सम्बन्ध में एक कमेटी का निर्माण किया है।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा ।)

(३) भू-प्रबन्ध विभाग के भू-मापकों को फील्ड सीज़न (अक्टूबर से जून तक) डी. ए. नहीं दिया जाता; क्योंकि उनको अपने सर्किल में ही फील्ड पर रहना पड़ता है। यदि उसे सर्किल के बाहर भेजा जाता है तो डी. ए. दिया जाता है। नई वेतन श्रृंखला में उनकी स्पेशल-पे बन्द कर दी गई थी, बाद में राज्य सरकार के आदेश से दि० १-४-६३ से वापिस शुरू कर दी गई।

(४) कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात्।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट , श्री तेजाराम गहलोत।

जिला पाली के कृषकों को खातेदारी के पर्चे

२६८. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या पली जिले में १५। १०। ५५ से ३१। १२। ६२ तक धारा १५ राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अनुसार जो कृषक १५। १०। ५५ को काबिज था लेकिन खातेदारी का पर्चा नहीं मिला था, उसे नामान्तरकरण शुल्क देना होता है ?

(२) जागीर रिज़म्पशन पर खुदकाश्तधारी से खातेदार दर्ज होने पर कितना नामान्तर करण शुल्क देय उक्त तारीखों तक होता है ?

(३) धारा १६ आर. टी. एक्ट के तहत शिकमी काश्तकारों से जो खातेदार बने उनसे उक्त तारीखों के बीच कितना कृपया नामान्तर करण शुल्क का देय होता है ?

(४) प्रश्न नंबर १ से ३ देय रकम में से सरकारी शेयर कितना जाता है, पटवारी के हिस्से कितना व लैन्ड रेवेन्यू इन्सपेक्टर को कितना हिस्सा जाता है ?

(५) उपरोक्त नामान्तरकरण मंजूर करने की ऑथोरिटी कौन है व उस ऑथोरिटी को कितना हिस्सा दिया जाता है ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां।

(२) पाली जिले में एक साल के लगान के हिसाब से दिनांक १५। १०। ५५ से ३१। १२। ६२ तक नामान्तरकरण शुल्क के ७, ३, २, ८६६) रु० होते हैं।

(३) पालो जिले में एक साल के लगान हिसाब से यह द्रव्य ६५, ६२ ३) रु० होता है।

(४) आँकड़ों का विवरण–पत्र सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(५) उपरोक्त नामान्तरकरण मँजूरकरने की ऑथोरिटी सम्बन्धित पंचायत है और उन्हें शुल्क के रूप में कुछ नहीं मिलता है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

श्री तेजाराम गहलोत : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे, राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा १३३ के तहत जो १५। १०। ५५ खातेदार बने खुदकाश्त खातेदार के बतौर म्युटेशन फीस आप एक पैसा भी नहीं वसूल कर सकते, यह गैर कानूनी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: माननीय अध्यक्ष , यह प्रश्न कई बार सरकार के सामने

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

आया है। इसको कानूनी तारीके से एग्ज़ामिन करवाया गया है। कानूनी सलाह के मुताबिक यह बात सही है, यह वसूल करना जायज़ है। कानून में कोई डिफेक्ट नहीं है, गलती नहीं है। कानून के अनुसार म्युटेशन फीस वसूल नहीं की जा सकती, यह गलत है।

श्री तेजाराम गहलोत : क्या यह सही हैं कि माननीय मँत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि इस प्रकार की म्युटेशन फीस चार्ज नहीं की जाय, इसके बारे में आदेश निकाल दिया जाय ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह आश्वासन कभी नहीं दिया गया था कि किसी भी जगह म्युटेशन फीस नहीं ली जाय। जिस सम्बन्ध में इस बात की चर्चा हुई उस बारे में निवेदन किया गया था कि यह सारा मसला सरकार के विचाराधीन है। सरकार ने इस पर प्रस्ताव बनाया है जिस पर अन्तिम निर्णय होने पर सामने आ जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल(अलवर) : जो लोग धारा १५ के तहत खातेदार बनते हैं उनके म्युटेशन की कार्यवाही होना जरूरी नहीं है, ऑटोमेटिकली दर्ज करनी चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: जो इसमें प्रश्न है वह म्युटेशन उस बात का नहीं है। इसमें खातेदारी राइट कनफर्म कर रहे हैं उस बात का है। कानून के अनुसार जिनको खातेदारी अधिकार मिले हैं, रजिस्टर में इन्द्राज कर दिये हैं जो इन्द्राज हैं वे कानून के विपरीत नहीं हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या यह फीस वसूल होती है उसका अधिकांश हिस्सा सरकार में नहीं आता, वह उन कर्मचारियों को चला जाता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १ अप्रेल या १ मई, निश्चित तारीख मुझे याद नहीं है, सरकार ने यह निर्णय कर लिया है म्युटेशन फीस पटवारी, रेवेन्यू इन्सपेक्टर आदि को देना बन्द कर दिया गया है। अब सारी रकम सरकारी खजाने में जाती है। इसलिये कोई अब रेवेन्यू इन्सपेक्टर या पटवारी को कम देने का प्रश्न करना सदन में माने नहीं रखता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कितना प्रतिशत रकम बन्द की है, उस अनुपात में म्युटेशन फीस के कम करने का सरकार विचार नहीं रखती ?

श्री अध्यक्ष: यह कानूनी बहस का समय नहीं है। नेक्स्ट।

एक माननीय सदस्य : पंचायतों को हिस्सा देने सम्बन्धी प्रश्न रह गया है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : प्रश्न संख्या २६६.

श्री श्योपतसिंह(हनुमानगढ़):कुछ और पूछना है, साहब। पूछना रह गया है।

श्री अध्यक्ष : यह कानूनी बहस का समय नहीं है।

पंचायत समितियों के अस्थायी कर्मचारी

श्री नत्थीसिंह २६६ (भरतपुर) : क्या सामुदायिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No 29

(श्री नत्थीसिंह)

(१) क्या यह सही है कि २ अक्टूबर, १६५६ से कुछ समय पूर्व ही राज्य सेवा में नियुक्त अस्थाई व्यक्तियों को उक्त दिन से पंचायत समितियों की सेवा में स्थानान्तरित कर दिया गया और उनकी सेवाएं पंचायत समितियों में स्थायी मान ली गईं ?

(२) क्या यह सही है कि अनेक कर्मचारी ऐसे भी हैं जो उपरोक्त कर्मचारियों से पहले से राज्य-सेवा में अस्थाई रूप से नियुक्त हैं और उनका स्थानान्तर पंचायत समितियों में २ अक्टूबर, १६५६ से बाद में किया गया और उन्हें अब तक भी पंचायत उप-समिति की सेवा में अस्थाई ही माना जा रहा है ?

(३) क्या सरकार ने उपरोक्त विषमता को दूर करने के लिये कोई कदम उठाये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं,तो क्यों नहीं ?

उप-मन्त्री, सामुदियक विकास (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां।

(२) राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद नियमों में राज्य सेवा से पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा में स्थानान्तरण होने का प्रावधान है, किन्तु वे उक्त सेवा के सदस्य नहीं होते। पंचायत समिति में अपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर रहते हैं।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि जो कर्मचारी २ अक्टूबर, ५६ को राज्य सेवा में थे और वहां से जिला परिषद की सेवा में गये वे परमानेन्ट हो गये और जो पांच दिन या दस दिन बाद गये वे आज तक अस्थायी हैं। तो यह अनोमोली हटाने का आप प्रयत्न क्यों नहीं करते ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : वे डेपुटेशन पर आये हैं।

श्री नत्थीसिंह : वे डेपुटेशन पर नहीं हैं। ट्रान्सफर किये गये हैं, उनकी बात कहता हूँ।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : आप कौनसी बात कह रहे हैं, कोई इस तरह का नाम हो तो बताइये। हम जांच करेंगे।

श्री नत्थीसिंह : यह तो एक नहीं, कई हैं। जो एल. डी. सी. थे एक अक्टूबर को और एक अक्टूबर को उनको सर्विस में आये छः महीने से अधिक हो गये, उनमें से जिनकी सर्विस जिला परिषद को २ अक्टूबर को ट्रान्सफर हो गई उनको सबको स्थाई मान लिया गया; पर जिनका ट्रान्सफर २ अक्टूबर के एक दिन या दो दिन बाद किया गया या दस दिन बाद किया गया या बाद में किया गया उनको स्थाई क्यों नहीं किया गया; वे आज भी अस्थाई ही माने जा रहे हैं ? यह मेरा प्रश्न सीधा सा है और जनरल नेचर का है; एक, दो पर्टीकुलर व्यक्तियों का प्रश्न नहीं है।

श्री भवानीमंकर नन्दवाना : ऐसे मामले हैं तो ध्यान में लाये जावें।

श्री नत्थीसिंह : ऐसे तो बहुत मामले हैं। हर एक पंचायत क्षेत्र में हैं।

श्री रामकिशन : हर जिले में यह स्थिति है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): आप एग्री करते हैं कि क्या ऐसा नहीं हो रहा है ? Does the Minister contest this statement ?

एक माननीय सदस्य : आपको व्यक्तिगत बातें सुनने की ही आदत है। हरेक जिला परिषद् में ऐसे आदमी मिलेंगे जो अस्थाई थे पहले सरकारी सर्विस में, उनमें से जिनका ट्रान्सफर २ अक्टूबर को हुआ वे तो स्थायी बना दिये गये, पर जिनका ट्रान्सफर उनमें से २ अक्टूबर के बाद १० दिन बाद ही हुआ तब भी अस्थाई ही माना जा रहा है, उनको स्थाई नहीं किया गया। सब जगह यही स्थिति है। आप एक-दो का क्या पूछेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आप इसकी जांच करवा लीजिये। व्यक्तिगत बताने की जरूरत नहीं हैं। जनरल कहा गया है।

प्रश्न संख्या ३७०

श्री अध्यक्ष : श्री मजलिस खां।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन।

बीकानेर शहर की सहकारी समितियों द्वारा निर्माण कार्यों के ठेके

३०१. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बीकानेर शहर में कुल कितनी ऐसी सहकारी समितियां है जो निर्माण कार्यो (यथा इमारतें, सड़कें आदि) का ठेका लेती हैं ?

(२) क्या उपरोक्त समितियों का उनके निर्माण के तुरन्त बाद से वार्षिक ऑडिट होता आया है ? अगर हाँ, तो प्रत्येक समिति का नाम एवँ उनके ऑडिट की तारीख की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) ऑडिट के दौरान कोनसी समितियों का कारोबार लाभ में पाया गया तथा उन्होंने लाभ का वितरण किस प्रकार किया ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) बीकानेर शहर में कुल १३ ऐसी सहकारी समितियां हैं जो निर्माण कार्य यथा ईमारतें, सड़कें इत्यादि का ठेका लेती हैं।

(२) समितियों की ऑडिट स्थिति की पूर्ण सूचना की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) ऑडिट के दौरान मे ५ समितियां ऐसी थीं जो कि लाभ में पाई गई, जिनका विवरण निम्न प्रकार हैं :—

समिति का नाम	वर्ष जिसमें लाभ हुआ
१. पश्चिमी राजस्थान श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि०	१६५६-६०
२. बीकानेर श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि०	५६-६० और ६०-६१
६. नवनिर्माण श्रमिक ठेका सहकारी समिति	६१-६२

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

४. राजस्थान वुडवर्क्स एण्ड कन्स्ट्रक्शन सहकारी समिति लि० ५६–५७ से ६०–६१ तक

५. जिला खनिज एवं उत्पादक सहकारी समिति लि० ५६–५७ तथा ५८–५६ से ६१–६२ तक।

इन समितियों का लाभ–वितरण नहीं हुआ, कारण कि इन समितियों के लाभ-वितरण के प्रयोजन समितियों द्वारा सहायक रजिस्ट्रार, बीकानेर को प्राप्त नहीं हुए।

श्री भीमसेन : जो सहकारी समितियां हानि में चल रही हैं उनको आर्थिक या अन्य प्रकार की सहायता या एडवान्टेज देने की बात सरकार सोच रही है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यदि ऐसी परिस्थिति सामने आवेगी तो जरूर विचार किया जावेगा।

उप-जिलाधिकारी, परबतसर की कोर्ट में लम्बरदारी के मुकदमे

३०२. **श्री हनुमानसिंह चौधरी** (नावा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) इस समय उप–जिलाधिकारी, परबतसर के कोर्ट में लम्बरदारी के कितने मुकदमे-जेर तजवीज़ हैं ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या सरकार यह महसूस नहीं करती है कि प्राय : हर वर्ष हर गांव में लम्बरदारी के सवाल को लेकर झगड़े पैदा होते हैं एवँ इससे किसान व सरकार दोनों को व्यर्थ का प्रशासनिक खर्चा व दिक्कत सहनी पड़ती हैं ?

(३) क्या ऐसी स्थिति में सरकार इस पद का उन्मूलन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा):(१) आठ मुकदमे जेर तजवीज़ हैं, जिनकी सूची इस प्रकार है:(१) उचेरिया (२) जावदी नगर (३) टोडास (४) गुलर (५) कुचियाला (६) हिरढाणी (७) बीलू (८) चारनावास।

(२) जी हां।

(३) जी हां, इस प्रथा की समाप्ति के लिये निर्णय लिया जा चुका है।

प्रश्न संख्या ३०३

पंचायत समिति पीपलखूंट में सड़कें बनाने पर खर्चा

३०३. **श्री विठ्ठल** (बांसवाड़ा) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला बांसवाडा, पंचायत समिति पीपलखूंट में सन् १६६० से १६६३ तक सड़कें बनाने के लिये कितनी रकम का प्रावधान था ?

(२) अब तक कितनी रकम सड़कों में खर्च हो चुकी है और कहां से कहां तक सड़कें बनी हैं ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशँकर नन्दवाना) :अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर अभी नहीं आ सका है इसलिये

(श्री भवानीशंकर नन्दवाना)

अगले सप्ताह इसका उत्तर दिया जावेगा ।

मुआफीदारान की जमीनों से बेदखली, जिला गंगानगर

३०४. **श्री श्योपतसिंह** (हनुमानगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि गंगानगर जिले के मुआफीदारान को उनकी पुश्तैनी जमीनों से बेदखल किया जा रहा है ? अगर हां, तो क्यों ?

(२) क्या यह सही है कि जिला गंगा-नगर के मुआफीदारान ने सरकार को उपरोक्त बेदखली के विरुद्ध कोई आवेदन-पत्र दिये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) जी नहीं । मुआफी की जमीनों पर विलेज सरवेन्ट्स (Village Servants) का पुश्तैनी हक नहीं है ।

(२) जी हां । इन मुआफीदारों ने सरकार को दरख्वास्तें दी हैं, जिन पर मामला जेर गौर है ।

श्री श्योपतसिंह : लगातार वे पचास साल से काश्त करते आ रहे हैं, वह तो सही है। और जो पटवारी जिस माफीदार के लिये कह दे रिपोर्ट कर दे, तो उन पर तो आप विचार करेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उनको हटाया ही तभी जाता है जब विलेज सर्वेन्ट्स की कन्डीशन्स, जो उनके साथ अटेच्ड हैं, उनका वे पालन नहीं करते । जो उनका पालन करते हैं और जब तक करते हैं तब तक तो हटाया नहीं किसी को ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या यह लैंड कैन्सिल करने से पहले नोटिस भी दिया जाता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि विलेज सर्वेन्ट पद के साथ जो कन्डी-शन्स अटेच्ड हैं, जिन कन्डीशन्स और शर्तों पर जमीनें दी गई हैं उनको, उन शर्तों की तामील अगर वे नहीं करते हैं सो-कॉल्ड विलेज सर्वेन्ट्स तो फिर शर्तों के अनुसार उन जमीनों को रिज्यूम करने का सरकार को अधिकार है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उसको कोई इसका शो-कॉज नोटिस दिया जाता है या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उसकी जो कार्यवाही नियमानुसार होनी चाहिये वह की जाती है और तभी रीज्यूम की जाती हैं वे जमीनें और दूसरे आदमी की नियुक्ति की जाती है और वह दूसरों को प्रोवाइड की जाती है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : माफीदारों को जमीन से बेदखल जब किया जाता है तो शो-कॉज़ नोटिस उनको नहीं दिया जाता और यूनिलेटरली उनको बेदखल कर दिया जाता है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अगर नहीं दिये गये होते तो अपीलें पेश नहीं हुई होतीं ।

श्री श्योपतसिंह ; जब आप विलेज सर्वेन्ट रक्खें और पटवारी को उन पर रखकर पटवारी की गुलामी करावें, उससे तो फिर इसे रखा ही क्यों जाता है ?

Page No 33

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह सारा मामला सरकार के विचाराधीन है कि इस एजेन्सी को रखा जावे या नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : एक प्रश्न यह है कि जो माफीदार लगातार काश्त करता आ रहा है,पर अगर उसने अपनी सर्विसेज़ पूरी नहीं की तो भी जिस प्रकार साधारण एक किसान को उस जमीन पर उसके कब्जे के आधार पर खुद–काश्त खातेदार माना है तो इसी कब्जे के आधार पर ऐसे माफीदार, जो उन जमीनों पर वर्षों से लगातार काश्त करते आये हैं उनको खातेदार क्यों नहीं माना जा सकता ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह सारा क्वेश्चन उसी से अलाइड है।

सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में अनियमितताएं

३०५. **श्री कुमारानन्द** (ब्यावर) : क्या शिक्षा मन्त्री उत्तर देने का कष्ट करेंगे:—

(१) क्या सरकार को ज्ञात है कि अनेक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों की नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है ?

(२) क्या सरकार जानती है कि ये शिक्षण संस्थाएं शिक्षकों के वेतन तथा फण्ड्स में अनियमितता व जालसाजी द्वारा बड़ी बड़ी रकमें हड़प जाती हैं ?

(३) क्या यह सही है कि अनेक शिक्षण संस्थाओं में सालों से एक ही व साधारण पढ़े–लिखे व्यक्ति के हाथ में सारा प्रबन्ध चला आ रहा है ?

(४) इन अनियमितताओं को दूर करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(५) क्या सरकार सहायता प्राप्त शालाओं के शिक्षकों के वेतन विवरण का प्रबन्ध सीधे अपने हाथों में लेने का विचार रखती है ?

(६) सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं द्वारा बरती जाने वाली निरन्तर अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए इन शालाओं का पूरा प्रबन्ध क्या सरकार अपने हाथ में लेने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : (१) संशोधित ग्रान्ट-इन-एड रूल्स में सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों की नौकरी की उचित सुरक्षा का प्रावधान कर दिया गया है।

(२) जी नहीं, क्योंकि इन संस्थाओं के हिसाब नियमित रूप से जांचे जाते हैं।

(३) हां, ऐसा कहीं कहीं है, क्योंकि यह अधिकार संस्था की प्रबन्ध समिति को है कि वह अपना सचिव चुने। अतः एक ही व्यक्ति बार-बार भी चुना जा सकता है।

(४) संशोधित ग्रान्ट-इन-एड रूल्स को, जो कि राजस्थान राजपत्र दिनांक २४ जनवरी, १९६३ में छप चुके हैं, उससे इसके लिये समुचित प्रावधान कर दिया गया है।

(५) नहीं। यदि आवश्यकता हुई तो सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में चैक (Cheque) से वेतन भुगतान कराने का अधिकार संचालक, शिक्षा विभाग को दे दिया गया है।

(६) निरन्तर अनियमितताओं के फलस्व-

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

रूप ऐसी संस्था की सरकारी सहायता बन्द की जा सकती है और उचित समय पर सरकारी नियन्त्रण में लेने का विचार भी नियमानुसार कर सकती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या एक्चुअली किन्हीं संस्थाओं में इस प्रकार का सिलसिला जारी किया जा रहा है कि डाइरेक्ट चैक के द्वारा पेमेन्ट किया जावेगा ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य: कालेजों में तो यह अपनाया गया है। मगर हायर सेकन्डरी स्कूलों के प्रश्न पर अभी नहीं अपनाया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में वहां के शिक्षकों को भी चैक द्वारा पेमेन्ट दिलाने की व्यवस्था की जा सकती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: क्या यह सही है कि इस सदन में यह आश्वासन दिया गया था सरकार की ओर से इस बारे में, कि तमाम ऐसी प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में डाइरेक्ट चैक के द्वारा पेमेन्ट कराने का प्रबन्ध कर दिया जावेगा ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य: वह एश्योरेन्स इस रूप में था कि ग्रान्ट-इन-एड रूल्स में ऐसा प्रावधान रख दिया जावे कि संचालक जब चाहें ऐसी विशेष परिस्थितियों में चैक के द्वारा पूरी तनख्वाहों का पेमेन्ट दिला सके।

श्री रामानन्द अग्रवाल: मैं एश्योरेन्स की बात कह रहा हूं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य: हां हां, मैं भी एश्योरेन्स के बारे में ही निवेदन कर रहा हूँ। इसलिए यह अब संचालक के अधिकार क्षेत्र में है कि वह जिनको दिलाना चाहे, विशेष परिस्थितियों को देखते हुए, तो वह दिला सके, ऐसा प्रावधान रूल्स में करने का आश्वासन था। तो ऐसी स्थिति में जिस प्रकार का एश्योरेन्स दिया गया था उसी प्रकार का एश्योरेन्स है। जहां शिकायत की स्थिति होगी वहां बराबर ऐसा किया जावेगा। यह विश्वास मैं फिर दिलाता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: इस तरह से तो उनके हाथों में आरबिट्रेरी पावर हो जावेंगे जिसको चाहेंगे मानेंगे, जिसको नहीं चाहेंगे, नहीं मानेंगे। आपका अनइक्विवोकल यह एश्योरेन्स था कि प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में डाइरेक्टली चैक द्वारा पेमेन्ट करना शुरू हो जावेगा।

श्री निरन्जननाथ आचार्य: ये वॉलन्टरी संस्थाएं हैं। ये नियम जिस तरह से आप रखना चाहते हैं अगर रख दिये जावेंगे तो निश्चित रूप से ये उन संस्थाओं पर जहाँ के प्रबन्धक और शिक्षक सभी परस्पर पूरे सहयोग से, पारस्परिक मेल-जोल से काम कर रहे हैं, उनकी प्रबन्ध समितियों पर कुप्रभाव डाल सकता है। इसलिये यह नियम इन संस्थाओं के लिये ज्यादा उपयोगी नहीं होगा जो अच्छी तरह चल रही हैं। कुछ संस्थायें हायर सैकन्डरी के रूप में अच्छी चल रही हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): अध्यक्ष महोदय, इस मसले पर जब शिकायतें आईं इस तरह की कि मास्टरों को डरा-धमका कर कम तनख्वाह दी जाती है और यह क्रिटिसिज्म हुआ। उस पर तो यह आश्वासन दिया और आश्वासन आपने ही नहीं दिया, बल्कि वित्त मंत्री ने स्वयं ने अपनी

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

स्पीच में दिया। उसके बाद आप यह प्ली लेते हैं, यह कहां तक उचित है कि उन्हीं संस्थाओं में जहां से शिकायतें आयेंगी उन मास्टरों के ऊपर मैनेजमेन्ट और भी अत्याचार करेगा ? इससे उन मास्टरों को और भी डर लगा रहेगा और वह शिकायतें नहीं कर सकेंगी। सवाल यह है कि उनको प्रोटेक्शन देने का यहां पर मैनेजमेंट के खिलाफ पूरा ख्याल रखा जाये। जब मैनेजमेन्ट आपको अकाउन्ट्स देता है और उनको पूरी तनख्वाह देता है तो आप भी तो देखें कि उनको पूरी तनख्वाह मिलती है या नहीं। उन संस्थाओं के पास रेकार्ड रहता है और उन रेकॉर्ड्स को देखकर मास्टरों को तनख्वाह चैक से दी जाये तो आपको क्या दिक्कत है ?

श्री निरंजन नाथ आचार्य : चैक से अगर तनख्वाह दी जाये, अध्यक्ष महोदय, इसकी विषम स्थिति को भी समझा जाये। चैक से तनख्वाह दी जाये तब भी जो संस्थायें इस प्रकार की हैं वे लेने से चूक नहीं सकतीं। शरारत के हजारों तरीके हो सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसी स्थिति में उन संस्थाओं की भी हालत विचारणीय है। ऐसी संस्थायें जिन्होंने नाम कमा लिया है, बकौल आपके उन संस्थाओं से तनख्वाह टीचर्स को चैक से दिलाने की स्थिति रखते हैं तो यह उसका इलाज नहीं है, लेकिन उचित व्यवस्था हम करने के प्रयत्न में हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : हाउस में जिस समय मैंने सवाल उठाया था तो आपने आश्वासन दिया था ...

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस लिए कि आश्वासन का मतलब प्रावधान से है। जो रिजिडिटी आप ले रहे हैं उससे नहीं है। चैक ही एक माध्यम नहीं है। चैक ही एक माध्यम नहीं है यद्यपि ग्रान्ट-इन-एड में इसका प्रावधान रख दिया गया है और वही आश्वासन कॉलेजेज़ के बारे में भी लागू कर दिया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर): चैक देने के बाद गड़बड़ होने की कम गुँजाइश है। अध्यापकों को यदि तनख्वाह चैक के जरिये दी जाती है तो उसमें शरारत की क्या गुंजाइश रहती है; यह समझाने का कष्ट करें ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह स्वयं माननीय सदस्य इसका ज्ञान रखते हैं। फिर भी मैं निवेदन करूं कि चैक से तनख्वाह देने के बाद डोनेशन का प्रश्न फिर भी रहता है। जिन संस्थाओं में काम करते हैं इधर तो वह ८० रुपये लेकर आये और उधर आकर २० रुपये वापिस डोनेशन के दे दिये।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह आपका लैक ऑफ सुपरवीज़न है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कई ऐसी बातें हो सकती हैं जिससे चैक से इसका तफसिया नहीं हो सकता।

श्री भैरोंसिंह : मेरा पर्टीकुलर प्रश्न है कि गवर्नमेन्ट के शिक्षा मंत्री महोदय ने इस सदन में जिस समय यह आश्वासन दिया था प्राईवेट शिक्षण संस्थाओं में चैक के द्वारा तनख्वाह भेजी जायेगी तो सरकार को ध्यान नहीं था कि इस सिस्टम से भेजी जाये तो उसके बाद भी गड़बड़ी होगी, इसलिए यह

(श्री भैरोंसिंह)

सिस्टम इन्ट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए ? मैं शिक्षा मन्त्री से पूछना चाहता हूँ उप-शिक्षा मन्त्री से नहीं ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : प्रश्न का जवाब मैं दे रहा हूँ और इस प्रांगण पर आश्वासन भी मैंने दिया था । मुझे ही आज्ञा दी जाये जवाब देने की ।

श्री भैरोंसिंह : आप तो शिक्षा मन्त्री को ह्यूमिलियेट करना चाहते हैं । जो कुछ उन्होंने आश्वासन दिया था उस समय उनके ध्यान में था या नहीं कि जो शिक्षा मन्त्री जवाब दे रहे हैं उसका क्या होगा । यह कुछ नहीं है, बल्कि शिक्षा मन्त्री महोदय ने जो आश्वासन दिया उससे दूर जाकर उनको ह्यूमिलियेट करने की कोशिश की जा रही है ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, यह कनफ्लिक्ट पैदा करने का आपका स्वभाव है और हमारे बीच में कनफ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं । उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि आश्वासन की भाषा क्या है, अगर आपके पास है तो आप सदन के सामने रख दें ।

श्री भैरोंसिंह : आपका जो आश्वासन था उसको मैं पढ़ दूँ । भविष्य के अन्दर प्राईवेट शिक्षण संस्थाओं में अध्यापकों को वेतन देने के संबंध में सदन को मैं यह आश्वासन देता हूं कि यह सब वेतन चैक के द्वारा भेज दिये जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष : इतना स्पष्ट तो कह नहीं सकते मन्त्री महोदय ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : वह कागज बदकिस्मती से आपके हाथ में है । मेरे हाथ में हो तो मैं उसका और स्पष्टीकरण ज्यादा कर दूं और यह भाषा मेरी भी नहीं मालूम होती है ।

श्री अध्यक्ष : हां, इतना साफ आप कभी कहते ही नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट । श्री मुरलीधर व्यास ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह बगैर कहे उठ जाते हैं उनको तो आप बोलने देते हैं और मैं सात बार उठा हूँ मुझे बोलने भी नहीं देते । मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ; उसमें मैं यह पूछना चाहता हूँ कि समस्या आज यह नहीं है । आपने जो आश्वासन दिया इस वजह से दिया कि उनके पास पैसा नहीं पहुंचा, क्योंकि हमारे वित्त मन्त्री महोदय की हैसियत से जो आज शिक्षा मन्त्री हैं उन्होंने बताया कि पूरी तनख्वाह लेकर चन्दा देते हैं। हमें कोई ऐतराज नहीं है अगर यह मास्टर लोग चैक लेकर तनख्वाह दे दें तो वालेन्टियर हो जाये । आज तो संस्थाओं के अन्दर जबरदस्ती उनसे पैसा काट लिया जाता है और ज्यादा रुपये के ऊपर दस्तखत किये जाते हैं । शिक्षा संस्थाओं में जब यह बेईमानियां होती हैं तो बच्चों के ऊपर भी यह असर करती हैं । इसलिए आपने आश्वासन दिया था, सही दिया था । आप क्या यह ठोस समझते हैं कि यह तनख्वाह आई० ओ० एस० हैं उनके दफ्तरों से मिल जायेगी, वहां जमा हो जायेगी? आपके दफ्तर से जो ४५ पर्सेन्ट रुपया मिलता है, उनका जो रुपया इकट्ठा होता है, हमारे बच्चे जो फीस देते हैं उससे उस रुपये

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

में अपना अनुदान मिला कर क्या आई० ओ० एस० ऑफिस से तनख्वाह बंटवाने के लिये यह प्रबंध करें तो इस तरह का आश्वासन दे सकते हैं ? आप इसको टालना चाहते हैं; सीधा जवाब नहीं देना चाहते ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, आपने तो सीधा प्रश्न पूछा और इसका सीधा उत्तर जब तक कि सारी स्थिति पर वापिस नहीं देखा जाये बड़ा कठिन है । इसके अन्दर दिक्कतें हैं । संस्थायें चलती हैं । मेरा विश्वास है कि माननीय सदस्य ने कोई संस्था चलाई नहीं है और न उसका अनुभव है...........

श्री भैरोंसिंह: संस्था चलाने वाले मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था ।

श्री निरंजननाथ आचार्य: I am in possession of the floor, Sir, and I seek your protection, Sir,

मैं यह निवेदन कर रहा था कि संस्थायें वॉलेन्टरी एजेन्सीज़. के आधार पर, डोनेशन्स बेसिस पर और हमारी ग्रान्ट-इन-एड की बेसिस पर चलती हैं । कहीं कहीं दो दो महीने की तनख्वाह रुकी रहती हैं । मैं मानता हूं ऐसी संस्थायें किस गति से आगे बढ़ती हैं । इसका कुछ अनुभव करते हुए हमने यह प्रावधान ग्रान्ट-इन-एड के रूप में रखा है कि टीचर्स को प्रोटेक्शन ज़्यादा से ज्यादा दिया जाय । यहां तक कि टीचर्स को निकालने के प्रश्न पर अगर मैनेजिंग कमेटी कोई कदम लेती है तो उसकी अपील हमने अपने यहां रखी है और हम उसको वापिस री-इन्सटेट कर सकते हैं और इसी तरह के और टीचर्स के लिए प्रावधान रखे हैं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: आप प्रश्न का डेवीएशन कर रहे हैं । आप पेमेन्ट के बारे में कहें ।

श्री निरंजननाथ आचार्य: I am in possession of the floor, Sir.

इसलिए मैं यह अर्ज कर रहा था कि आश्वासन जिस कॉन्टेक्स्ट और जिस भाषा में दिया गया उसके आधार पर हमने उसका पार्ट परफॉर्मेन्स आरम्भ कर दिया । कॉलेजेज़ चलते हैं वहाँ चैक्स के आधार पर किया । इसी तरह से संस्थाओं में जहां जहां इसकी शिकायतें हैं वहां पर हम चैक के द्वारा दिलाने का प्रावधान कर रहे हैं और जहां शिक्षकों में और मैनेजिंग कमेटी में सहयोग है वहां हम नहीं चाहते कि यह प्रावधान लागू किया जाये । जो संस्थायें चाहती हैं कि चैक के आधार पर तनख्वाह दिलाई जाये तो वहां प्रावधान है और वहां चैक के द्वारा दिलाने का प्रावधान करेंगे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार आश्वासन देगी कि जिन संस्थाओं के टीचर्स यह डिमाण्ड करें कि उनको चैक से पेमेन्ट किया जाये तो गवर्नमेन्ट बगैर किसी उज्र से उनको चैक से पेमेन्ट करा देगी ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य: दूसरा, अध्यक्ष महोदय,........

श्री अध्यक्ष : सोच समझकर आश्वासन दें ।

Page No 38

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैंने अर्ज किया कि जहां चैक का प्रश्न आता है तो कहीं पर बैंक होती है, कहीं पर नहीं, यह भी एक प्रश्न रहता है। इसलिए आपका सवाल ठीक नहीं कि शिक्षक यह मांग करें। मुझे इसमें खतरा मालूम होता है। शिक्षक स्वय बुद्धिमान हैं, कि किस आधार पर मांग करें। किसी आधार पर मांग करें तो संस्था अगर गड़बड़ी में चल रही हो तो ही यह प्रश्न पैदा होता है। लेकिन फिर मैं विश्वास दिलाता हूं कि यदि किसी के इन्स्टीगेशन पर मांग करें तो विचार करेंगे। हम यह समझेंगे इस चैक के माध्यम को लागू करने से दरअसल में यहां अध्यापकों को खतरा है। प्रावधान ग्राट-इन-एड में है। उसमें कोई रुकावट नहीं हो सकती है इस मसले में।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : I will seek your intervention, Sir, in this matter.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पिछली बार भी, अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि साहित्य सदावर्त के ओरीजनल और डुप्लीकेट अकाउन्ट्स इस सदन में प्रस्तुत किये थे और यह सारा दिखाया था। उस समय यह प्रश्न उठा था। ओरीजिनल अकाउन्टस जो मैंने पेश किये थे उसमें पेमेन्ट कुछ और दिखाया गया था और गवर्नमेंट को सम्मिट दूसरे किये गये थे, तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जवाब दिया था और शायद उनको पेमेन्ट कुछ दिनों के लिए स्टॉप भी किया गया था। उसकी एन्क्वायरी की गई थी। माननीय मंत्री भी उसकी मैनेजिंग कमेटी के मेम्बर थे। मैं निवेदन करना चाहता था कि उस समय ऐसा आश्वासन दिया था कि सरकार जागरूक है और सदन में इस प्रकार का वातावरण बना और मांग की गई थी और हड्डंडी के सम्बन्ध में जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने तथ्य रखे थे जिनको सरकार ने स्वीकार किया था और कहा था कि सरकार चाहती है कि शिक्षकों का शोषण न हो और उनकी दशा सुधारी जाय। इस प्रकार की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया था, और केटेगेरिकली दिया था, कि इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जायगी। अब इस प्रकार से क्यों मुकराना चाहते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, ऐसी संस्थाओं में कई बड़े बड़े लोगों को प्रेसीडेन्ट बना दिया जाता है, सजाने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए। वे चैक से नहीं करते हैं तो जितना पर्सेन्टेज सरकार देती है उस पर्सेन्टेज में जो मास्टरों की तनख्वाह के लिए सरकार देती है वह तो कम से कम चैक से पहुँच जाय। मैं यहां तक अपील करूंगा कि सरकार जो सबमेन्शन ऑफ तनख्वाह है उस सब में प्रोपोर्शन से चैक बनाकर कम से कम मास्टरों को दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : इस तरह बहस करने से कोई मतलब नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : The Chief Minister is in the House. This is a very important question. यह हाउस की प्रेस्टीज का सवाल है कि आपने एक सोलेम एश्योरेन्स दिया है इस हाउस में। We would like to know what the Chief Minister has to say about it. Whether they stand by the solemn assurance given to

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

this House or whether they want to resile from it.

श्री कुमारानन्द : अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट संस्थाओं में मास्टरों को बराबर तनख्वाह नहीं मिलती है। एक प्राईवेट संस्था को मैं जानता हूं कि जहां एक ही दिन में ३ शिक्षकों को डिसमिस कर दिया गया था। उनकी कोई इन्क्वायरी नहीं हुई। ऐसे भी प्राईवेट संस्थाएं हैं जहां तनख्वाह तो १००) रु० लिखी जाती है और दिये जाते हैं ५०) इस तरह की बहुत सी संस्थाएं हैं। इसलिए अगर सरकार इनको अपने हाथ में लेले तो बहुत अच्छा हो।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाडिया): अध्यक्ष महोदय, पिछली बार क्या आश्वासन दिया गया उसके ठीक शब्द तो मालूम नहीं, जिसकी वजह से कहूँगा कि उससे पीछे का या और कोई प्रश्न है, लेकिन संस्थाओं के जो टीचर्स हैं उनकी तनख्वाहों के बारे में यह एक सवाल उठा कि जो कुछ तनख्वाह दी जाय उसमें सरकार जो एड देती है और साथ ही साथ जो संस्था चन्दा लाती है उन दोनों को मिलाकर गवर्नमेंट इन्सपेक्टोरेट से उनके चैक इश्यू किये जायं। उनके टीचर्स को, यह मैं समझता हूँ कि यह गलत परम्परा होगी, क्योंकि उससे जो संस्थाओं का स्वयं का प्रयास है उसके ऊपर एक तरह से अविश्वास करना और उनके चन्दे के के रुपये को भी इन्सपेक्टोरेट में मंगवाना और मंगवा कर उसके बाद उनको चैक से पेमेन्ट किया जाय, यह सही बात नहीं है। लेकिन अगर किसी संस्था में वहां के टीचर्स इस बात के लिए अपनी इच्छा जाहिर करें कि उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से टीचर्स की जो सैलेरी की जो पर्सेन्टेज ग्रान्ट-इन-एड के रूप में दी जाती है वह प्रोपोर्शनल पर्सेन्टेज गवर्नमेंट के वहां से चैक के जरिये टीचर्स को दी जाय अगर यह किसी संस्था के टीचर्स की तरफ से मांग की जाय तो मैं ऐसा समझता हूँ कि शिक्षा विभाग को उसके देने के बारे में अपनी तैयारी रखनी चाहिए और देना चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इससे कोई रिलीफ नहीं मिलने वाली है। इससे कोई मिसचीफ नहीं रुकने वाली है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैं अर्ज करूं कि गवर्नमेंट जो कुछ ग्रान्ट-इन-एड देती है उस ग्रान्ट-इन-एड का जो हिस्सा टीचर्स को जाना चाहिए वह टीचर्स को हिस्सा पहुँचे, उसके बारे में गवर्नमेंट कहकर चल सकती है।

दूसरा, जहां तक संस्थाओं का सवाल है, उन संस्थाओं के बारे में जहां शिकायतें आयें और उन शिकायतों की जांच करने के बाद ऐसा मालूम हो कि वे संस्थाएं ठीक तरह से पेमेन्ट नहीं कर रही हैं और रुपये का दुरुपयोग करती हैं वहां पर चैक का सिस्टम लागू किया जाय। यही नहीं उसकी ग्रान्ट-इन-एड बन्द कर दी जाय। लेकिन यह कह देना कि एक ही सिद्धान्त मान लें कि सब को चैक्स से पेमेन्ट किया जाय और चैक सिस्टम को लागू किया जाय तो वह सरकार के लिए विस्तार से एग्ज़ामिन करने की बात हो सकती है। पिछली बार क्या कहा गया और क्यों पूरा नहीं किया गया, इसकी पूरी जानकारी के बिना कमिट करना मुश्किल बात है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ग्रान्ट-इन-एड का प्रोविज़न क्यों कर दिया ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन है ।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से हमेशा निवेदन करता रहा हूं कि ज्यादा पूरक प्रश्न नहीं पूछें । एक प्रश्न के पीछे २ या ४ मिनट दिये जा सकते हैं, लेकिन १०-१० और १५-१५ मिनट तक लगातार चलता रहे तो कैसे सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं ।

एक माननीय सदस्य : बहुत इम्पोर्टेन्ट है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य संयम रखना सीखें ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष, मेरे प्रश्न के संबंध में....

श्री अध्यक्ष : राजस्थान सैकण्डरी एज्यूकेशन (सैकण्ड एमेण्डमेंट) बिल ।

श्री मुरलीधर व्यास: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न का नम्बर बतलाया था तो उसके लिए क्या उसको स्थगित समझा जाय ?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न समाप्त हुए । ऑर्डर प्लीज़, स्थगित नहीं समझा जा सकता है । जैसे दूसरे प्रश्नों पर असर होगा वही इस पर होगा ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने प्रश्न भी पूछ लिया था और उसका उत्तर माननीय मुख्य मंत्री के पास भी है ।

श्री अध्यक्ष : क्या छोटी सी बात के लिये माननीय सदस्य सदन का समय लेते हैं ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तरों के लिये कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

३. ५५ म० प०

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १६६२

(वापिस लिया जाना)

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप मन्त्री, शिक्षा) अध्यक्ष : महोदय, मैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १६६२ को वापिस लेने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Why do you want to withdraw ? Reason ! सदन का इतना समय लिया गया तो कारण बताएं कि क्यों वापिस लेना चाहते हैं ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने भी कई बार संकेत किया है इस प्रश्न पर कि कोई लेजिस्लेशन पीसमील में नहीं आने चाहिए । उसी आधार को लेते हुए चूंकि चटर्जी कमेटी की एक रिपोर्ट आई है उसका अध्ययन अवशेष है जिसमें इस बिल के सम्बन्ध में सुझाव मिलते हैं, वह स्थिति मेरी यह मान्यता है कि अगर इस बिल में लाया जाय और इस को पूर्ण रूप

Page No 41

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

से लाया जाय और जितने अमेंडमेंट अवशेष रहते हैं चटर्जी कमेटी के सुझाव के आधार पर तो उनका भी समावेश कर दिया जाय। यह अनेक कारणों में से एक कारण है जो कि सदन के सम्मुख रखना चाहता हूँ, इस बात के लिए कि यह पीसमील लेजिस्लेशन नहीं हो और सम्पूर्ण रूप से सेकण्डरी एज्यूकेशन बिल लाया जा सके।

इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष महोदय, कि फिज़ीकल ट्रेनिंग कॉलेज जो चल रहा है उसमें एक तो सर्टीफिकेट कोर्स है और दूसरा डिप्लोमा कोर्स है। तो डिप्लोमा कोर्स युनिवर्सिटी को देने के प्रश्न पर हमारा विचार चल रहा है। इसलिए कौन से कोर्स और सर्टीफिकेट बोर्ड को दिये जायं उनके प्रावधान के प्रश्न पर अधिक से अधिक विचार करना है। इस मुद्दे को सामने रखते हुए आनेवाला लेजिस्लेशन पीसमील में नहीं हो और पूर्ण रूप से हो, इसलिए यह लिया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चटर्जी कमेटी के सुझाव आपको कब प्राप्त हुये, जिनको आप इस लेजिस्लेशन में लेना चाहते हैं?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : उनको एग्ज़ामिन किया जा रहा है। सुझाव प्राप्त हुए उसकी तिथि नहीं कह सकता। वे रीकमन्डेटरी हैं। उनको एग्ज़ामिन किया जा रहा है और किस किस रूप में परिवर्तन ला सकते हैं, इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री रामकिशन बैर : यह जो आप फरमा रहे हैं कि चटर्जी कमेटी की सिफारिश की वजह से रोक रहे हैं तो प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन में बताया गया है –

"माध्यमिक शिक्षण के स्तरों के सम्बन्ध में शासन द्वारा नियुक्त चटर्जी जाँच समिति ने भी अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और शासन ने माध्यमिक शिक्षा प्रणाली के संबंध में शिक्षा स्तर व समन्वय समिति की सिफारिशों को करीब करीब स्वीकार कर लिया है।"

जब चटर्जी कमेटी की सिफारिश को करीब–करीब स्वीकार कर लिया है तो यह प्रश्न कहाँ उठता है?

(४ म. प.)

श्री निरंजननाथ आचार्य : स्वीकार तो तब किया जायगा जब सदन स्वीकार करेगा। जब तक लेजिस्लेशन नहीं लाया जायेगा तब तक स्वीकार कैसे होगा? करीब करीब स्वीकार करना, 'करीब करीब' शब्द कितने महत्व के हैं, 'करीब करीब' में कई बातें आ जाती हैं। पूर्ण स्वीकार नहीं हुआ।

श्री रामकिशन : फिर करीब करीब मानने का मतलब क्या है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a point of privilege, अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गंभीर मामला है। यह बात सही है कि नियमानुसार सरकार को अधिकार है कि किसी भी विधेयक को किसी भी स्टेज पर वापिस ले सकती है। लेकिन मैं निवेदन करूँगा इसे वापिस लेने के बारे में मैंने जब जानकारी चाही कि इसको क्यों वापिस लिया जा रहा है तो जो कारण माननीय उप-मंत्री, शिक्षा विभाग ने बताया

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

वह यह है कि चटर्जी कमेटी के सुझाव राज्य सरकार के पास आये हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, पीसमील में अमेन्डमेन्ट नहीं लाकर एग्ज़ास्टिव फॉर्म में लाना चाहते हैं, इसलिये इसे वापिस ले रहे हैं। इस पर जब मैंने पूछा कि चटर्जी कमेटी की रिपोर्ट कब आई, तब कहा कि एग्ज़ामिन कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सदन में इस प्रकार की धारणा करना कि चटर्जी कमेटी इस संबंध में बनी थी, उसकी रिकमन्डेशन आई थी उसको एग्ज़ामिन नहीं किया है, उस पर फैसला नहीं लिया है, एग्जामिनेशन की स्टेज पर है, फैसला लेने के बाद एग्जॉस्टिव लेजिस्लेशन लायेंगे। लेकिन अभी एक माननीय सदस्य ने प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट ६२-६३ में से एक अँश पढ़ कर सुनाया, जिससे पता चलता है कि चटर्जी कमेटी के सुझाव सरकार को प्राप्त हो चुके थे, सरकार ने उसको एग्ज़ामिन कर लिया था और सरकार ने उसको लगभग स्वीकार भी कर लिया है। ये तथ्य सामने होने के बाद फिर सदन को माननीय उप-मंत्री द्वारा गुमराह करना और यह कहना कि सरकार उसको एग्ज़ामिन कर रही है, मैं कहता हूँ कि उप-मंत्री के उच्च आसन पर बैठने के बाद इस तरह से कह कर सदन को गुमराह करना सदन के अधिकारों का दुरुपयोग है। उनको स्वीकार करनी चाहिये थी और कहनी चाहिये थी ये सारी बातें। उन्होंने यह सब इसलिये कहा कि सदन में आपत्ति नहीं उठाई जावे। जब इसको पेश करते समय बहस हुई उस समय सरकार ने क्यों नहीं कहा कि यह पीसमील है और चटर्जी रिपोर्ट के आधार पर कंसोलिडेटेड फॉर्म में लाना चाहते हैं ? उस समय तो मूव कर दिया, एक दिन का समय लग गया और अब कहते हैं कि विद्ड्रॉ करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार का इस प्रकार का रवैया ठीक नहीं है। सदन के सामने उनको सत्य बोलना चाहिये और स्पष्ट बात कहनी चाहिये।

श्री **निरंजननाथ आचार्य** (उप-मन्त्री, शिक्षा) : प्रश्न बहुत साधारण है। जैसा कि मैंने निवेदन किया इसमें दो ही अमेन्डमेन्ट हैं, आप यह चाहते हैं कि दोनों प्रस्तुत किये जाते और पास कर लिये जाते लेकिन जब मेरे सम्मुख यह आया तो मैंने मुनासिब समझा कि इसको एग्जॉस्टिव रूप में रखा जाय। आपने पढ़ा है करीब करीब चटर्जी की रिपोर्ट मानली गई। उनका मतलब यह है कि इस पर विचार कर लिया और मान लिया, लेकिन इसको बिल के रूप में इन्कॉरपोरेट करना महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस आधार पर दो ही अमेन्डमेन्ट न आकर इसका एग्ज़ॉस्टिव रूप हो, यह उद्देश्य रहा है। संपूर्ण रूप से विधेयक आ सकता है। मुझे समझ में नहीं आता कि माननीय सदस्य इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं। ये कहते हैं कि सरकार का खर्चा हो रहा है, मैं कहता हूँ कि मैं सरकार का खर्चा बचा रहा हूँ। दो, तीन अमेन्डमेन्ट्स पीसमील में आते तो खर्चा अत्यधिक होता। आपकी सुविधा और जनता की सुविधा के लिये चटर्जी कमेटी के सुझावों का समावेश हो सके, इस रूप में आवे इन भावनाओं से वापिस लेने का प्रस्ताव मैंने रखा है। आपकी भावना अन्य तरीके की है, यह समझ में नहीं आता। मैंने ८६ रूल में रखी है जिसके बारे में मेरा विश्वास था कि आप विरोध नहीं करेंगे और मुझे मौका देंगे कि

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

विस्तृत रूप में सदन के सामने इसको फिर रखूँ ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने कहा है कि चटर्जी कमेटी की रिकमन्डेशन्स को सरकार एग्जामिन कर रही है। मैंने क्लेरिफिकेशन चाहा कि ६-२-६३ को एग्जामिन हुई फिर आपने यह कैसे कहा कि इसको एग्जामिन कर रहे हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : एग्जामिनेशन से मेरा मतलब लीगल एग्जामिन करने से है। आप और हम और तरह से देखते हैं लेकिन लॉ डिपार्टमेन्ट और तरह से देखता है। हमारी भाषा में और लॉ डिपार्टमेन्ट की भाषा में बहुत ज्यादा अन्तर होता है। आप गलतियां निकालते हैं। मैंने स्वयं देखा है कि लीगल पोज़िशन में इन्कॉर्पोरेट करना महा मुश्किल काम है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका मतलब यह है कि चटर्जी कमेटी की रिपोर्ट को लीगली अब एगमिन करवा या जा रहा है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: आप एडवोकेट होते हुए भी कैसी बातें कर रहे हैं। चटर्जी कमेटी की रिपोर्ट की भाषा विधेयक के रूप में नहीं है, बल्कि सुझाव है। सुझाव की लीगल लैंग्वेज कैसे बनाई जाय, किस तरह से इनकॉर्पोरेट किया जाय, यह बहुत बड़ा मसला है। उनके सुझावों को मौका देना पड़ेगा, लीगल भाषा में उसका समन्वय करना पड़ेगा। सामान्य भाषा और लीगल भाषा में बहुत फर्क ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रिपोर्ट भी कहीं लीगली एग्जामिन हुआ करती हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : लीगल जामा पहिनाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: लीगल जामा पहिनाने की कोशिश कर रहे हैं या पायजामा पहिनाने की कोशिश कर रहे हैं ?

श्री रामकिशन (वैर): मंत्रीजी यह नहीं समझें कि हम उनकी मंशा पर शक कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं उसका जिक्र आपकी जो बेसिक स्टेटिस्टिक्स निकली है उसमें भी कहा कि चटर्जी कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार किया है, इस तरह के सुझाव दिये हैं ? उसके साथ साथ यह जोड़ा है कि मुदालियर कमेटी की रिपोर्ट को भी देख लिया है। जब इतने गंभीर रूप से एग्ज़ामिन हो गया है तो यह नहीं कहा जा सकता कि इस पर विचार नहीं किया है। जिस कारण से आप वापिस ले रहे हैं वह कारण उचित नहीं है। वापिस लेने में आपत्ति नहीं है, लेकिन एक जगह नहीं दो, दो जगह इसका उल्लेख किया गया है,प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट में और बेसिक स्टेटिस्टिक्स में तो मुदालियर कमेटी का भी जिक्र किया है। मेरी समझ में आप तो काफी पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी में आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो अंग्रेजी में मुझे पढ़ना पड़ेगा ....

श्री निरंजननाथ आचार्य : अंग्रेजी में पढने में आपको दोष हो जायगा।

श्री रामकिशन : मुदालियर कमेटी का भी इसमें जिक्र किया हुआ है, आप पढ लें। आप बिल जैसा भी लाना चाहे लावें, लेकिन

(श्री रामकिशन)

कम से कम अपने शब्द वापिस ले लें इतना ही काफी है।

श्री अध्यक्ष: केवल माननीय मंत्रीजी को ध्यान में रखने की बात यह है कि अब जब अमेन्डमेन्ट लावें तो मुदालियर कमेटी की रिपोर्ट और सारी बातों को सोच कर लावें।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सैकिन्डरी एजुकेशन (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६२ को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, शिक्षा) : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को वापिस लेता हूं।

(४.०८ म. प.)

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास (संशोधन) विधेयक, १९६३

(विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान पब्लिक ट्रस्टस (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६३.

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, देवस्थान): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान पब्लिक ट्रस्टस (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६३ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : इस विधेयक पर चर्चा चल रही थी आज, इसलिये इस पर हम तैयार नहीं हुए और वह विधेयक उन्होंने वापिस ले लिया।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी कृपया संक्षेप में बतादें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): इस संबंध में एक कमेटी बनाई थी उसकी बैठक सचिवालय में हुई थी। उसने कुछ सुझाव दिये हों तो मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि उन सुझावों के आधार पर सरकार और कुछ संशोधन लाना चाहती हो तो एग्जोस्टिव फॉर्म में ले आवे, फिर कहने का मौका न मिले कि हम वापिस ला रहे हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, देवस्थान): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट (अमेन्डमेन्ट) बिल १९६३, खास तौर से सदन के समक्ष इसलिये पेश किया है कि जो मूल विधेयक है उसके अन्दर टेम्पल्स के रजिस्ट्रेशन की जो अवधि निर्धारित की गई थी उसके लिए कानून लागू होने से तीन महीने की मियाद थी और वह १९६२ से शुरू होती थी। उसकी तीन महीने की अवधि समाप्त हो चुकी है। अब अवधि समाप्त हो चुकी है तो सरकार के सामने दो विकल्प रह जाते हैं-एक तो यह कि जिन्होंने इन तीन माह की अवधि में अपने पब्लिक ट्रस्ट्स एक्ट की डेफिनेशन्स के अन्दर आने वाले टेम्पल्स या प्रन्यासों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया उनके खिलाफ इसके तहत कार्यवाही करें, सजा दिलायें, मुकदमे चलायें और दूसरा यह कि हम कुछ अवधि बढ़ा दें, जिससे कि जिन लोगों ने लाइसेन्स नहीं लिया है, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है अपने पब्लिक ट्रस्ट का, जो कि

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

इसकी डेफिनेशन्स में आते हैं, वे रजिस्ट्रेशन करा सकें । अब रजिस्ट्रेशन करा सके, वे तीन महीने में क्यों नहीं करा सके और उसके बाद अवधि बढ़ाने की क्यों जरूरत हुई ? वह इसलिए हुई कि एक तो जो हमारा राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट्स एक्ट है इस समय उसके अन्दर कुछ प्रावधान हैं, जिनके सम्बन्ध में जो पब्लिक ट्रस्ट में आने वाली संस्थायें या व्यक्ति हैं, उनकी तरफ से एतराज हुए वेल्यूएशन के सम्बन्ध में । मसलन वेल्यूएशन के सम्बन्ध में यह कि आइडल और वेश हैं उनका वेल्यूएशन किया जाय फॉर दी रजिस्ट्रेशन पर्पज़ेज़ । इस तरह की कई बातें सामने आईं । इसलिए उन लोगों ने यह निवेदन किया कि रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ अवधि बढ़ाई जाय । साथ ही साथ बीच में कुछ एडवाइज़री बोर्ड कायम किये गये, निजी भी और राजस्थान लेवल पर भी । राजस्थान लेवल पर एडवाइज़री बोर्ड कायम किया गया । उसने भी अपनी रिपोर्ट के अन्दर इस अवधि को बढ़ाने के लिए इस्तदुआ की सरकार के सामने और उसने और भी कई विचार प्रस्तुत किये हैं, लेकिन वे सारे एक्ट की तरमीम के सिलसिले में हैं, जिसके कि अन्दर हिन्दू एन्डाओमेन्ट कमीशन रिपोर्ट के कुछ मुद्दे इनकॉर्पोरेट किये हैं । इन मुद्दों में से कुछ तरमीम करने लायक हैं, कुछ गवर्नमेंट के सुझाव हैं । कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो गवर्नमेंट के सामने पेश की है कुछ समय पहले, उनके कुछ मुद्दों पर विचार किया गया है । लेकिन गवर्नमेंट अभी उन पर पूरा विचार करके इस बात के निर्णय पर नहीं पहुंच सकी है कि उनकी कौनसी सिफारिश मानी जाय और कौनसी नहीं और जब तक अन्तिम निर्णय उनके सम्बन्ध में नहीं हो जाता है तब तक उसके सम्बन्ध में कोई बिल लाया जा सकना सम्भव नहीं । लेकिन इस कानून, जिसमें कि तीन महीने की अवधि थी, में उस अवधि को नहीं बढ़ाते हैं तो हमें मजबूरन सबके खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी और अगर हम कार्यवाही करते हैं जो समस्यायें और जो सुझाव उन्होंने सरकार के सामने विचार करने के लिए रखे हैं–उनमें से कुछ सुझाव अच्छे हों, जिनको मान सकना सम्भव हो-तो ऐसी सूरत में उनको कठिनाई होगी । इन सब बातों को मद्दे-नजर रखते हुए यह बिल प्रस्तुत किया गया है कि जो मियाद तीन महीने की है उसको दो साल कर दिया जाय । दो साल इस-लिए कर दिया जाय कि दो साल बिल के लागू होने के बाद नहीं माने जायेंगे । यह दो साल तीन माह के स्थान पर सब्सटीट्यूट किये जायेंगे । इसका मतलब यह है कि १–७-६२ से, जिस महीने में कानून लागू किया गया, वहाँ तीन महीने के बजाय दो साल की अवधि होगी और वह १६६४ तक खत्म हो जायगी । इसमें से तेरह महीने के करीब निकल चुके हैं और ग्यारह महीने बाकी हैं । वह इसलिए है कि इसके अन्दर जो कानून के अन्दर तरमीम करना चाहते हैं वह कर सकें और जिन मुद्दों पर स्पष्टीकरण चाही है वह हो सके और सबको रजिस्ट्रेशन के लिए सुविधा हो सके । आखिर यह धार्मिक मामला है, जो चेरिटेबल और रीलिजियस ट्रस्ट हैं, उनका सवाल है, उनकी भावनाओं का सवाल है–इन सारी बातों को कार्यान्वित करने के लिए इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए और यही विचार करके केवल अवधि बढ़ाने के लिए यह अमेंडिंग बिल सदन के सामने रखा है ।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पब्लिक ट्रस्ट्स (अमेंडमेंट) बिल जो है, उसके सम्बन्ध में अभी माननीय मन्त्री महोदय ने प्रकाश डालते हुए कहा है कि जो इसकी तीन महीने की मियाद थी, उस मियाद के अन्तर्गत जो भी ऐसे ट्रस्ट हैं उनमें से कुछ ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और इस वजह से अब उसकी मियाद को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इसके सम्बन्ध में यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहाँ तक पब्लिक ट्रस्ट का सवाल है, पब्लिक ट्रस्ट जितने भी हैं, चाहे वे एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स के हों, चाहे वे धार्मिक हों, चाहे और किसी प्रकार के हों-उनके सम्बन्ध में आज सबसे बड़ी बात हमें यह देखनी है कि राजस्थान में ऐसे कितने ट्रस्ट हैं और उन ट्रस्टों में से इस आदेश के बाद में या इस कानून के बाद में ऐसे कितने ट्रस्ट हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और रजिस्ट्रेशन नहीं कराने के लिए क्या कारण हैं—इसकी गहराई में भी जाना चाहिए । मैं इसके सम्बन्ध में अर्ज करना चाहता हूं कि बहुत से ट्रस्ट तो इस प्रकार के हैं कि जो ट्रस्ट को रजिस्टर्ड सिर्फ इसलिए नहीं करवाना चाहते हैं कि उस ट्रस्ट के अन्तर्गत जो धन-राशि है उसका वे मिसयूज़ करते हैं, उसका वे दुरुपयोग करते है और रजिस्टर्ड अगर वह हो जाता है तो उसके बाद उनको बराबर हिसाब देना पड़ेगा और तरीके से हिसाब–किताब रखना पड़ेगा ।

(४. १७ म० प०)

(राव श्री नारायणसिंह मसूदा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अब इस प्रकार की समस्या उनके सामने नियमों के अन्तर्गत आ जाती है तो यह बात सदन के सोचने के लिए है । ऐसी बहुत से ट्रस्ट्स हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है । मैं आपको ऐसे उदाहरण एक नहीं अनेक दे सकता हूँ। मेरी खुद की कॉन्स्टीट्यूएन्सी बीकानेर के अन्दर एक रामपुरिया ट्रस्ट है । उस ट्रस्ट के अन्तर्गत रामपुरिया कॉलेज है, जिसका इस ट्रस्ट द्वारा सँचालन होता है । अब यह एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन है और इस इन्स्टीट्यूशन् में पाँच लाख रुपया ट्रस्ट का जमा है । अब वह ट्रस्ट अगर इस कानून के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसको कानूनी तरीके से हिसाब देना पड़ता है अपने खर्च आदि का और जिस प्रकार वे रुपये का दुरुपयोग कर रहे हैं वह कर नहीं पाते हैं । इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि ट्रस्टीज़ भी कुछ लोग घर घर के ही हो जाते हैं और ट्रस्ट की जो धनराशि है उसका वे दुरुपयोग करते हैं । इस कॉलेज में ट्रस्ट का पाँच लाख रुपया है । इस रुपये का उस ट्रस्ट के कुछ लोग, कुछ ट्रस्टीज़ अपने काम में इस्तेमाल करते हैं, अपने व्यवसाय में इस्तेमाल करते हैं और उसका इन्ट्रेस्ट है वह केवल चार आना प्रति सैकड़ा व्याज है, कहीं कहीं तीन आना प्रति सैकड़ा तक व्याज देते हैं । अब जो पाँच लाख रुपया है, जिसको कि इन्ट्रेस्ट के ऊपर अगर हम दें, तो जैसे यहाँ के कॉरपोरेशन हैं, इन्डस्ट्रीयल कॉरपोरेशन, जो स्वयं कहते हैं कि हम सात पर्सेन्ट व्याज के ऊपर रुपया लेने को तैयार हैं। सात पर्सेन्ट पर रुपया लेने के लिए तैयार हैं, इस प्रकार के कॉरपोरेशन जो कि औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से काम करते हैं और वे पैसे की माँग करते हैं । ऐसी स्थिति में अगर ऐसी ट्रस्ट है जो कि इन्स्टीट्यूशन के पैसे को चार आना प्रति सैकड़ा व्याज की दर लगा कर लेते हैं और एजुकेशनल इन्स्टीट्यू-

Page No 47

(श्री मुरलीधर व्यास)
शन को नुकसान पहुँचाते हैं तो मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार को ऐसी ट्रस्ट पर बहुत बारीकी से निगरानी रखनी चाहिए। ऐसी स्थिति में केवल इस आधार पर कि क्योंकि उन लोगों ने ट्रस्ट को रजिस्टर नहीं कराया है इसलिए समय बढ़ा देते हैं तो ऐसी एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन, जैसी कि बीकानेर में यह कॉलेज है, जिसके पास में पैसा है और उसका जो ट्रस्ट है वह अपने आपको रजिस्टर नहीं कराता है तो यह हो सकता है कि आज जो इस ट्रस्ट के पास पाँच लाख रुपया जमा है, वह धीरे धीरे कल इधर से उधर हो जाय। उसके जो ट्रस्टीज़ हैं, जो कॉलेज को चला रहे हैं और जो उसका रुपया अपनी इन्डस्ट्रीज़ के अन्दर लगाते हैं उनका इन्डस्ट्रीज़ में घाटा हो जाय, उनमें नुकसान हो जाय और रुपया इधर से उधर हो जाय तो वह एजूकेशनल इन्स्टीटुयुशन, जो कि आज हजारों छात्रों को शिक्षा देती है उनकी शिक्षा के अन्दर भयानक नुकसान हो सकता है और एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन आगे जाकर टूट सकती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ सरकार को कि ऐसे जितने भी पब्लिक ट्रस्ट हैं, जिनके अन्दर धनराशि का दुरुपयोग हो रहा है उनकी बहुत गहराई से जांच करनी चाहिए। दूसरे सरकार को यह रिपोर्ट सदन के सामने पेश करनी चाहिए जिसके अन्दर सरकार कम से कम इस बात को तो बतावे कि हमारे राजस्थान के अन्दर....

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : On a point of order, Sir, हाउस का कोरम पूरा नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस ओर में आपका ध्यान दिलाता हूँ।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा खास कर यह दृष्टिकोण है कि अगर आपने इस प्रकार की उनको छूट दे दी एक, दो साल की तो इतने अर्से के बीच में जो धन–राशि इस वक्त में उनके पास मौजूद है और जो लोग ट्रस्टीज़ हैं और जिन्होंने आज तक ट्रस्ट को रजिस्टर्ड नहीं कराया है, वे ऐसे कानूनी रास्ते निकाल लेंगे कि जिसके जरिये जो मौजूदा समय में धन राशि जिस काम में लगी हुई है वह भी दूसरे काम में ले लेंगे। वे कुछ पॉवर्स ऐसे ले सकते हैं जिससे वह धन जो एज्यूकेशन के काम के लिये है वह उसके लिये न रहेगा, वे किसी दूसरे काम में ले लेंगे। तो इस तरह से ढील देने से कई प्रकार की परिस्थितियें पैदा हो सकती हैं। कोई व्यक्ति दान में धन दे कर ट्रस्ट बना कर चला जाता है और मर जाता है। उसका उद्देश्य यही होता है कि ट्रस्टीज़ लोग आगे जाकर उस धन का दुरुपयोग नहीं कर लें और उस धन को उसी काम में लिया जावे जिसके लिये वह देता है। परन्तु आपने अगर उनको इस प्रकार की छूट दी तो इतने समय के बीच में ऐसे लोग जो ट्रस्ट के धन का दुरुपयोग करना चाहते हैं कर लेंगे और उनको काफी मौका मिल जायेगा। मुझे अच्छी तरह से याद है बीकानेर में इस प्रकार का एक ट्रस्ट था और वह कम से कम एक करोड़ रुपये का ट्रस्ट था और वह करोड़ रुपये जिस समय ट्रस्ट के पास में थे, उसका नाम मल था। उसकी धर्मपत्नि ने कहा कि इतने रुपये इसका मैं और इतने रुपये मेरे लड़की को और इतने रुपये किसी दूसरे को व २५ प्रतिशत रुपया जनता के हित के कामों में लगाया जावे। वह ट्रस्ट होने के बावजूद भी, चूंकि कोई नियम उस समय नहीं थे, उसके मरने के बाद चाहे उसका दामाद हो, चाहे उसकी लड़कियें हो, उस धन को चुपचाप लेकर चले गये। उसके बाद में आज तक उसका केस चल रहा है, मगर कुछ नहीं हो पा रहा है। यह केस राजस्थान सरकार के पास भी है और

(श्री मुरलीधर व्यास)

सेन्ट्रल के पास भी चल रहा है और एक व्यक्ति ने इसकी माँग की है कि सरकार इसकी जांच करे कि यह जो रुपया २५ पर्सेन्ट पब्लिक के काम में लगना चाहिये था, नहीं लगाया और इसका दुरुपयोग हुआ है; तो इसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही हो रही है। इसलिये ऐसा कोई ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिये। अगर इतना लम्बा समय रजिस्टर्ड करने के लिये दिया गया तो उस धन का दुरुपयोग ही होगा। इसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे पहले मन्त्री महोदय को इस बात की सूचना होनी चाहिये कि कितने ऐसे ट्रस्ट हैं जो रजिस्टर्ड हैं और कितने ऐसे हैं जिनके बारे में आपके पास कोई शिकायतें हैं। इसके लिये जितने भी इन्सटीट्यूशन्स हैं वे सारे मामले आपके पास पेश करेंगे तो जो करोड़ों रुपयों की धन राशि चाहे वह शिक्षा संस्थाओं की हो, चाहे दूसरे धार्मिक स्थानों की हो, चाहे हॉस्पिटलों के लिये हो, चाहे किसी दूसरे कामों के लिये हो, वह सब हिसाब आपके पास आ जावेगा और आपके पास जब हिसाब आ जावे और जनता आपको बतादेगी कि किस प्रकार की जमीन लोगों ने सरकार से हॉस्पिटल खोलने के लिये या मन्दिर बनाने के लिये ली थी और वह नहीं बना और पैसा पड़ा हुआ है और लोग उसका मिस-यूज़ कर रहे हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि जब उन लोगों को मालूम हो जावेगा कि सरकार ने दो साल का समय दे दिया है तो इसका नतीजा यह होगा कि जो पैसा उन लोगों के पास है उसका वे दुरुपयोग कर लेंगे। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत से ट्रस्ट हैं और उनका दुरुपयोग नहीं हो। आपको अगर जानकारी नहीं मिली हो तो जनमत के द्वारा आपको सूचना प्राप्त हो सकती है। इससे बहुत लाभ मिल सकता है। अगर आपने इसमें देर की तो नतीजा इसका यह होगा कि आगे जाकर जो पैसा लोगों के पास पड़ा हुआ है उसका मिस-यूज़ होगा। इसलिये आप इसको जनमत जानने के लिये समय निर्धारित कर लें कि १५ दिन में जनता की राय ले ली जावे। अगर आपने इस में साल, दो साल का विलम्ब कर दिया तो कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा।

(अनुपस्थित)

श्री गंगासिंह।

(अनुपस्थित)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

(अनुपस्थित)

श्री हरीप्रसाद शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो इस बिल का उद्देश्य है उससे तो मैं करीब-करीब सहमत हूं; लेकिन स्थिति यह बतलाई गई है कि हर एक काम में शंका करने की स्थिति पैदा हो गई है। माननीय मंत्री ने अभी कहा कि इस समयावधि के कारण प्रन्यासों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है इसलिये समय बढ़ाते हैं। अगर आप परेशानियों के कारण समय बढ़ाते हैं तो उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। राजस्थान में

Page No 49

(श्री रामकिशन)

बहुत से ऐसे ट्रस्ट हैं, अगर उसकी जांच कराई जावे तो आपको मालूम होगा कि उन ट्रस्टों की पूंजी ऐसी जगह लगी हुई है जो सुरक्षित नहीं है। जैसा कि आपने उद्देश्यों और कारणों के विवरण में बताया है कि आपके पास ऐसे कई रिप्रेजेन्टेशन्स आये है कि समय में वृद्धि की जाए । इसका दूसरा पक्ष भी है कि जिन्होंने ट्रस्ट के पैसों का दुरूपयोग किया है और गबन की संभावना है या किसी ने जमीन ले ली है उसको छिपाने के लिये भी इतना समय बढ़ाया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मुझसे कोई तर्क करने की बात नहीं है। मगर मैं यह कहूँगा कि अगर इस प्रकार की स्थिति हो और इसके लिये दो साल का समय दिया जाता है तो वह बहुत लंबा समय है और इससे जो वर्तमान ट्रस्ट है उनको धन के भी दुरूपयोग की संभावना बन जावेगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जनमत जानने के लिये प्रसारित नहीं करना चाहें तो मैं इसके लिये लंबी चौड़ी बहस नहीं करना चहता, मैं चाहता हूं कि वे इस पर पुन: विचार करें और दो साल का जो समय रखा है वह बहुत ज्यादा है खास तौर से गंगानगर और चूरू आदि में इस प्रकार के ट्रस्ट ज्यादा होते हैं क्यों कि वहां पर धनी लोग हैं और वे लोगों को शिक्षा मिले और दवाई मिले इसके लिये दान देते हैं। दो ट्रस्टों की तो मेरी जानकारी है। मैं उनके नाम लेना नहीं चाहता। अच्छे इरादे से शामिल हुए, लेकिन उनकी पूंजी कतई बेकार गई। एक आदमी भरतपुर में था जिसने जिस समय दान की परम्परा चली तो अपनी सारी जमीन दान में दे दी और अपनी मेहनत की कमाई से जो उसने १० हजार रुपया पैदा किया था वह भी उसने गांधी सेवा संघ के नाम की संस्था में दे दिया । उस संस्था का जो उद्देश्य था वह तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन जिस आदमी ने अपनी जमीन दान में दी और पैसा दिया वह भूखा नंगा हो गया। वह व्यक्ति उसका सदस्य भी नहीं रहा क्यों कि उसने उस समय उसका सदस्य होना भी उचित नहीं समझा। इस तरह से भी दुरूपयोग होता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि, मैं इस पर कोई लंबी बहस नहीं करना चाहता, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि जो समय आप दे रहे हैं इससे लाभ की अपेक्षा हानि ज्यादा होगी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, देवस्थान): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने....

श्री उपाध्यक्ष: There are some more.

Shri Krishna Kumar Goyal
(अनुपस्थित)
Shri Y. N. Handa
(अनुपस्थित)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, देवस्थान) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर से आनेवाले माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में दो आपत्तियां पेश की हैं । एक आपत्ति के सम्बन्ध में किसी रामपुरिया ट्रस्ट के बारे में जिक्र किया है, मैं उसके बारे में अधिक नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूं कि वह ट्रस्ट भी इन्डियन पब्लिक ट्रस्ट्स एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है और उसके रजिस्ट्रेशन के बाद ट्रस्ट्स एक्ट के सारे प्रावधान उस पर लागू होते हैं। उसके अन्तर्गत इसमें होने वाली सारी खराबियां, दोष, इर्रेगुलेरिटीज़ हैं वे इन्डियन ट्रस्ट एक्ट के तहत चैक की जा सकती हैं। पर इसका मतलब यह नहीं कि हमने राजस्थान

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

में पब्लिक ट्रस्ट कानून लागू किया है उससे यह केस कवर नहीं होता, यह केस कवर होता है उस रोज से राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट राजस्थान में लागू किया गया। यह अलग बात है कि इसका रजिस्ट्रेशन देर से हो तीन महीने के अन्दर जाना चाहिये था, मयाद बढ़ा देते हैं तो दो साल में हो जाता है। पर इसका मतलब यह नहीं कि दो साल की बढ़ाई हुई अवधि में हमने उसको इस बात का लाइसेंस दे दिया कि जितना दुरुपयोग, एम्बेजलमेंट कर सके करे। इस तरह का लाइसेंस किसी भी ट्रस्ट को जो इस पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की तारीफ में आता है, नहीं दिया जाता। तो इस तरह का शक करना गलत बात है।

दूसरी बात कि आज जो राजस्थान का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट लागू है सब ऐसे पब्लिक ट्रस्ट्स पर लागू होता है, इसमें ट्रान्सफर, एलिनियेशन की मनाई कर रही है। वर्तमान एक्ट में चाहे रजिस्ट्रेशन इस एक्ट के तहत कराये या नहीं कराये, इस प्रावधान को हम उस पर लागू कर सकते हैं और कार्यवाही कर सकते हैं राजस्थान में। मियाद बढ़ाने के सम्बन्ध में दूसरे माननीय सदस्य ने कहा कि बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है इसलिये उन्हें इसमें शक होता है। इसमें शक की बात नहीं, धार्मिक मामला है, धार्मिक भावनाओं का सवाल है इसलिये सारे मामले को गहराई से सोच कर एक्शन लेना चाहते हैं। यह दो साल का पीरियड लम्बा लगता है, पर आज से सोचें तो १० महीने ही रह जाते हैं, १४-महीने तो वे हैं जो निकल चुके है। इसलिये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से यह कन्ट्रोल कर रहे हैं ३ कि महीने के पीरियड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो हम एक्शन नहीं लेंगे, मयाद एक्सटेन्ड कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि राजस्थान का देवस्थान डिपार्टमेंट सोता रहा, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया या सभी पब्लिक ट्रस्ट्स वाले रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहते। वे चाहते हैं, यह इन आंकड़ों से साबित होगा :—

"उदयपुर डिविज़न हमारे देवस्थान डिपार्टमेंट का है उसको २०४ पब्लिक ट्रस्ट्स ने रजिस्ट्रेशन के लिये एप्लाई किया, जोधपुर डिविज़न में १४५ पब्लिक ट्रस्ट्स ने एप्लाई किया और जयपुर डिविज़न में २७६ ने एप्लाई किया है और इस पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत सारी कार्यवाहियां और पूर्तियां की जाकर उदयपुर में ३२ का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, जोधपुर में ४६ का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है और जयपुर में ६३ का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : बीकानेर वगैरह दूसरी जगह नहीं हैं क्या?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ये जोधपुर रेंज में आते हैं। देवस्थान विभाग को ३ जोन्स में बाँट रखा है; जोधपुर, जयपुर और उदयपुर। आपका बीकानेर जोधपुर डिविज़न में आता है।

इस तरह मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ तक पब्लिक ट्रस्ट्स के रजिस्ट्रेशन का सवाल है, सरकार स्वयं प्रयत्न कर रही है, जिससे कि अधिक से अधिक पब्लिक ट्रस्ट्स का रजिस्ट्रेशन हो। पब्लिक ट्रस्ट्स में ११,१३७ मंदिर तो ऐसे आते हैं जो सरकार के डाइरेक्ट चार्ज में हैं, कई कोर्ट ऑफ

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

वार्ड्स में हैं या सरकार ग्रान्ट-इन-एड देती है, उनकी प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से सरकार देखभाल कर सकती है। सैकड़ों ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। केवल सुधार की भावना से यह प्रस्ताव हमने सदन के समक्ष पेश किया है कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ३ महीने की बजाय दो साल कर दी जाय।

आप कहते हैं कि इसे जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय। जो नया कानून हो उसको जनमत जानने के लिये भेजा, पर यह कोई नया कानून नहीं है। जो नया हो, जिसमें पॉलिसीज़ का मामला हो, डिस्कस करना हो तब तो जनता की राय के लिये भेजा जाय, पर यह कोई नया नहीं, इसका मूल एक्ट है, उसमें जो ३ महीने की अवधि है उसको बढ़ाना मात्र है। इसको बढ़ाने के लिये यदि जनमत जानने के लिये इसे प्रसारित किया जाय तो उसमें यह अवधि ही निकल जायगी।

इसलिये मैं निवेदन करता हूँ कि यह जो विधेयक तीन महीने के बजाय दो साल की अवधि बढ़ाने का पेश किया गया है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी माननीय सदस्य को इस संशोधन के इरादे पर, पब्लिक ट्रस्ट के कानून के इरादों पर शंका करने की गुंजायश हो। शंका करने की इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।

श्री रामकिशन (बैर): केवल ७ महीने का टाइम बाकी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १० महीने का।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास (संशोधन) विधेयक, १९६३ को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

क्लॉज़ २, श्री अब्दुलजब्बार।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : [संशोधन इस प्रकार है : "For 'two years' substitute 'six months'." उपाध्यक्ष महोदय, इस अमेंडमेंट बिल के क्लॉज़ दो में मेरा संशोधन है कि जो अमेंडमेंट बिल के जरिये दो साल की मयाद चाही है उसके ६ महीने को रिड्यूस करने की ख्वाहिश रखता हूँ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, देवस्थान): Excuse me just for my interference.

आपने प्रस्ताव रखा है कि दो साल के बजाय ६ महीने कर दिया जाय, तो मैरिट्स पर आप बोलेंगे। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि १–७–६२ से ६ महीने कभी के निकल गये हैं, इसलिये निकली अवधि का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। दो साल की अवधि १–७–६२ से लागू होगी।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूँ कि आपका मकसद तो पूरा हो गया है।

श्री अब्दुलजब्बार : मैंने यह अमेंडमेंट इसलिये रखा है कि जो सरकार कदम उठाती है उस ओर संकेत किया जाय। इस बिल के ऊपर लिखा है :

"to make better admininstration of the religious and charitable institutions in the state of Rajasthan."

इस धारणा को लेकर १९५९ में कानून बनाया गया, पर निगोशियेशन्स में विश्वास

(श्री अब्दुलजब्बार)

करने वाली सरकार, जैसा कि मन्त्री महोदय ने माना है कि उनके पास रिप्रेजेन्टेशन आये····

श्री उपाध्यक्ष : इसलिये सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि आपने "3 months" की जगह "6 months" का रखा है, तो फ्रेज्योलाजी पढ़ें मूल धारा की तो :

"within three months from the date of application under this section..."

सेक्शन तो जिस वक्त पब्लिक ट्रस्ट्स एक्ट निकला तभी लागू हो चुकी ।

श्री अब्दुलजब्बार : क्लॉज एक, दो, तीन व चार इमीजियेटली लागू होंगे····

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ६ महीने चाहते हैं तो १–१–६३ को ही ६ महीने समाप्त हो गये । जहां मैं दो साल की अवधि चाहता हूँ वहां छः महीने की अवधि आप चाहते हैं और उसका अमेंडमेंट रख रहे हैं । वह छः महीना तो १–१–६३ को ही खत्म हो चुका ।

श्री अब्दुलजब्बार : Since the date of submitting the amendment.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा नहीं होता है । आपके द्वारा अमेंडमेंट उस क्लॉज़ में किया गया है जिसमें मैंने स्वयं ने अमेंडमेंट चाहा है ।

श्री अब्दुलजब्बार : यदि ऐसा है तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने अमेंडमेंट को विथड्रॉ करता हूँ ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि "The Rajathan Public Trusts Amendment Bill, 1963 को पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है, "कि The Rajasthan Public Trusts (Amendment) Bill, 1963 को पारित किया जाय" ।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

श्री रामकिशन (बैर) : उपाध्यक्ष महोदय, सिलेक्ट कमेटी वाले प्रस्ताव तो विथड्रा ही नहीं किये गये ।

श्री उपाध्यक्ष : They will automatically fall.

(विराम)

Next

(४. ४२ म. प.)

इन्डियन सोल्जर्स (लिटिगेशन) (जागीर सम्बन्धी कार्यवाहियों पर विस्तार) विधेयक, १६६३

(विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

करता "हूँ कि The Indian Soldiers (Litigation) (Extension to Jaglr Proceedings) Bill, 1963 को विचारार्थ किया जाय' ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में पहले एक स्पष्टीकरण कर दें । आपने प्रोटेक्शन दिया है इन्डियन सोल्जर्स को जो कि रेगुलर सोल्जर्स हैं और वार कन्डीशन्स के अनुसार काम करते हैं; जो रेगुलर सोल्जर्स नहीं हैं, और एमर्जेन्सी के तहत सरकारी कर्मचारियों, जैसे प्रोफेसर्स, टीचर्स अथवा अन्य जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी सेवायें सरकार ने ली हैं, अथवा जिनकी टेम्परेरी भर्ती की है अथवा जिनको डेपुटेशन पर लिया है, राज्य सरकार ने कई नियम उनके लिए प्रकाशित किये हैं कि उनकी सर्विसेज़ का कम्युटेशन कैसे होगा। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो बाकायदा फौज में भर्ती नहीं हुए हैं लेकिन इन्डियन सोल्जर्स हैं तो क्या आपका बिल उनको भी कवर कर सकेगा या नहीं ? यदि नहीं करता है, तो इस प्रकार के व्यक्तियों ने फौज में अपनी सेवायें दी हैं और उनको सरकार की ओर से वही सुविधायें दी गई हैं और राहत दी है तो क्या सरकार यह उचित नहीं समझती है कि उन लोगों को लीगल कोर्स से इम्यून रखने के लिए और इन्डियन सोल्जर्स जो कि रेगुलर तौर से लड़ाई में हैं उनको जिस प्रकार का प्रोटेक्शन दिया गया है क्या इनको भी इस प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं दिया जाना चाहिये ?

श्री उपाध्यक्ष: यह उचित होगा कि जो मोशन रखा गया है वह मोशन मूव कर दें ।

श्री गंगासिंह ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: इस तरह से तो इस सम्बन्ध में डिबेट दो घंटे में भी समाप्त नहीं होगी । आप टेक्निकली चल रहे हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : If the other members don't want to move any motion, then.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि बाकी के माननीय सदस्य हैं उनको भी सहूलियत होगी और प्रो टेक्टेड डिबेट चलेगी और लम्बी बहस नहीं चलेगी। यदि मंत्री महोदय इसका स्पष्टीकरण कर दें तो बाकी के माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव रखें या न रखें यह भी हो सकता है । यदि आप टेक्निकली चलते हैं तो आपत्ति तो कोई नहीं है; लेकिन इसमें बहुत अधिक लम्बी बहस हो जायगी ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह मान कर चलता हूँ कि संशोधन प्रस्तुत करने वाले हैं यह स्वीकार करते हैं कि यदि इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण हो जाय तो वे अपना संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करेंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐसे कैसे हो सकता है ? लेकिन यदि स्पष्टीकरण हो जाय तो बहस लम्बी नहीं होगी और हो सकता है कि कोई माननीय सदस्य प्रस्ताव न प्रस्तुत करे ।

श्री उपाध्यक्ष : Then they might not press their amendments.

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव रखा है उसकी मंशा ही यही है।

श्री उपाध्यक्ष : Then they will not press, I mean. जैसी मंशा है और जैसा माननीय सदस्य ने कहा है आप अपने अमेंडमेन्ट्स को प्रेस नहीं करेंगे तो में इजाजत दे देता हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : हमारा डिस्कशन लिमिटेड हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : But even then if you press your motion, the debate will be prolonged.

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : ऐसा है उपाध्यक्ष महोदय, स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में लिखा है :

"The Act applies to service under war conditions during the war and for six months thereafter and to other service which is declared by the Central Govt. to be service under war conditions......'

ऊपर तो बताते हैं कि सोल्जर जो वार में हैं....

श्री उपाध्यक्ष : मेरा निवेदन करने का अर्थ यह है कि ...

श्री अब्दुलजब्बार : इसमें....

श्री उपाध्यक्ष : Order please! मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि स्पष्टीकरण से संतुष्ट हो जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं किसी का नाम नहीं कॉल करूंगा और यह समझ लूंगा कि आपने प्रस्तावों को विद्ड्रॉ कर लिया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इसमें सवाल सिर्फ इतना सा ही है कि यदि मंत्री महोदय अपना स्पष्टीकरण कर दें तो यह बहस लम्बी नहीं होगी और काफी समय बच जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : Then let it proceed regularly.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : It is also not irregular if a clarification is given.

श्री उपाध्यक्ष : I don't mind if he makes a statement.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : The Govt. is given that...

श्री उपाध्यक्ष : Honble Minister will kindly give a statement on this point.

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रोविज़न जिसके सम्बन्ध में है हमने अमेन्डमेन्ट बिल इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। यह किस बात का अमेन्डमेन्ट बिल है, यह अगर हम जान लें तो आपने जो सवाल उठाया है वह स्पष्ट हो जायगा।

एक एक्ट है कि जो वार कन्डीशन्स के तहत ऐसे ऑफिसर्स या सर्वेन्ट्स जिनको बाई नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया जाय उनको वह एप्लाई करेगा। एप्लाई करने का क्या मतलब है? जो स्थिति इन वार कन्डीशन्स के रहते हैं उसके छः महीने के बाद जो पर्सनल वार कन्डीशन्स की डिक्लेरेशन में आते हैं उनके लिए रियायत दी है। वह रियायत यह है कि सिविल कोर्ट या रेवेन्यू कोर्ट में कोई भी मुकदमात उनके खिलाफ चल रहे हों या

Page No 55

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

उनकी तरफ से चलाये जाने वाले हों या चल रहे हों वे स्टे हो जायें । स्टे ही न हो जांय उनके पक्ष या विपक्ष में लिमिटेशन का सवाल आये तो वह अवधि न गिनी जाय और लौटने की छः महीने की अवधि को सफिशियेन्ट कॉज़ में मान कर लिमिटेशन का फायदा मिल सके, इस बात का प्रावधान है। उसमें यह भी साफ है कि स्टेट गवर्नमेन्ट को भी यह अधिकार दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेन्ट रेवेन्यू कोर्ट और सिविल कोर्ट के तहत तो एग्ज़ेम्पशन है ही, लेकिन किसी और भी कोर्ट को डिक्लेयर करना चाहे कि ऐसी कोर्ट में चलने वाले मुकदमों में भी ये ही कन्सेशन्स लागू होंगे तो वहाँ भी कर सकती है। तो उस अधिकार को काम में लाते हुए सरकार ने यह अमेंडिंग बिल पेश किया है और उसने कोई नयी बात नहीं की है। रेवेन्यू कोर्ट और सिविल कोर्ट यहाँ तो पहले से ही रहेगा। अब यह सवाल आया कि जागीरदार के छुट भाई हों, जो नेफा और लद्दाख की लड़ाई पर गये हुए हों, उनके जागीर कोर्ट्स में या जागीर कमिश्नर के पास मुकदमें चल रहे हों, जब वे वहाँ हों उनकी एब्सेन्स में ऐसे कोई फैसले न हो जांय जिससे उनके हक हकूकात पर असर पड़े, इसलिए राजस्थान सरकार ने इस तरमीम के जरिये यह व्यवस्था की है कि जागीर कमिश्नर का दफ्तर व जागीर कोर्ट्स को भी इसमें शामिल कर लिया जाय और उनमें चलने वाले मुकदमें, आर. ए.सी., एयर फोर्स, इन्डियन-आर्मी या जो वार कन्डीशन्स सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई की हैं उनके अन्तर्गत आते हैं, उनसे सम्बन्धित मुकदमें जागीर कमिश्नर या जागीर कोर्ट्स में चल रहे हों तो उनको भी वह ही फायदा होगा जो कि रेवेन्यू कोर्ट और सिविल कोर्ट में चलने वाले मुकदमों के लिए होता है। केवल लिटिगेशन जागीर कमिश्नर. जागीर कोर्ट्स में एप्लाई करने के लिए यह अमेन्डमेन्ट की बात रखी है। इन्डियन सोल्जर्स की डेफिनिशन में आने वाले लोगों को चलने वाले मुकदमों में वही लाभ उनको जागीर कोर्ट्स में भी मिलें, इसी मकसद से यह बिल सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। यह कोई लम्बी–चौड़ी बात नहीं है।

यहां पर मैं सदन की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल केवल लिगेलिटी क्वेश्चन न करे, इस दृष्टि से बिल के फॉर्म में रख दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव केपेसिटी में जो नोटिफिकेशन्स इश्यू किये हैं, जो पहले निकाल दिये गये, जिनमें उनके हकों की रक्षा करना आवश्यक था। हमने बहुत सारे नोटिफिकेशन्स चाहे जमीन के बारे में हो, किसी रिकार्ड के बारे में हों मुकदमें को स्टे करने के बारे में हों, लगान की वसूली का सवाल हो, उसके एरियर्स हों इस प्रकार के जो समय समय पर जो मामले रेवेन्यू रेकॉर्ड में तब्दीली करने का सवाल हो, उसके इन्टरेस्ट के खिलाफ तरमीम न की जाय, इस प्रकार के जो समय समय पर आदेश निकाले गये, आदेश प्रसारित किये गये जिनसे उनको लाभ हो, उन आदेशों की पुष्टि करना इन्डियन सोल्जर्स एक्ट के तहत उनको रेगुलेराइज़ करने के लिये, इस गरज से यह रखा है। सर्कुलर्स, जो इस बारे में निकले हैं उनकी लीगेलिटी को चैलेन्ज न करें। लाभ पहुँचाने की गरज से यह रखा गया है। इन्डियन सोल्जर्स एक्ट की डेफिनिशन में नहीं आता, आर्मी एक्ट में नहीं आता, एयरफोर्स एक्ट में नहीं आता; आर•

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

ए० सी० एक्ट में नहीं आता। उनको यह बिल एप्लाई नहीं करेगा। यह स्पष्टीकरण होना आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष : I hope the members are satisfied.

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) Not satisfied.

श्री उपाध्यक्ष : Then I call the names one by one.

श्री गंगासिंह।

(अनुपस्थित)

श्री जयलाल।

(अनुपस्थित)

श्री दुर्गालाल बादद्दार।

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशन(वैर): उपाध्यक्ष महोदय, अभी मंत्रीजी ने स्पष्टीकरण दिया। वैसे तो यह बहुत साफ है। इस बिल के उद्देश्य से मैं पूर्ण सहमति प्रगट करता हूं। जिस इरादे से यह बिल रखा गया है उससे न केवल सोल्जर्स के लिये सुविधा बढ़ेगी, उनकी परेशानियां कम होंगी, उनमें उत्साह होगा। युद्ध में जो अपना कर्त्तव्य पूरा कर रहे हैं उसके लिये उनके दिलों में यह भावना पैदा होगी कि हमारे साथ जनता और सरकार अच्छी दृष्टि से देख रही है। हमें बिल के उद्देश्य से कतई एतराज नहीं है। जैसा कि इस बिल में बताया गया है १५ दिसम्बर, ६२ में जो विज्ञप्ति निकाली गई उनको रेगुलराइज़ किया जा रहा है ताकि कोर्ट में चैलेन्ज न हो सके।

मंत्री जी ने जैसा कहा उन्हें सिविल कोर्ट्स में जागीर में उनको सुविधा दी गई है। उनको रेवेन्यू से सम्बन्धित मामलों में भी छूट देनी चाहिये। जमीन के मामले को लेकर कई बार विवाद खड़े हो जाते हैं। उनमें फौजदारी मामले तक हो जाते हैं। इस तरह के केसेज़ में बर्बादी तक हो जाती है। वे मामले इस तरह के होते हैं, जमीन के कारण झगड़े बनते हैं, क्रिमीनल केस रजिस्टर होते हैं। वे जब फ्रन्ट पर हों उनके पीछे उनके परिवार वालों को परेशान किया जाता है और इस तरह से जमीन जायदाद से वे वंचित रह जाते हैं। कुछ मामलों में दफा ५१४ के तहत में जमानतें हो गई। जमानत को जब्त किया गया, यह कह कर कि मुल्जिम फरार है, जब कि वह फौज में सेवा कर रहा है। कलेक्टर, एस० डी० ओ० की अदालतों में ऐसे केसेज़ हमने देखे हैं, जहां जमानत भी जब्त कर ली और बेचारे जमीन से भी महरूम रह गये। इसलिये मेरा निवेदन है कि ऐसे जमीन के मामलों में जिनमें क्रिमीनल केस रजिस्टर हो गये हों उनको भी सुविधायें इस बिल द्वारा होनी चाहिये।

दूसरी बात सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये यह है कि इसमें जहां आप दूसरे एक्ट्स को भी शामिल कर रहे हैं, वहाँ मेरा आपसे यह निवेदन है कि इसमें राजस्थान टीनेन्सी एक्ट को शामिल किया जाय, जिसके तहत सोल्जर्स को जमीन अलॉट होती है। कभी कभी जमीन अलॉट हो जाती है उसके बाद अपील का प्रोविज़न है वह चालू हो जाता है और जब वह फ्रन्ट पर होता है उसकी इधर जमीन छीन ली जाती है। मेरा निवेदन यह है कि टीनेन्सी एक्ट को भी शामिल किया जाय, जिसमें अलॉटमेन्ट की सुविधा हो। इसमें

(श्री रामकिशन)

यह सुविधा भी हो सकती थी कि जो सोल्जर्स हैं उनको सिवाय चक की भूमि का अलॉटमेन्ट हो। इसके लिये टीनेन्सी एक्ट को लागू कर दिया जायगा तो अधिक पॉवर हो जायेंगे। सरकार दूवारा जितने परिपत्र जारी किये गये हैं, सोल्जर्स हैं उनको अलॉटमेन्ट के समय प्राथमिकता देनी चाहिये, केवल उसमें इतना ही है। मगर यह टीनेन्सी एक्ट लागू कर देते है जहां जितनी जमीन है, सोल्जर्स के पास जितनी जमीन है जिनके पास सिलिंग से कम भूमि है उनको प्राथमिकता दी जाय या नहीं, यह इस परिपत्र से साफ नहीं है। तो इसके लिये मेरा निवेदन है कि अगर सोल्जर खुद वहां पर हाजिर नहीं हैं और वह फौज में चला गया है तो उसके परिवार वाले को या उसके निकटस्थ सम्बन्धी को यह अधिकार होना चाहिये कि उसको अलॉटमेन्ट की सुविधा मिले। इन दो प्रकार के संशोधनों के लिये मैं निवेदन करूंगा, मंत्री महोदय उन्हें स्वीकार कर लेंगे; एक तो इस तरह के मामलों को कोर्ट्स द्वारा स्थगित करने का सवाल है और दूसरा टीनेन्सी एक्ट भी इसमें शामिल कर दिया जाय तो अधिक सुविधा हो जायेगी। इस पर मंत्री जी विचार करेंगे।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बिल के लाने का सवाल है हकीकत में यह बहुत अच्छा है, इसकी कदर की जानी चाहिये। लेकिन इसमें जिस तरह के शब्दों का समावेश है उस कारण थोड़ा विचार करने का मसला सामने आता है। यह बात विचारणीय है,यह 'सोल्जर' शब्द बतलाता है, जो मिलिट्री एक्ट के तहत पर्टीकुलर टाइप का एक ड्रेस पहिनता हो, पर्टीकुलर एक्ट के तहत रहता हो, डिफेन्स एक्ट के तहत जिसका आचरण हो पर्टीकुलर ड्युटीज़ जो डिस्चार्ज करता हो वही सोल्जर कहलाता है। मेरा इसमें यह सुझाव है कि फील्ड में सिविलियन्स के तौर पर काम करने वाले भी होते हैं, सिविलियन स्टाफ भी होता है, क्लर्कस रहते हैं, स्टोर कीपर, टाइपिस्ट आदि भी रहते हैं। मेरा तजुर्बा है इसमें सिविलियन स्टाफ को प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है, सिविलियन स्टाफ इन दी केपेसिटी ऑफ क्लर्क,डॉक्टर,नर्स। बहरहाल सिविलियन सादे कपड़ों में रहता है इसलिये उसको इस कानून के तहत प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता। इसलिये मेरा निवेदन है कि जहां एक सोल्जर्स के लिये ये सुविधायें देते हैं वहां सिविलियन स्टाफ को भी प्रोटेक्शन होना चाहिये। सोल्जर्स के लिये ये सुविधायें हों, इसमें किसी की दो राय नहीं हो सकती। लेकिन जब हम सोल्जर इसमें लिख देते हैं तो सोल्जर वही होगा जो पर्टीकुलर टाइप की ड्रेस पहिनता हो, पर्टीकुलर ड्युटीज़ डिसचार्ज करता हो, जो डिफेन्स कानून से गवर्न होता हो; वही इसमें आयेगा; सिविलियन्स जो वहां रहते हैं उनका भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिये।

इसके अलावा मैंने यह भी देखा है रेलों में, जब वे सोल्जर फ्रन्ट पर लड़कर आते हैं, उनको बैठने तक का स्थान नहीं मिलता है। राजस्थान पुलिस के आदमी एक एक डिब्बे को घेर कर बैठ जाते हैं। दो सिपाही और एक गार्ड होता है उसमें सारे डिब्बे को घेर लेते हैं। बेचारे जो थके मांदे आते हैं उनके लिए रेलों में सुविधा का प्रोविज़न बढ़ाना चाहिये, उनको खुल कर राहत देनी चाहिये। पहले समय में एक सोल्जर, एक क्लर्क और एक मेजर और सूबेदार के एक पूरा डिब्बा

(श्री अब्दुलजब्बार)

रहता था जिसमें वे सोते हुए आते थे, उनको टिकट चेकर भी नहीं जगा सकता था। आज तो सोल्जर के घर में राशन कार्ड नहीं मिलता है। हकीकत यह है कि सोल्जर के घर राशन नहीं पहुँचता है, इसलिये सोल्जर के घर सुख शान्ति नजर नहीं आती है।

ऐसी सूरत में यह बिल बहुत अच्छा है और होना चाहिये और जितनी जल्दी हो सके, करनी चाहिये इसमें।

(५.०० म० प०)

लेकिन इसमें उन सिविलियनों को भी संरक्षण मिलना चाहिये, जो फ्रंट पर, वार फ्रंट पर या डिस्टर्ब्ड एरिया में या जो आपके द्वारा ऐसा एरिया नोटिफाइड हो वहां पर किसी युनिट के साथ में काम करते है। यह भी बढ़ा दिया जाना चाहिये।

साथ साथ जो जो सहूलियतें दिलाई जानी जरूरी हों वे सभी दिलाई जावें; जैसे घर का मकान है, उसका कोई झगड़ा है, किराये का मकान है उसे खाली कराने की परेशानी में पड़ा है या और किसी तरह की चिन्ता उसे उसके घर की है तो इन सब बातों का भी समावेश इसमें किया जाना चाहिये। इस उद्देश्य से इसे प्रवर समिति में भेज कर इन सब पर पूरी तरह विचार कर लिया जाना चाहिये और फिर इसे यहां पारित होने के लिये लाया जाना चाहिये। इसमें जल्दी की जाय। एक हफ्ते के अन्दर अन्दर सिलेक्ट कमेटी बैठ कर इस पर सोच–विचार कर ले।

जब आपको देना है किसी को कुछ तो फय्याज़दिली से दीजिये, जिससे लेने वाले को भी मजा आवे और देने वाले को भी। सखावत का खजाना खुला रखना है तो ऐसा रखें कि लेने वाला भी निहाल हो जाय और देने वाला भी बाग बाग हो जाय। भूख लगी है जोरों से और आप देते हैं एक तोला आटा उसके मुँह में, तो इसमें मजा नहीं आता। देना है तो पूरे दिल से दो और दिल से लेने दो।

इसलिये मेरी मान्यता है कि पूरी तरह से सोच-विचार करके राहत दिलाने का इन्तजाम करना चाहिये। मैं इन्चार्ज मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस भावना से इसे आप प्रवर समिति में भेजिये जल्दी से, जल्दी आपको भी है, हमें भी है। आपने नोटिफिकेशन के जरिये राहत तो दी है, अब हकीकत का जामा पहिनाना चाहते हैं तो हम आपके इस प्रयत्न की सराहना करते हैं।

तो आगे आप 'इम्प्लाइड' को हटा कर एक्सप्रेसिव कर दीजिये, 'इम्प्लाइड' में झगड़ा होगा। इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इसे आप प्रवर समिति में जल्दी से भेज दें और जल्दी से वहां उस पर विचार होकर यहां आ जाय, ऐसा करिये।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत बिल के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं।

साथ ही मेरा एक संशोधन है इस बिल पर, उसे भी प्रस्तुत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरा संशोधन है कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे और जिस स्कोप तक यह बिल है उसको उस स्कोप तक ही सीमित न रख कर इसका स्कोप बढ़ाया जावे ताकि आज हमारे देश की रक्षा के लिये लड़ रहे हमारे जवान निश्चिन्त होकर घर की

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

चिन्ता–फिक्र से मुक्त होकर प्रसन्न मन से देश के शत्रुओं का संहार करने में जुटे रहें।

उनके बाल-बच्चों को, उनके परिवारों को इस दृष्टि से पूरी तरह सुरक्षित करने के लिये क्या क्या उपाय किये जा सकते हैं, इन पर प्रवर समिति में विचार किया जाकर वे सभी उपाय इसमें और शामिल किये जायें और फिर दुबारा इसे पारित करने के लिये सदन में प्रस्तुत किया जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, दुख की बात है कि देश के स्वतन्त्र हो जाने के बाद भी आज हमारे यहां वही पुराना सड़ा-गला १९२५ का एक्ट इस काम के लिये लागू किया जा रहा है। हमें सोचना चाहिये कि १९२५ के अन्दर इसे किसने पास किया और किस मकसद से पास किया था और लागू किया था। उस वक्त अँग्रेज यहां हुकूमत करते थे और उनको जर्मनी से, जापान से लड़ने के लिये और हिन्दुस्तान की प्रगतिशील ताकतों को दबाने के लिये मिलिट्री की इमदाद की जरूरत थी और यही उनका मकसद था, दूसरी मँशा नहीं थी। उनकी मंशा केवल अपने साम्राज्य को बचाने की थी।

आज जमाना बदल गया है। परिस्थितियाँ बदल गई हैं। आज हमारा देश स्वतन्त्र हो गया है। आज हमें देश को स्वतन्त्र बनाये रखने के लिये, अपनी बड़ी भारी कुर्बानियों से प्राप्त स्वतन्त्रता की रक्षा करने के लिये सैनिकों का हौसला बढ़ाने की जरूरत है। यह हमारा आज का मकसद है। तो हमें हमारे सैनिक के प्रति जो पहली वाली मान्यता थी उसे बदलनी पड़ेगी। आज का हमारा सिपाही हमारे से दूर नहीं है। उसमें भी वही भाव है जो हमारे में है। आज जो अधिकार हमें हैं वे सभी उसको भी प्राप्त हैं। तो आज इस कानून के सहारे जो १९२५ में बना उसका संरक्षण करने की बात सोचें तो इससे उसके प्रति न्याय नहीं होगा।

उस १९२५ के कानून के अनुसार सिपाही की परिभाषा दफा ३ में दी है वह सिर्फ इतनी सी है कि जो फ्रन्ट पर लड़ाई में मौजूद हो। आज आपत्कालीन समय में जिसकी कि घोषणा हमने देश में कर रखी है, यह परिभाषा ठीक नहीं होगी। यह परिभाषा आज हमें विस्तृत करनी होगी। प्रत्येक फौजी, चाहे वह कमीशन्ड हो या नॉन कमीशन्ड हो, इस परिभाषा में आ जाना चाहिये। फ्रन्ट पर हो या देश के भीतरी मोर्चे पर, नेफा में हो या लद्दाख में, पाकिस्तान की फ्रन्ट पर हो या भीतरी फिफ्थ कॉलमिस्टों की टोह में, आज देश जिस भयंकर परिस्थिति में से होकर गुजर रहा है उसको देखते हुए हमें इन सभी मोर्चों पर लड़ रहे सैनिकों को इस परिभाषा में शुमार करना होगा, उस गये-बीते जमाने की दफा ३ की परिभाषा लेकर बैठे नहीं रह सकते।

इसके अलावा कुछ पॉवर्स आपने क्लेकटर को दिये है और इस तरह के दिये है कि इन सैनिकों की तरफ से एप्लीकेशन आने पर वह उनके विरुद्ध चल रहे किसी प्रकार के मुकदमों की प्रौसीडिंग्ज़ को रोकेगा। अब जो सैनिक मोर्चों पर अपना काम देख रहा है, उसको इतनी फुरसत कहां मिलेगी कि वह ऐसी दर्ख्वास्त क्लेकटर को देगा? यह उचित नहीं है। उसके पीछे उसके परिवार के व्यक्तियों में भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है, नहीं हो सकता है जो ऐसी दर्ख्वास्त कलेक्टर

श्री कृष्णकुमार गोयल)

को दे सके। तो यह तो सरकार का कर्त्तव्य है कि तुरन्त वह इस तरह की कार्यवाही स्वयं रुकवा दे। उसे ऐसे सैनिकों की सूचना रखनी चाहिये कि अमुक अमुक व्यक्ति फौज में गया हुआ है उसके खिलाफ किसी भी सिविल या क्रिमिनल या जुडिशियरी या रेवेन्यू कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग्ज़ चल रही हैं तो उसे वह उन डिपार्टमेंन्ट्स को लिखकर स्वयं रुकवा दे।

मुझसे पूर्व वक्ता ने भी यह बात कही थी कि २५ का एक्ट केवल रेवेन्यू प्रोसीजर पर लागू है।

आज की परिवर्तित स्थिति में और आज की आपत्कालीन स्थिति में तो यह भी चाहूंगा कि आप क्रिमिनल और सिविल या रेवेन्यू किसी भी प्रकार की प्रोसीडिंग्ज़ में कोई डिफ्रेंशियेट न करें। उसे पूर्ण रूप से निश्चिन्त रखने के लिये हमें सब प्रकार की कार्यवाहियों को रोकना होगा। उसके दिमाग में यह महसूस नहीं होने देना चाहिये कि उसके खिलाफ किसी अदालत में सिविल या क्रिमिनल या रवेन्यू की कार्यवाहियाँ चल रही हैं।

कोटा का इन्सटॅन्स है मेरे सामने। अभी अभी मेरे पास एक कमीशन्ड अफसर का मामला आया। उस गरीब आदमी के खिलाफ दो कार्यवाहियां चल रही थीं। १०७ की कार्यवाही चल रही थी। ३२३ और १६०सी आर. पी. सी. के केस चल रहे हैं। इन तीनों के लिये यह सात-आठ रोज तक परेशान रहा। कलेक्टर और एस. पी. के पास भी गया और कहा कि मैं फ्रन्ट पर हूं, आ नहीं सकूंगा इनकी कार्यवाही पोस्टपोन कर दी जाय। पर उसको रिलीफ नहीं मिला। आखिर में वह अपने वकील को हिदायत देकर चला गया कि जो होगा आप खुद निपट लेना। तो यह हालत ठीक नहीं है। मैं तो यहाँ तक इसके पक्ष में हूँ कि यदि उनके खिलाफ कहीं ३०२ की कार्यवाही भी बन्द करनी पड़े तो कर देनी चाहिये।

यह तो आज स्वत: सरकार की ड्यूटी हो जाती है कि उनके केस ड्रॉप हो जावें, या पोस्टपोन हो जावें।

इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय और इसको सारे अंशों में पूर्ण बना कर फिर पारित करने के लिये यहां लाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, १९२५ के इण्डियन सोल्जर्स बिल में परिवर्तन करके सरकार ने यह बिल उपस्थित किया है।

जहां तक इस बिल की भावना का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं उससे पूर्ण रूप से सहमत हूं और हरेक देशभक्त इसकी भावना से पूर्ण सहमत होगा। लेकिन जहां तक इस बिल द्वारा सोल्जर्स को राहत देने का सवाल है, यह पूर्ण रूप से राहत नहीं देता।

केवल सोल्जर का ही प्रश्न नहीं होता, जब कोई बाप अपने बेटे को मोर्चे पर भेज देता है, या कोई पत्नी अपने पति को भेज देती है या माँ अपने बेटे को और बहिन अपने भाई को भेज देती है तो उस सैनिक के उस परिवार की रक्षा का प्रश्न भी और उसे किसी तरह के लिटिगेशन से, हैरेसमेन्ट से

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
और कठिनाइयों से बचाये रखने का प्रश्न भी महत्वपूर्ण बन जाता है।

फिर उस हद तक सोल्जर को राहत नहीं देते जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा कि यह बिल १९२५ के सोल्जर्स लिटिगेशन एक्ट के अन्दर संशोधनों के लिए प्रस्तुत किया गया है। वैसे तो राजस्थान सरकार ने सिपाहियों को राहत देने की घोषणा की है वह देखने में सुन्दर नजर आती है, उनके बच्चों को शिक्षा देने की सुविधा है और भी कई सुविधायें हैं। वैसे राजस्थान में सँकटकालीन फण्ड के अन्दर जहां १४ मई तक काफी राशि राजस्थान के लोगों ने कन्ट्रीब्यूट की थी वह इसी भावना से की थी कि वे लोग जो देश के खातिर लड़ रहे हैं उनको हर तरह का सँरक्षण इस समय के अन्दर प्राप्त हो। इसमें २ करोड़ २४ लाख से अधिक की राशि नकद और ५० हजार किलोग्राम से अधिक सोना १४ मई तक राजस्थान सरकार के पास इकट्ठा हो चुका था और अखबारों में बड़े धूमधाम से राजस्थान सरकार की विज्ञप्ति सैनिकों को राहत देने के संबंध में प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन सैनिकों को जो युद्ध-क्षेत्र में मारे जाते हैं उनके बच्चों को आजीवन शिक्षा, भाखरा और चम्बल क्षेत्र में ऐसे लोग जो लाचार हो जाते हैं अथवा किसी कार्य करने के योग्य नहीं रह जाते हैं उनको एक एक एकड़ बीड़ देने का है और तकावी की वसूलियों को सस्पेन्ड और सरकारी बहुत सी जो रिकवरीज़ हैं, ड्यूज़ हैं उनको बन्द करने की भी घोषणा राजस्थान सरकार की ओर से की गयी थी। और जो लोग लापता हो जायें उनको २५०) रुपया दिये जाने की घोषणा की गयी थी इस प्रकार की घोषणाएं सैनिकों के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने की थी लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जहां राजस्थान सरकार पंजाब सरकार को एक लाख एकड़ धरती राजस्थान कैनाल क्षेत्र के अन्दर सिपाहियों को देना स्वीकार कर चुकी है वहां राजस्थान के सैनिकों को राजस्थान सरकार की एक, एक हजार एकड़ धरती भाखरा चम्बल क्षेत्र में दी जानी चाहिए थी। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इसका प्रश्न है कि राजस्थान सरकार ने यह घोषणा की है, मैं इससे भी प्रसन्न हूं। आखिर पंजाब के भी सैनिक लड़ रहे हैं, लेकिन मैं साथ ही साथ यह कह देना अपना परम कर्त्तव्य समझूंगा कि यह घोषणा, यह लिटिगेशन एक्ट जो कि १९२५ का है उसके अन्दर सुधार करती है। यह केवल एक्ट मात्र ही रह जाता है जिसके वापिस इम्प्लीकेशन सरकार सोचे तो सरकार को और बहुत सारे प्रावधान एक्ट के अन्दर ले आने चाहिए, कुछ रेवेन्यू एक्ट्स के अन्दर भी प्रावधान करने पड़ेंगे और इसके इम्प्लीमेन्टेशन को ज्यादा से ज्यादा संभव बनाने के लिए इस कानून को कुछ ज्यादा सख्त और इस कानून के दायरे को और ज्यादा वसीह करना पड़ेगा। इसलिए मैंने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये। पहले यह भी गौर किया जाये कि यह समय जिसमें प्रवर समिति इस प्रस्ताव को तय करके भेज दे वह कम से कम समय दिया है। केवल ७ दिन के अन्दर इस बिल को ज्यादा प्रगतिशील और ज्यादा सहायक बनाते हुए पेश कर दे। जहां तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है आज गंगानगर जिले के अन्दर भूमि अलॉटमेन्ट का मसला ४ साल से चल रहा है। आज सोल्जर्स को दूसरे रूप से धरती देने की बात कानून के अन्दर मौजूद है, लेकिन मैं सोल्जर्स की ऐसी ५-६ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की कॉन्क्रीट मिसाल पेश कर सकता हूँ जो कि पिछले ८-

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

६ साल से मौजूद हैं, लेकिन उनको जमीन का पज़ेशन नहीं मिला है। उनके अलॉटमेन्ट के केसेज़ खटाई में पड़े हैं और उनके ऊपर गौर नहीं किया जाता है। मैं अर्ज करूं कि कुछ सोसाइटीज़ तो ऐसी हैं कि जिनको तीन तीन बार जमीन अलॉट हो चुकी हैं और उनको जमीन का कब्जा नहीं दिया जा सका है। एक सोल्जर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी रायसिंहनगर में निर्मित हुई। बेफाना के पास कब्जा लेने की बात थी। क्योंकि वहां एक गम्भीर और दुर्ग नेता रहते हैं इसलिए उन्होंने सैनिकों को कब्जा नहीं लेने दिया और उसके बाद तीन स्थानों पर धरती अलॉट हुई और कहीं भी कब्जा नहीं मिला और वे आज भी इसी प्रकार भटकते फिर रहे हैं।

जहां तक परमानेन्ट अलॉटमेन्ट का सवाल है, मैं समझता हूँ कि जिस तरह के कानून बनाये हैं उस संबंध में और जिस प्रकार के प्रश्नोत्तर में जवाब दिये हैं कि ३८ हजार में से ७-८ हजार लोगों को ही धरती मिलने वाली है, अगर हम उसी कानून के तहत सैनिकों को भी लें तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि किसी भी सैनिक को गंग नहर क्षेत्र में धरती अलॉट होने वाली नहीं है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित रूप से एक मत प्रकट करूंगा कि जहां इस बिल को लिया है वहां आप इस तरह के प्रोविज़न्स भी प्रोवाइड करें कि कुछ गिरदावरी की लीनियेन्सी प्रोवाइड करें। अगर वास्तव में उनको राहत देना चाहते हैं तो उनके लिये कॉलोनाइज़ेशन एक्ट के अन्दर कुछ प्रोविज़न्स करने पड़ेंगे ताकि जो हमारी कॉलोनीज़ हैं उनकी धरती प्रोवाइड हो सके। इसके अलावा टीनन्सी एक्ट के अन्दर भी कुछ प्रावधान करने पड़ेंगे। आपको निश्चित रूप से सोल्जर्स को राहत देनी पड़ेगी और सोल्जर्स की जो इस प्रकार की सोसाइटीज़ हैं, जिनको धरती अलॉट नहीं हुई है, उनके अलॉटमेंट के प्रश्न को हल करना चाहिए। जितने भी केसेज़ हैं उनको स्थगित करना पड़ेगा। इसमें कई लेकुना हैं। जैसे भरतपुर से आने वाले साथी ने कहा कि यह निश्चित बात है कि ऐसे केसेज़ हुए हैं, मेरे डिस्ट्रिक्ट में भी हुए हैं जहां सैनिकों के खिलाफ वारन्ट्स इश्यू हो गए। अगर सरकार इन्क्वायरी कराये और इसके संबंध में कोई कमेटी या कमीशन तय करे तो सरकार के सामने ऐसे केसेज़ आयेंगे जहां इन ऑर्डर्स का इम्प्लीमेंन्टेशन नहीं हुआ है और ऐसे केसेज़ भी हुए हैं जहां तहसीलदार, घर के आदमी, नौजवान जंग के अन्दर लड़ने के लिए गये हैं और कुड़की लेकर आये। ऐसे बहुत से केसेज़ हैं जहां तकावी को सस्पेन्ड नहीं किया। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं निवेदन करूंगा कि इस राय से दो राय आज भारतवर्ष में नहीं हो सकती कि उन लोगों को राहत दी जाये जो हिमालय के बर्फीले पहाडों पर लहू की वर्षा कर रहे हैं। जब कि देश के ऊपर दो शत्रु आँख लगाये हुये हैं एक पाकिस्तान और दूसरा चीन, उनको राहत दी जाये। आज कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इस पर विभिन्न राय रखता हो, लेकिन कानून इस प्रकार का बनाया जाये कि उनको राहत मिले।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : एक मिनट, उपाध्यक्ष महोदय। जो यह विधेयक रखा गया है और जो प्रस्ताव प्रवर समिति में रखने का रखा उसका मैं समर्थन करता हूँ और उसके साथ ही साथ कुछ

(श्री विजयसिंह झाला)

डिफिकल्टीज इस बिल में हैं। एक मिनट के लिए हम मान लें कि जो सुविधायें इस बिल के अन्दर आती है उन्हीं सुविधाओं को दिया जाये और दूसरे इस बिल के बाहर नहीं जाया जाये। उसके बाद में भी मैं एक दो प्रश्न माननीय उप-मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए कि कोई सिपाही जो कि फ्रन्ट पर है और उसके पीछे जागीर के किसी प्रकार के केसेज़ हैं, वे केसेज़ उसके माइनर लड़के के नाम पर हैं, वह उसकी औरत के नाम पर हैं, क्योंकि बहुत सी जागीरें उसके अलग अलग कुटुम्ब के नाम पर निकाल रखी हैं जो कि दरअसल में सिपाही के ऊपर आश्रित हैं, ऐसी स्थिति में इस विधेयक के अन्दर आते हुए भी वह दरअसल में कार्य-वाही कराने वाले जिसके ऊपर आश्रित हैं वह व्यक्ति फौज के अन्दर है और फ्रन्ट पर है तो फ्रन्ट पर रहने वाला उसके पीछे जो माइनर लड़के के नाम पर किसी प्रकार की जागीर है या उसकी औरत के नाम पर किसी प्रकार की जागीर है या उसके भाई के नाम पर किसी प्रकार की जागीर है या ऐसा कोई कुटुम्ब का सदस्य जो कि उसके ऊपर आश्रित है उसके नाम पर किसी प्रकार की जागीर है तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्योंकि जो विधे-यक आप ला रहे हैं वह तो केवल जो फ्रन्ट पर लड़ने वाले हैं उनके लिए है ? लेकिन फ्रन्ट पर रहने वाले के आश्रित के ऊपर जो जागीर है और उसके बारे में जो लिटिगेशन्स चल रहे हैं उनके लिए क्या प्रोविज़न है ? क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी जागीरें हैं उनका बंटवारा है और एक कुटुम्ब के अन्दर ४-५ आदमियों के नाम पर है और वह पांचों सदस्य एक के ऊपर आश्रित हैं और वह फ्रन्ट पर है, इस तरह से जो आश्रित हैं उनको फैसेलिटीज़ देना चाहते हैं। इसके बाद जो आदमी एफेक्टेड हुए हैं और वार फ्रन्ट से हटा लिए गए हैं या अस्पताल में दाखिल हैं या इस स्थिति में नहीं हैं कि वह अभी जाकर पैरवी कर सकते हैं ऐसी स्थिति में वह फ्रन्ट पर नहीं है लेकिन वह एफेक्टेड हुआ है और वह अस्पताल में है तो उसके बारे में क्या करना चाहते हैं ?

क्या उनको आप सुविधायें इसकी देना चाहते हो, और यदि नहीं देना चाहते हो तो क्या वह इस स्थिति में हैं आज कि इसके अन्तर्गत किसी प्रकार की कार्यवाही कर सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ फ्रन्ट का जो सिपाही है और उनके पीछे जो सदस्य हैं उनके साथ में किस प्रकार की घटनाएं होती हैं उन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार क्या सहायता देती है ? उसके बारे में आपने क्या सोचा है ? अभी कुछ दिन पूर्व देवली का एक सिपाही जो कि फ्रन्ट पर लड़ रहा है उसकी औरत के साथ में व्यभिचार किया गया है। उस औरत के लिए क्या प्रबन्ध किया गया है और उसके लिए किस प्रकार की लीगल सहायता देना चाहते हैं ? क्या इसके बारे में आपने सोचा है ? क्या आज एक आदमी जो लड़ाई के लिए फ्रन्ट पर जाय और पीछे से उसकी औरत के साथ में व्यभिचार किया जाय ? अगर वह यह सुनेगा तो उसके दिल पर किस प्रकार की गुजरेगी ? एक ओर तो अपनी जान देने के लिए, देश की रक्षा के लिए आया है और उसके बाद में उसके परिवार के साथ में किस प्रकार की स्थिति होती है और दरअसल में जो यह स्थिति है उसका क्या करेगा ?

(श्री विजयसिंह झाला)

साथ ही साथ कोई आदमी मर गया है और उसके पीछे लड़का है वह माइनर है और माइनर है तो जब तक कि मेजर न हो जाय लिटिगेशन की कार्यवाही नहीं कर सकता है तो क्या इस प्रकार का प्रावधान रखना चाहते हैं कि जब तक मेजर न हो जाय सरकार की तरफ से वकील उसके लिए किया जायगा या वह स्थगित कर दिया जायगा ? इसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि जब तक वह जीवित है तब तक उसको सहायता देना चाहते हैं, लेकिन मरने के बाद में उसके पीछे माइनर लड़के रहते हैं वह क्या कार्यवाही करेंगे और कार्यवाही करेंगे तो क्या वकील की फीस या और किसी प्रकार की सहायता देना चाहते हैं इस लिटिगेशन के आधार पर ?

इस प्रकार कुछ बातों के आधार पर मैं समझता हूं कि हम यह भी चाहते हैं कि बिल जल्दी पास हो, लेकिन केवल ७ दिन के लिए; क्योंकि इसी सेशन में पास हो सकता है इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और जो कुछ इसमें प्रोवीज़ो किसी प्रकार का जुड़ सकता है या मैं समझता हूं कि इसके ही अन्तर्गत रहे और अन्य किसी प्रकार की सुविधा न जोड़े तब भी इसके अन्दर बहुत से लेकुना हैं जिनको हम निकाल सकते हैं। मैं समझता हूं कि इसके आधार पर तथा और भी फौजदारी आदि इसमें जोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छा हो। लेकिन अगर जोड़ें भी नहीं और यहीं तक सीमित रहें तो भी इसमें बहुत से डिफेक्ट्स हैं कि जिनको हम प्रवर समिति में निकाल सकते हैं। इसलिए मैं आशा करता हूं, इस प्रस्ताव को सदन अवश्य स्वीकार करेगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के सम्बन्ध में संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका मैं विरोध करता हूँ। वास्तव में जिस दृष्टि से यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है अगर उस दृष्टि और उस उद्देश्य को हम समझ लें तो उस संशोधन के प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं रहती है।

इन्डियन सोल्जर्स एक्ट के तहत जो पर-सोनल आते हैं उनको लिटिगेशन के लिए जो एडवान्टेज हमने पहले दे रखा है उस एडवान्टेज के सम्बन्ध में एक कोर्ट को बढ़ाने का सवाल है। यह मूल विधेयक नहीं है। जो ऑलरेडी कानून है इन्डियन सोल्जर्स एक्ट उसके अन्दर जो कुछ वह कानून है उसमें कोर्ट को डिफाइन किया गया है सिविल और रेवेन्यू। उसके अन्दर जागीर इन्क्लूडेड नहीं है और जो कुछ राजपूत या दूसरे जागीरदार या उनके लड़के या उनके वारिश उस प्रकार के इधर सर्विसेज़ में गये हुये हैं उनके केसेज़ जागीर कोर्ट्स में चल रहे हैं तो उनको एक्ज़ेम्पशन देने के लिये कोर्ट की डेफिनिशन में जैसे यह जागीर कोर्ट्स हैं उनको भी रखा जाय, इस प्रकार का यह अमेंडमेंट है।

अब सवाल सामने आता है कि इसमें दो प्रकार की बातें सामने रखी गई हैं; एक तो यह रखी गई कि किनको एप्लाई करेगा और एक यह बताया गया है कि किन मामलों में एप्लाई करेगा। वास्तव में इस बात को समझने की आवश्यकता है। जैसा मैंने पहले निवेदन किया है कि यहां पर कोटा की तरफ से आने वाले एक माननीय सदस्य ने कहा और निम्बाहेड़ा की तरफ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह तो उन सोल्जर्स पर लागू होगा जो कि वर्दी पहिन कर लड़ रहे हैं,

(श्री रामप्रसाद लड्ढा

वही सोल्जर हैं। यह एडवान्टेज उन्हीं को है। मैं सदन की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूँ कि सोल्जर को जो कि ले–मैन की टर्म है उसके अन्दर न लें। "Soldier as defined under the Indian Soldiers Act". सोल्जर की परिभाषा में जो सोल्जर्स एक्ट में दिया हुआ है। उस सोल्जर से मतलब है और वह परिभाषा यह दी हुई है; "Any person who is subject to Army Act, 1950 and the Air Force Act, 1950..." तो आर्मी एक्ट, १९५० और एयर फोर्स एक्ट, १९५० के डिसिप्लिन और अनुशासन और उनके रुल्स के अन्तर्गत भर्ती होने वाला कोई भी आदमी हो वह सिपाही की तरह से लड़ रहा हो, चाहे ऑफिसर की तरह से काम करता हो, चाहे लड़ाई के अलावा और कोई काम करता हो लेकिन उसका एपोइन्टमेंट सब्जेक्ट टू आर्मी एक्ट या एयर फोर्स एक्ट किसी काम को करता हो क्लेरिकल जॉब करता हो, स्टोर-कीपर हो, ऑपरेटर हो, चाहे किसी काम को उस एक्ट के तहत में करने वाला हो सभी तो उस सोल्जर की डेफिनिशन में आ गये। इसलिए जो प्रारम्भ में शंका की गई थी उस शंका को इस एक्सप्लेनेशन से निकाला जा सकता है और आर० ए० सी० पर्सोनल पर भी लागू होगा। यह टर्म बहुत वाइड है। लड़ने वाला ही सोल्जर नहीं बल्कि वह पर्सोनल जो कि इन एक्ट्स के तहत आता है, इस तरह की टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स के तहत आता है वह सोल्जर है।

अब दूसरा सवाल रहता है कि किस किस्म के कामों पर लागू होता है। यहां पर कई तरह के मुद्दे उठाये गये। एक साहब ने कहा कि रेवेन्यू कोर्ट पर लागू हो सकता है। एक साहब ने....,

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य ने कहा कि रेवेन्यू कोर्ट्स पर लागू होना चाहिए। एक माननीय सदस्य ने कहा कि टीनेन्सी एक्ट के तहत मुकदमे भी इससे कवर्ड होने चाहिए। एक माननीय सदस्य ने कहा कि फौजदारी पर भी लागू हो जाय और एक माननीय सदस्य ने कहा कि कॉलोनाइज़ेशन एक्ट भी इसमें शामिल होने चाहिए, लैण्ड के अलॉटमेंट के रूल्स भी इसमें शामिल होने चाहिए। जो भी सुविधाएं एक सोल्जर को दी जानी चाहिए उन सबका समावेश इसी कानून में हो जाना चाहिए। नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि देखना आपको यह है कि मूल एक्ट क्या है, सोल्जर्स एक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? इसका सब्जेक्ट मैटर है लिटिनेशन। लिटिनेशन में इन्डियन सोल्जर को क्या सुभीता मिले, उसका वह मूल कानून है और उस सुविधा में एक चीज की कमी थी जिसको हम इस तरमीम के जरिये बढ़ा रहे हैं। इसलिए सारी बातों का समावेश इस लिटिनेशन से सम्बन्धित सुविधा देने वाले कानून में हम नहीं कर सकते हैं। हम कर सकते हैं इस बात को कि कोर्ट को डिफाइन कर रखा है--सिविल और रेवेन्यू, इसलिए भरतपुर की तरफ से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कि टीनेन्सी एक्ट वाले मामले या रेवेन्यू वाले मामले इससे कवर्ड-अप हो जाने चाहिए तो कोर्ट की डेफिनिशन में चूंकि रेवेन्यू कोर्टों को शामिल कर लिया गया है इसलिए वे टीनेन्सी वाले या रेवेन्यू वाले मामले इससे कवर्ड–अप हो जाते हैं। सिविल पहले से ही कवर्ड हैं, जागीर केसेज़ इस अमेंडमेंट बिल से कवर्ड–अप हो जायेंगे।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

अब रहा क्रिमिनल का सवाल। तो क्रिमिनल के लिए १०७ और १४५ और कई धाराओं का जिक्र करते हुए कहा कि इन धाराओं का भी इनमें समावेश कर दिया जाय। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर मिलिटरी के पर्सोनल का सवाल है तो जो आर्मी में आते हैं और एयर फोर्स एक्ट और आर्मी के कानून से बँधे हुए हैं उसका जब एक अलग कानून है इस काम के सम्बन्ध में और वह उसी से गवनर्ड होता है तो फिर यह कैसे कल्पना की जा सकती है कि कानून बनाने वाले ने कानून बनाया तो यह सोचा नहीं जा सकता कि आर्मी पर है, लड़ रहा है वह वहां रहता है, तो १७७ क्या करेगा ?

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : आना पड़ता है। फ्रन्ट पर हो तो भी आना पड़ता है, छुट्टी लेकर।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : छुट्टी पर आये तो........

श्री कृष्णकुमार गोयल : छुट्टी लेकर आना पड़ता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: छुट्टी पर आने का कानून नहीं है। परमानेन्ट लोगों के लिए है। लिटिगेशन में एडवान्टेज देने का सवाल है। सिविल, रेवेन्यू और जागीर लॉ के संबंध में यह फैसिलिटी दी गई है और टीनेन्सी एक्ट और रेवेन्यू इससे कवर्ड हो जाते हैं। कॉलोनाईजेशन की बात कही तो कॉलोनाइजेशन का कानून होना चाहिए, रूल्स होने चाहिए और केवल कागजी कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान ही एक ऐसा प्रान्त है सारे देश के अन्दर जहाँ कि आज इस समय नेफा और लद्दाख की हॉस्टिलिटी में लड़ रहे हैं या लड़ाई के सम्बन्ध में दूसरी कार्यवाही कर रहे हैं उनको अधिक से अधिक कन्सेशन, चाहे केश रिवार्ड में हों, चाहे और किसी शकल में हों, चाहे जमीन देने के रूप में हों, सर्विसेज के बारे में हों, दिये हैं। यही नहीं, आज राजस्थान कैनाल में इनके लिए जमीन रखी और उस संबंध में कानून बनाया गया। ऐसा कानून बनाया गया कि उन लोगों को जमीन निःशुल्क दी जाय, मुफ्त दी जाय। उस जमीन के एक मुरबै की कीमत अगर ये बेचें तो २०–२०, २५–२५ और १५–१५ हजार आ सकती है। लेकिन हमने खयाल रखा कि उनकी जिंदगी हमारे देश की रक्षा में लग रही है। इसलिए हमने इन लोगों को जिस प्रकार का भी लाभ हो सका, पहुँचाया। हमने केवल राजस्थान के लिए ही नहीं, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लिए भी इस प्रकार की व्यवस्था की। हमने केवल राजस्थान कैनाल में ही नहीं की, चम्बल में भी की और भाखरा में भी की और जितने हमारे अलॉटमेंट रूल्स हैं, जो बारानी जमीन के अलॉटमेंट रूल्स हैं, उनके अन्दर भी हमने व्यवस्था की कि इनको प्राथमिकता दी जाय।

यह मैं कहता हूँ डिसेब्ल्ड सर्विसमैन के बारे में एक्चुअली जो वार फ्रंट पर हैं, जो एक्स–सर्विसमैन की तारीफ में आते हैं उनके बारे में नहीं, एक्स–सर्विसमैन के लिए राजस्थान कैनाल में ५० हजार एकड़ जमीन सुरक्षित है। हमने इसका प्रोवीजन रख दिया है। गंग कैनाल के अलॉटमेंट के रूल्स को देखिए। १६५७ लैंड अलॉटमेंट रूल्स को देखिए और समय-समय पर जो अलॉटमेंट

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

रूल्स बने हैं उन सब में उनको प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान किया है। तो इस तरह से एक इंडियन सोल्जर जो नेशनल एमर्जेन्सी के वक्त, हमारे देश की रक्षा के लिए लड़ रहा है या काम आता है तो उसको पूरी सहायता मिलनी चाहिए। इस दिशा में सरकार पूर्णतः प्रयत्नशील है और केवल लिटीगेशन के मामले में एडवान्टेज बढ़ाने की बात थी। वह इस अमेंडमेंट बिल के जरिए की। हमने यह इसलिए नहीं किया कि दुनिया को मालूम पड़े कि हम यह एक्स-सर्विसमैन के लिए कर रहे हैं। हमने पहले कागजी कार्यवाही की और बाद में लागू किया। इसका एडवान्टेज इनको एक्सटेंड किया। लेकिन कहीं केवल इर्रेग्यूलर्टी न कहलाए, इसलिए उस इर्रेग्यूलर्टी को रैग्यूलराइज़ करने के लिए यह कानून सदन के सामने रखा। दूसरे सक्यूर्लर्स जो किसी न किसी कानून की परिभाषा में आते हैं, उनके जरिए रूल्स में परिवर्तन किए जाते हैं। इसलिए जो परिवर्तन किए गए हैं, इन सारी दृष्टियों को ध्यान में रखते हुए, मैं समझता हूँ कि यह बिल प्रवर समिति के सुपुर्द न किया जाय, बल्कि जितना जल्दी से हो सके इसे पारित किया जाय, जिससे कि उसकी लीगेलिटी के बारे में कोई शंका नहीं रहे और इसका लाभ........

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : जो लिटिगेशन ऐसे व्यक्तियों का जो लड़ाई में लड़ रहे हैं........

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने स्पष्टतः निवेदन कर दिया कि उन्हीं लोगों पर लागू होता है जो इंडियन सोल्जर्स एक्ट के अन्दर जो डेफीनेशन दी हुई है, उस डेफीनेशन में कवर होने वाले आदमियों पर ये प्रावधान लागू होंगे, इसका लाभ उनको मिलेगा। यह जरूरी नहीं है कि इसका लाभ उनके घर में रहने वाले हर रिश्तेदार को मिलेगा।

श्री विजयसिंह झाला : लिटीगेशन का जो प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जागीरदारी सारी डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कानून में दिया हुआ है कि जो आश्रित हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : लेकिन जो फ्रन्ट पर नहीं हैं........

श्री रामप्रसाद लड्ढा : फ्रन्ट पर तलवार या बन्दूक चलाता हो, यह जरूरी नहीं है। आर्मेड फोर्स एक्ट और एअर फोर्स एक्ट से गाईडेड जो भी व्यक्ति हैं, जहां कोई भी काम कर रहा हो, वह व्यक्ति सोल्जर कहलाएगा, according to the definition given under he Indian Soldiers Act.

श्री उपाध्यक्ष : Would you like to withdraw your motion.

श्री रामकिशन (वैर) : नहीं साहब। इन्होंने सुविधाओं की बात कही। दो बातें उन्होंने नहीं मानी। वैसे उसके पास होने में मेरा विरोध नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री रामकिशन ने प्रस्तुत किया है विधेयक में, उसे पारित किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री अब्दुल जब्बार ने रखा है, प्रवर समिति में पेश करने के लिए इस विधेयक को, उसे पारित किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री कृष्णकुमार गोयल ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ने रखा है, वह स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को विचारार्थ लिया,जाय

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : Is it a point of Order ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इन्डियन सोल्जर्स (लिटिगेशन) (एक्सटेन्शन टू जागीर प्रोसीडिंग्स) बिल, १९६३ जिसको माननीय उप-मन्त्री, राजस्व ने पास करने के लिए प्रस्तुत किया है, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। अभी यह विधेयक विचारार्थ लिया गया और इधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों ने कुछ इस प्रकार के प्रस्ताव प्रस्तुत किये कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो ७ दिन के अन्दर कुछ और समस्याओं पर विचार करे और इस सदन के सम्मुख अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे और उसके बाद इस विधेयक को पारित किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं समझता हूँ, जिन भी माननीय सदस्यों ने इस प्रकार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, उन की कभी भी यह मन्शा नहीं थी कि इस विधेयक में विलाम्ब किया जाय। हम भी इस बात को मानते हैं कि हिन्दुस्तान के ऊपर, जो चीन और पाकिस्तान की ओर से हमले के नापाक इरादे बढ़ रहे हैं, उनको नाकामयाब करने के लिए और भारत की स्वतन्त्रता और भारत की अखण्डता की रक्षा के लिए,भारत के जो सिपाही, भारत माता के जो सपूत हैं लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको सब प्रकार की सुविधाएं दी जायं। न्यायालयों में जितने भी मुकदमे उनके सम्बन्ध में चल रहे हैं उनमें उनको किसी प्रकार की राहत दी जाय। इस सम्बन्ध में जैसा माननीय उप-राजस्व मन्त्री ने कहा कि राजस्थान सरकार ने बड़ी जागरूकता के साथ इस प्रकार के नोटिफिकेशन्स जारी किए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

चाहता हूँ कि जहां तक राजस्थान सरकार का सम्बन्ध है उसको इस सम्बन्ध में जितना जागरूक होना चाहिए था उतनी वह जागरूक नहीं रही है । यदि वह वास्तव में जागरूक थी तो पिछले बजट अधिवेशन में ही इसको लाना चाहिए था, लेकिन सरकार सोती रही, उसने कोई चिन्ता नहीं की । नेशनल इमर्जेन्सी को डिक्लेयर किए हुए लगभग एक साल हो गया, राष्ट्र के अन्दर संकटकालीन स्थिति की घोषणा हुई, उपाध्यक्ष महोदय, अब अगस्त समाप्त होने को आ रहा है, पिछले २६ अक्तूबर को संकटकालीन स्थिति की घोषणा हुई, अब तक सरकार सिर्फ आज्ञाएं जारी करती रही, जिसका हवाला भी माननीय उप-मन्त्री ने यहां दिया । उनके कहने के अनुसार उन आज्ञाओं के पीछे कानून की सम्पुष्टि नहीं थी ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कई माननीय सदस्य सोचते हैं कि इस स्थिति में हम उन सोल्जर्स को कुछ सुविधाएं देना चाहते हैं, अदालतों के जो कानून हैं उनसे भी इनको ज्यादा राहत दी जा सके, इस व्यवस्था के लिये इसको प्रवर समिति में भेजना चाहिये । मैं फिर कहना चाहता हूँ और मंत्री महोदय से पूछना चहता हूं कि जिस समय वे जवाब दें उस समय स्पष्टीकरण करें स्थिति का कि ऐसा कानून बना कर किस तरह से राहत दिला सकते हैं । हमारे यहाँ कानून है, किसी सिपाही के ऊपर किसी का कर्ज़ा है, उसने कोर्ट में दावा किया और सिविल कोर्ट में उस सिपाही पर डिक्री हो गई, यह बात सही है कि सिविल कोर्ट में चल रही प्रोसीडिंग्स का जहाँ तक सवाल है वह प्रोसीडिंग्स रुक जायंगी। हमारे यहाँ कुछ डेट रेलीफ कोर्ट्स (Debt Relief courts) भी चल रहे हैं । सन् ५७ में हमने जो कानून पास किया है विधान सभा में राजस्थान रिलीफ ऑफ एग्रीकल्चरल इन्डेटेडनैस एक्ट पास किया था । मैं निवेदन करना चाहता हूं हमने हमारे राजस्थान के काश्तकारों के लिये जो कानून बनाया था वह यह था इस प्रकार के डेट रिलीफ कोर्ट्स राजस्थान सरकार एस्टबलिश करेगी । वह जो कोर्ट्स बनाये जायेंगे उनमें प्रोसीडिंग्स चलेंगी । इसके बारे में मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या ये कोर्ट्स सिविल कोर्ट्स की तारीफ में आते हैं ? जहाँ तक मेरी जानकारी है ये डेट-रिलीफ कोर्ट्स अलग तरह से डिफाइन किये गये हैं । मैं उस धारा को कोट करना चाहता हूँ । राजस्थान रिलीफ ऑफ इन्डेटेडनैस एक्ट, १९५७ है उसमें लिखा है डेट रिलीफ कोर्ट्स के बारे में सेक्शन ३ में यह लिखा है:-

'Debt relief Court, means a debt relief court established under Section 3,, .

And section 3 reads "Notwithstanding anything contained in the Rajasthan civil courts Ordinance,1950 (Rajasthan Ordinance VII of 1950), ethe State Government may establish Debt Relief courts with such j urisdiction as it may determine and may appoint persons possessing the prescribed qualifications to be Judges of such courts."ये जो कोर्ट्स हैं,ये जो अदालतें हैं जो राजस्थान रिलीफ ऑफ एग्रीकल्चरल इन्डेटेडनैस एक्ट, १९५७ की धारा ३ के आधीन राजस्थान सरकार नियुक्त करेगी वे सारी अदालतें होंगी वे डेट रिलीफ कोर्ट्स कहलायेगी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

और राजस्थान सरकार को यह अधिकार दिया गया है, मैं माननीय उप-मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या ये कोर्ट्स सिविल कोर्ट्स की तारीफ में आ जायेंगे ? यदि वे कानून की सारी व्यवस्थाओं को ध्यान से देखेंगे तो उनको पता चल जायगा, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें आगे व्यवस्थाएं इस प्रकार हैं कि डेट रिलीफ कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन सिविल कोर्ट्स से अलग है, स्पेशल जुरिस्डिक्शन माना है, क्रियेशन स्पेशल स्टेच्युट से किया है। यहां तक मैं कहूंगा कि सिविल कोर्ट की तारीफ में यह डेट रिलीफ कोर्ट्स नहीं आयेंगे, वे पूरी तरह से जानकारी कर लें। मैं उनका ध्यान दफा १६ की तरफ दिलाना चाहूँगा जिसमें लिखा है :—

" The District Court, in regard to proceedings under this act, shall, so far as is practicable and subject to the provions of this Act, have the same powers and shall follow the same procedure as it would have and follow under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act V of 1908)."

जहां तक प्रोसीजर का सवाल है वहाँ प्रोसीजर फोलो करने के लिये हमने सिविल प्रोसीजर को एप्लाई किया है। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह स्पेशल स्टेच्युट है। हमने सिविल कोर्ट्स के बावजूद भी डेट रिलीफ कोर्ट्स की व्यवस्था की है। मेरी जहां तक मान्यता है कि इसमें चलने वाली कार्यवाही आज सिविल कोर्ट्स में नहीं आयगी और उनमें चलने वाले मुकदमे आप इससे नहीं रोक पायेंगे और जो सोलजर लड़ाई के मैदान में लड़ रहा है उनके मामले डेट रिलीफ कोर्ट्स में पेश नहीं किये जा सकेंगे। सिविल कोर्ट में डिक्री होने और एग्जीक्यूशन होने के बाद आपके प्रोविजन का क्या होगा ? मैं कहूँगा कि लिमिटेशन एक्ट के सारे प्रोविजन्स एप्लाई करेंगे और बाद में सारी एप्लीकेशन्स मियाद बाहर हो जायेंगी। मैं राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस पर विचार करें।

एक सवाल इसके अतिरिक्त और है और वह सवाल यह है कि हमारे यहां राजस्थान में विशेषरूप से जिस समय इन्डियन सोल्जर्स लिटिगेशन एक्ट बना था उस समय हिन्दुस्तान में पंचायती राज्य की स्थापना नहीं हुई थी। पंचायती राज्य की कल्पना, यद्यपि बहुत पुरानी है, लेकिन पंचायत राज्य की स्थापना अभी पिछले सन् ५६ के बाद हुई है और पंचायत राज्य का जो कानून बनाया, राजस्थान पंचायत एक्ट, जिसे इस सदन ने पास किया सन् ५३ में और उसके बाद इसमें संशोधन करके हमने पंचायत समितियों और जिला परिषदों की स्थापना की और उसके बाद संशोधन करके न्याय पंचायतों का निर्माण किया। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इन न्याय पंचायतों के सम्बन्ध में विचार करना होगा। न्याय पंचायतों के सामने चलने वाले मुकदमे राजस्थान में हजारों की संख्या में हैं। यदि इनमें सिपाहियों को राहत नहीं दी तो राजस्थान की ८३ परसेन्ट जनता गांवों में रहती है जो न्याय पंचायतों के जुरिडिक्शन में आती है। मैं निवेदन करूंगा कि वे इस कानून की मंशा, जो उनको राहत देने की है, उससे महरूम रह जायेंगे। न्याय पंचायतों में जो केसेज़ चलते हैं, मैं समझता हूँ, बड़े बड़े शहरों में जितनी अदालतें हैं और उनमें जितने मुकदमे चलते

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हैं उनसे कहीं ज्यादा मात्रा में, ज्यादा संख्या में न्याय पंचायतों में मुकदमें चलते हैं। मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में विचार करेंगे कि राजस्थान में २३२ पंचायत समितियां हैं और उनके अन्तर्गत उनके क्षेत्रों में न्याय पंचायतें जिनको मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार दिया है और इससे भी ज्यादा गम्भीर सवाल है वह यह है कि हमारी पंचायतों को कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉवर्स हैं। इस कारण हमारे राजस्थान में जो पंचायतें हैं जो पंचायत कोर्टस् नहीं हैं, जो न्यायालयों की तारीफ में नहीं आते हैं, न्यायालय के लिये तो शायद वे रेफरेन्स ढूंढ कर लावें, लेकिन जो पंचायतें कोर्टस् की तारीफ में नहीं आतीं उन सब के बावजूद, स्वयं मन्त्रीजी को मालूम होना चाहिये कि राजस्थान में जितनी पंचायतें हैं उनको गांवों में रहने वाले लोगों के एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं, प्रशासनिक मामले हैं उनमें पंचायतें फैसला करती हैं। यदि किसी पंचायत ने फैसला कर दिया तो उसकी अपील पंचायत समिति के पास होगी और पंचायत समिति के फैसले की अपील कलेक्टर के पास होती है।

मैं पूछना चाहता हूँ कि पंचायत ने कोई फैसला किया और उसकी अपील नहीं हुई पंचायत समिति में या कलेक्टर के यहां नहीं हुई तो मैं राजस्व मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूँ कि यदि पंचायत एक्ट की धारा ३६ के आधीन प्रशासनिक मामले में फैसला किया है, प्रशासनिक मामले ट्रान्सफर के मामले नहीं हैं, प्रमोशन के मामले नहीं हैं, किसी की अपॉइन्टमेंट के मामले नहीं हैं, उपाध्यक्ष महोदय, धारा ३६ में प्रशासनिक मामलों में जो अधिकार पंचायतों को दिये हैं वे इस प्रकार के हो सकते हैं कि हमारे यहां किसी आदमी का मकान तोड़ने का हुक्म पंचायत ने दे दिया, किसी सिपाही का मकान तुड़वाने का हुक्म दे दिया तो उसको अधिकार इस बात का है कि वह अपील पंचायत समिति में करे और इसके लिये मियाद दी है ३० दिन की। अब अगर वह सिपाही यहां नहीं है, फौज में लड़ने गया है तो कैसे अपील करेगा प्रशासनिक आज्ञा के विरुद्ध? वह मोर्चे पर गया हुआ है तो अपील नहीं कर सकेगा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि इस मिसाल पर आप कैसे राहत देंगे? मैं कहूंगा कि पंचायत समिति के खिलाफ अपील कलेक्टर के यहां कर सकते हैं, लेकिन न तो पंचायत समिति और न कलेक्टर सिविल कोर्ट है और सिविल कोर्ट न होने की सूरत में वे अपील की सुनवाई करते हैं तो ऐसी हालत में आप उन सिपाहियों को कैसे राहत पहुंचायेंगे? मैं यह कहूँगा कि जहाँ तक राजस्थान का अनुभव है, जिस समय इन्डियन सोल्जर्स लिटिगेशन एक्ट बना था उस समय पंचायतें नहीं थीं। हमने पंचायतें अभी बनाई हैं, हमने उनको अधिकार दिये हैं और उनके अन्तर्गत उनके सामने किसी सिपाही का मुकदमा चल रहा है खेत की बाउन्डरी के डिस्प्यूट के सम्बन्ध में या रास्ते के बारे में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से झगड़ा है और उस झगड़े को पंचायत तय करती है क्योंकि उसको इन सारे मामलों को तय करने के जो अधिकार दिये हैं वे प्रशासनिक तरीके के अधिकार दिये हैं। उन मामलों में आप उन सोल्जर्स को इस कानून की तहत राहत नहीं पहुँचा पायेंगे।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहूँगा

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

और वह यह है कि कन्सोलीडेशन का मामला राजस्थान में चल रहा है। कन्सोलीडेशन का, भूमि एकीकरण का मामला चल रहा है और भूमि एकीकरण का प्रश्न शहरों में नहीं गांवों में है। भूमि एकीकरण के सम्बन्ध में जो सबसे आखिरी अपील होती है वह स्टेट गवर्नमेंट को होती है। आपको शायद मालूम होगा, आपकी स्टेट गवर्नमेंट को पॉवर आपने डेलीगेट की है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन कानूनों के अधीन उनकी अपील और रिवीज़न की अर्जी स्टेट गवर्नमेंट को होती है और स्टेट गवर्नमेंट सिविल कोर्ट नहीं है, रेवेन्यू कोर्ट नहीं है, यह वह भी मानेंगे तो अगर स्टेट गवर्नमेंट सिविल कोर्ट नहीं है, रेवेन्यू कोर्ट नहीं है, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन सारे मामलों पर यह कानून लागू नहीं होगा। कन्सोलिडेशन के मामले में अगर किसी सिपाही को इधर से उधर लगा दिया गया, चूंकि गलत लगा दिया गया, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि किनको अपील करेगा। उस पर रेवेन्यू कोर्ट के लॉ लागू नहीं होते। हमने अलग कन्सोलिडेशन का कानून बनाया है, उसमें अलग अपील की व्यवस्था की है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि उस दृष्टि से हाइएस्ट ऑथरिटी अपील और रिवीज़न सुनने की स्टेट गवर्नमेंट की है। इसलिए मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उस स्थिति में क्या होगा ? यह राहत उसको कैसे पहुँचेगी ?

उसी प्रकार एक और सवाल पैदा होता है और वह यह है कि बहुत सारे सिपाही, अधिक तो नहीं, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो शहरों और कस्बों के रहने वाले हों। अब कस्बे का रहने वाला कोई सिपाही फौज में है, नगरपालिका उसके पीछे से नगरपालिका कानून के तहत उसके घरवालों को और उसको नोटिस दे दे, कानून के तहत डिमोलीशन की कार्यवाही का या अन्य किसी प्रकार का नोटिस उसको दे, तो मैं उप राजस्व मंत्री से पूछना चाहूँगा कि म्यूनिसिपैलिटी कोर्ट या म्यूनिसिपैलिटी वह भी उसके खिलाफ कार्यवाही न करे तो उस सम्बन्ध में आप क्या राहत देना चाहते हैं कि उस पर मुकदमें न हों ? आज अदालतों में चलने वाले मुकदमें ज्यादा नहीं, लेकिन यह सही है कि राजस्थान में बनी हुई पंचायतें और नगरपालिका पक्षपात के आधार पर अन्याय करती हैं, कई स्थानों पर उससे राहत देने की आवश्यकता है, वह आप इस कानून के अनुसार नहीं देंगे। म्यूनिसिपैलिटी कोर्ट जो हैं, उनके म्यूनिसिपैलिटी मजिस्ट्रेट अलग हैं—उनके सामने चलने वाले मुकदमों और म्यूनिसिपल कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर के पास चलने वाले मुकदमें हैं- उनमें क्या होगा ? हाउस टैक्स के एडजस्टमेंट के मामले में क्या होगा ? मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यह सिविल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट की तारीफ में नहीं आता। इसका नतीजा यह होगा कि कानून लाने की जो आपकी मंशा है राजस्थान की विशेष परिवर्तित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वह पूरी नहीं होगी क्योंकि राजस्थान सरकार ने इन सब बातों पर विचार नहीं किया है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हम कानून पास कर रहे हैं, हम कानून पास करें और यह कानून पास हो भी जायेगा- इसमें दिक्कत की बात नहीं है, बल्कि हर तरफ से स्वागत किया गया है और मैं केवल स्वागत की ही बात

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

नहीं कहता, मैं तो सरकार के ऊपर चार्ज लगाता हूं कि दस महीने तक सरकार क्या सोचती रही ? सरकार ने इस कानून को बजट अधिवेशन में पेश क्यों नहीं किया ? सरकार ने नोटीफिकेशन निकाल दिया और आज्ञायें जारी कर दीं और अब आप राजस्थान विधान सभा से उस पर मोहर लगवाना चाहते हैं कि यह १५ नवम्बर, १९६२ से लागू माना जायगा। १५ नवम्बर, १९६२ से लगा करके अब २६ अगस्त, १९६३ हो गया, इस बीच दस महीने तक सरकार क्यों सोचती रही ? सरकार कहती है कि हमने आज्ञायें जारी कर दीं, हमने सिपाहियों को राहत पहुँचाने के लिए पाँच हजार एकड़ भूमि सुरक्षित कर दी। आपने आज्ञायें जारी कर दीं और पाँच हजार एकड़ भूमि सुरक्षित कर दी, केवल अखबारों में प्रचार कराने के लिए, सरकार का विज्ञापन करने के लिए।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार अगर किसी चीज के अन्दर सबसे आगे हैं और हिन्दुस्तान में किसी सरकार को आगे होने का सर्टीफिकेट दिया जा सकता है तो वह राजस्थान सरकार को दिया जा सकता है। तो राजस्थान सरकार अपना विज्ञापन करने के लिए सबसे आगे है। जो चीजें लोगों को राहत पहुंचाने की है, उसको तो करेगी नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय उप राजस्व मन्त्री आप इन सवालों पर कानूनी ढंग से और जो प्रश्न मैंने उठाये हैं उन प्रश्नों पर कानूनी दृष्टि से विचार करने की दृष्टि से इस पर विचार कर लें। इसके लिए आपको समय चाहिए तो आज के बजाय इस पर कल विचार कर सकते हैं और आवश्यकता समझें तो अपने विधि विभाग से राय ले लें और केवल अपनी कानूनी जानकारी के आधार पर जवाब देने की कोशिश नहीं करें। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यह कानूनी मसला है, एक गम्भीर मसला है, सिपाहियों को राहत देने का सवाल है जिसका हम सबने स्वागत किया है और कहा है कि जल्दी इस कानून को लाना चाहिए था–इसलिए इन शब्दों के साथ मैं अपने सुझाव प्रस्तुत करते हुए माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करलें। इस कानून को जल्दी पास करने की इच्छा हमारी भी है, लेकिन आज नहीं तो कल इसे पास कर सकते हैं, तब तक आप इसकी लीगल पोसीशन को एग्ज़ामिन करवा लें और उन सारे कानूनों, जिनका हवाला मैंने दिया है–क्योंकि यह सिविल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट की तारीफ में नहीं आता–उन पर विचार कीजिये। आप चाहते हैं उनके तहत आपको इन्हें राहत देनी है। आपको राहत देनी है और यह उनकी तारीफ में नहीं आता तो किस तरह राहत दे पायेंगे, जब तक वह संशोधन के रूप में इसमें न जोड़ा जाय ? इसलिए जो प्रश्न मैंने उठायें हैं उन पर सरकार स्वयं अपनी तरफ से अमेंडमेंट ले आये। मन्त्री महोदय चाहें तो अपनी ओर से इसमें संशोधन पेश कर सकते हैं और चाहें तो मैं अपनी ओर से संशोधन पेश कर दूं। यह सदन उन्हें सहर्ष स्वीकार करेगा, क्योंकि सदन के सभी माननीय सदस्य इसके पक्ष में हैं कि उनको राहत देनी चाहिए। इन शब्दों के साथ में मैं यह सुझाव प्रस्तुत करता हूँ कि इस बिल को पोस्टपोन किया जाय।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल,

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इन्डियन सोल्जर्स (लिटिगेशन) एक्ट, १६२५ में निर्माण हुआ था। जिस समय इस कानून का निर्माण हुआ उस समय हमारे देश की परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न थीं। जिस प्रकार के मुकदमे उस जमाने में दायर किये जाते थे उनको आधारभूत बना कर राज्य सरकार कानून बनाने से पहले यह समझे कि ऐसे कानून का निर्माण किया जाय कि देश की रक्षा, भारत भूमि के लिए लड़ने वाले सिपाही हैं उनको हम कुछ राहत दे सकें। इस दृष्टि-कोण से जो डेफिनेशन कोर्ट की रखी है, जो परिभाषा हमने इसमें सम्मिलित कि है उन ही परिभाषाओं को लेकर मूल कानून १६२५ का बना हुआ है और उसमें ये परिभाषायें रखी गई हैं। यह कानून १६२५ की परिस्थितियों में चलने वाला कानून था। अगर आज की परिस्थितियों में इसे बनाना चाहते हैं तो हमें इस निगाह से विचार करना होगा कि क्या इस मूलभूत भावना को लेकर कि हमारे देश की रक्षा करनेवाले और भारत की सीमाओं की रक्षा करने वाले सिपाहियों को राहत देना चाहते हैं, उन्हें वास्तविक रूप से हम राहत भी दे सकते हैं या नहीं। यदि वह कानून की मन्शा, जिस मन्शा को लेकर १६२५ में यह कानून बना था उस के ऊपर इस बिल को लाकर इस बिल में कोर्ट की डेफिनेशन करने से पूरी न हो सकती है तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का कानून बनाने को आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार ने इस दृष्टिकोण से इस कानून को पेश करने से पहले इस पर विचार करने की चेष्टा नहीं की है। जहां तक यह बिल कायम हुआ था १६२५ में इसमें है:—

"The term 'court' in clause (a) of Section 2 of the Indian Soldiers (Litigation) Act, 1925 (Central Act 4 of 1925) shall, as from the 15th day of November, 1962, include and be deemed to have included all courts and officers functioning under all or any of the following Acts, namely:—"

तो कुछ प्रावधानों का, कुछ कानून के प्रावधानों का उसमें नामकरण कर दिया। इसके बाद कोर्ट की डेफिनेशन उसमें एक रेस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड पॉवर हमारे सामने आ जाती है। तो मैं यह बड़ी विनम्रता से निवेदन करूंगा कि जिस भावना से हम इस कानून को लागू करना चाहते हैं वह इससे पूरी नहीं होती है। यह कानून अवश्य पास होना चाहिए; बल्कि मैं तो यह कहूँगा कि इस कानून का इस स्थिति के अन्दर पास हो जाना और अवश्यक हो जाता है कि जो देश की रक्षा करने वाले सिपाही हैं, जो सीमा की रक्षा करने वाले सिपाही हैं उनको पूर्ण रूप से राहत मिल सके। जहां तक यह दोषारोपण माननीय सदस्य ने राज्य सरकार के ऊपर लगाया कि सरकार क्या वास्तव में सो रही थी कि अब तक इस कानून को नहीं लाई और अब इस कानून में कह दिया कि इस कानून को १६६२ से प्रभावशाली समझा जायगा। लेकिन आप इस दृष्टि से विचार कीजिये कि अदालत में १६६२ में जो मुकदमे चल रहे थे उनमें से काफी तसफिये हो गये होंगे, जो मुकदमे एक तरफा फैसल हो गये होंगे, जिनमें डिक्री हो जायगी, उसको एग्जीक्यूट होने से कैसे रोक सकेंगे, उनको आप इस कानून से कैसे प्रोटेक्ट करेंगे; क्योंकि एक्शन जो हो चुका वह हो चुका, उनको रिवाइव करने के लिए आपको कानूनी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इस-

(श्री दुर्गालाल बाहदार)

लिए यह बिल देरी से आया है, इसके लिए सरकार दोषी है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा इस पर विचार करें और मूलभूत कानून १९२५ का है, सोल्जर्स (लिटिगेशन) एक्ट में यदि संशोधन करना आवश्यक है तरमीम द्वारा और राजस्थान सरकार आज की परिस्थिति में सिपाहियों को राहत देने के लिए कुछ तरमीम करना चाहती है तो सब चीजों पर विचार करके करे, तभी वास्तविक और सच्चे रूप से, सच्चे मायने में इस कानून को राहत देने वाला कानून कह सकते हैं।

(६·०० म. प.)

जिस वर्तमान दिशा में यह कानून लागू किया गया है इसके सम्बन्ध में बहुत से मेरे माननीय सदस्यों ने अभी आपके सामने विवेचन किया, वह बिल्कुल ठीक है। जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल अलग अलग होती है। बहुत से मामले प्योरली जुडिशियल होते हैं और बहुत से मामले Quasi-Judicial होते हैं, जिसमें लैन्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत भी मामले होते हैं जिनको डिसाइड किया जाता है और गवर्नमेंट को यह पॉवर है और जब आपने कानून बनाये तो किसी विषय का निराकरण होना चाहिये। इस कानून के अन्तर्गत आप अपील के पॉवर्स किसी एक ट्रिब्यूनल या बोडी को देते हैं तो फिर कौनसी ऐसी बात रह जाती है जिससे कि सोलज़रों को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा ? आखिर आपका इन्टेन्शन इस कानून को बनाने का यही हो सकता है कि सोल्जर्स की जमीन पर एनक्रोचमेंट करने वाले, इन्फ्रिन्ज़मेंट करने वाले लोग हैं वे उनकी प्रोपर्टी पर अधिकार न कर लें, इस लिये उनको प्रोटेक्शन दिया जाए। लेकिन अगर कुछ अधिकारी लोग इस कानून की उपेक्षा करें और उनको सुरक्षा नहीं मिले तो इस कानून बनाने का जो मिशन है वह बेकार हो जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस पर पुनः विचार किया जाए। जिस रिलीफ को आप सोल्जर्स को देना चाहते हैं अगर उस रिलीफ को आप इस कानून के द्वारा नहीं दे सकें तो इस कानून को बनाने की आपकी जो मंशा है वह पूरी नहीं होती है। जब आपकी मँशा पूरी नहीं होती है, आपका इन्टेन्शन इस कानून को लाने का पूरा नहीं होता है तो आप इस प्रकार के कानून को विधान सभा में न लाएं तो अच्छा है। मैं उनकी बुद्धि को क्या कहूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के कानून को लाकर आप हमारा मखौल न उड़ावें। मैं यह कहूँगा कि आप भले ही इस कानून को पास कर दें मगर जब दूसरे लोग इस कानून को पढ़ेंगे तो यही कहेंगे कि आपने दुनिया को धोखा देने के लिये, लोगों की आँखों में धूल झोंकने के लिये, केवल यश प्राप्त करने के लिये और वाह-वाही लूटने के लिये इस प्रकार का कानून बनाया है। यदि आप वास्तव में यश प्राप्त करने के लिये यह कानून नहीं बनाते हैं और वास्तव में उनकी मदद करना चाहते हैं तो आप इसका जो मूल कानून है १९२५ का उसमें कुछ संशोधन करना होगा और अगर आप सँशोधन नहीं कर सकते तो यह कानून आपका बनाना बेकार सिद्ध होगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के सम्बन्ध में दो आपत्तियें माननीय सदस्यों की ओर से उठाई गई हैं। एक तो इस प्रकार की आपत्ति उठाई गई कि जब राजस्थान सरकार

(श्री रामप्रसाद लड्ढा

इन सोल्जर्स को हर तरह की सुविधा देने और राहत देने के लिये जागरूक थी तो यह कानून इतने दिन बाद क्यों लाया गया, इस देरी का कारण क्या है, बकौल इसकी जरूरत के इसको इतनी देरी से क्यों लाया गया ? यह इस बात को प्रमाणित करती है कि हम केवल ढोंग करते हैं और वास्तव में हम उनको कोई मदद नहीं देना चाहते। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सोल्जर्स (लिटीगेशन) एक्ट १.११.५६ से हमारे यहाँ राजस्थान में लागू है, क्योंकि यह सेन्ट्रल एक्ट है और वह १.११.५६ से हमारे यहाँ Extension of Orders and Acts से लागू हो गया। तो इसके प्रोविजन तो हमारे यहाँ लागू हैं और इसके लिये जिन नोटिफिकेशन्स की आवश्यकता थी वे निकाल दिये गये। इसके बाद में १५ नवम्बर, ६२ को इस प्रकार का सरक्यूलर निकाला गया कि जो सोल्जर्स के केसेज़ जागीर और रेवेन्यू कोर्ट्स में चलते हैं उनको स्टे कर दिये जावे। इस प्रोविजन के होते हुए भी यह सरक्यूलर निकाला गया ताकि कोई गलतफहमी न रहे। तो इस सरक्यूलर की तहत जिन लोगों के जागीर में इस प्रकार से केसेज़ चल रहे थे और किसी ने इस सरक्यूलर की तहत लाभ पाने का जो अधिकारी था कोशिश की तो उसको यह लाभ १५ नवम्बर, ६२ से दिया जा रहा है। तो यह कहना कि आज १० महीने चुप रहने से हमने उनके हितों की रक्षा नहीं की तो, यह कतई उचित नहीं है। लेकिन इस सरक्यूलर के बाद में कानूनी राय इस प्रकार की बनी कि हो सकता है कि जो सरक्यूलर जारी किया गया है अगर उसको कोर्ट में कोई डिस्प्यूट करे या कोई चैलेंज करे या उसकी वेलेडिटी को चैलेंज कर दे तो इसके लिये पहले ही कानून में अमेण्डमेंट करना ही ठीक होगा। तो इस प्रकार के ऑर्डर की जो १५ नवम्बर, ६२ को निकाला गया था उसकी तामील हो रही है। लेकिन इसको रेगुलेराइज करने की दृष्टि से यह बिल प्रस्तुत किया है।

इसके अलावा अभी दो तीन मुद्दे जयपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने हमारे सामने रखे। उन्होंने यह बताया कि पहले जमाने में पंचायतें नहीं थी और न्याय पंचायत आदि में मुकदमे नहीं होते थे। लेकिन आज कल पंचायतें हैं और न्याय पंचायतें उनके मुकदमे केरीं-अप नहीं होंगे और भी कुछ प्रस्ताविक मुकदमों की बातें कहीं।

मैं यह कहूँगा कि इन्डियन स्टेट सोल्जर्स एक्ट किस चीज को कन्ट्रोल करने के लिये बनाया गया वह सिविल और रेवेन्यू लिटिगेशन में प्रोटेक्शन देने के लिये बनाया गया, न कि एग्जिक्यूटिव या क्रीमिनल में। सिविल और रेवेन्यू में जागीर इन्क्लयूड होती है या नहीं, इसको साफ करने के लिये हमने इसमें जागीर रख दिया ताकि सिविल और रेवेन्यू की कोर्टस में कोई सन्देह न रहे और वे जागीर को इन्कोर्पोरेट कर लें। कोर्ट शब्द की डेफिनेशन नहीं है, लेकिन जो मेन एक्ट सोल्जर्स बोर्ड का सन् २५ का है वह यहाँ पर लागू है। आज ड्रेट रिलीफ एक्ट की कोर्ट है वह भी सिविल कोर्ट है और न्याय पंचायतें हैं वे भी सिविल कोर्ट में आती हैं। रेवेन्यू कोर्ट भी सिविल मामले डिसाइड करती है। इसलिये मेरी कानूनी मान्यता है और जो अधिकार आपने मुझे सौंपे हैं उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि इस पर यह लागू होता है।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

एक बात यह कही कि कन्सोलिडेशन की तहत स्टेट गवर्नमेंट ऑथरेटी होती है, वह कहीं इस कानून में नहीं आई है । मैं यह कहूँगा कि स्टेट गवर्नमेंट के आने और न आने से कोई फर्क नहीं पड़ता । जो करने का काम था वह हमने सबसे पहले किया है और इसके लिये कोई इस प्रकार की शिकायत नहीं है और स्टेट के लिए इसका प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है । जैसे रेवेन्यू केसेज़ हैं वे सब रेवेन्यू कोर्ट से एडमिनिस्टर होते हैं, चाहे किसी नाम से वे हों । सिविल के कोर्ट से और रेवेन्यू के रेवेन्यू कोर्ट से डील-विद् होते हैं, हमने इसमें एग्जिक्यूटिव और क्रीमिनल को एनुवेसेज नहीं किया ।

उपरोक्त बातों के आधार पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस एक्ट में जागीर के मामले की शँका को दूर करने के लिये ही हमने यह अमेण्डमेंट पेश किया है । इसके अलावा किसी प्रकार के प्रावधान की इसमें हम आवश्यकता नहीं समझते । इसलिये मैं आपके सुझावों को मानने से मजबूर हूँ और निवेदन करता हूँ सभी माननीय सदस्यों से कि इस विधेयक को पारित किया जाए ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) Debt Relief Act की जो कोर्ट्स हैं, रेवेन्यू कोर्ट्स है....

श्री उपाध्यक्ष : Order please.

प्रश्न यह है कि प्रस्तावित विधेयक को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

(६. १० म. प.)

राजस्थान पुलिस (अनिष्ठा हेतु अभिप्रेरण) विधेयक, १९६३

(प्रवर समिति को)

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान पुलिस (इन्साइटमेंट टू डिसएफेक्शन) बिल, १९६३ ।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान पुलिस (इन्साइटमेंट टू डिसएफेक्शन) बिल, १९६३ विचारार्थ लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि क्योंकि इसके काफी संशोधन हैं इसलिए प्रत्येक संशोधनकर्ता समिति समय में ही अपनी बात रखें ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : मैं सिर्फ इतना प्रस्ताव करता हूँ कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पुलिस (इन्साइटमेंट टू डिसएफेक्शन) बिल, १९६३ सदन में माननीय गृहमन्त्रीजी ने विचारार्थ प्रस्तुत किया है । मैंने इस विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित करने का प्रस्ताव रखा है ।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : I am prepared to refer this Bill to

(श्री मथुरादास माथुर)

the Select Committee and I think the Hon'ble Members will agree to it. So we can have a debate when it has been considered by the Select Committee. That would be better...

श्री उपाध्यक्ष : I think in view of this, all the Hon'ble Members who have moved their motions...

श्री मथुरादास माथुर : And the names of the Select Committee will be placed before the Speaker tomorrow in consultation with various parties.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न कहां है साहब । प्रश्न पहले मेरे बोलने का है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की तो खुशी है कि माननीय गृह मन्त्रीजी इतने सारे संशोधन प्रस्तावों को देख कर....

श्री उपाध्यक्ष : आप सर्कुलेशन के लिये बोल रहे हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जी हां।

इस बात पर राजी हो गये हैं कि इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाय । लेकिन मेरा प्रस्ताव इसे जनमत जानने हेतु प्रसारित किये जाने का है। जनमत जानने हेतु इसलिये है कि इसमें ज्यादा कानून के सवाल नहीं, जिसमें ज्यादा कानूनी पेचीदगियां होती हैं उसको तो प्रवर समिति को भेज देते हैं । परन्तु यह तो एक ऐसा बड़ा मसला है जिस कानून का ताल्लुक राजस्थान की सवा दो करोड़ जनता से है। मैं यह कह सकता हूँ कि यह जो कानून इन्होंने बनाया वह देखने में बड़ा छोटा, पढ़ने में बड़ा सरल और बड़ा भोलाभाला कानून है, वैसी ही भोली सूरत जैसी मन्त्री की । लेकिन मैं निवेदन करना चाहूँगा कि·····

श्री मथुरादास माथुर : मैं तो आपकी सूरत भी भोली ही समझता हूँ ।

श्री रामकिशन (वैर) : भोली है, पर वह मुस्कराहट नहीं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरी तो भोली सूरत नहीं; भोली सूरत तो आपकी है । और कहा करते हैं:

"भोलीभाली सूरतवाले होते हैं जल्लाद भी"

श्री उपाध्यक्ष : Is it the subject of the Bill ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सब्जेक्ट ऑफ डिबेट तो जल्लादी का सवाल है ।

यह कानून कुछ इस तरह का है कि पुलिस में लोग आपस में इस प्रकार का कोई डिफेसएक्शन, कोई अनुशासनहीनता पैदा न करें, जिसके कारण राज्य में पुलिस का अनुशासन खराब हो जाय । लगता तो इतना सीधा सा है । जहां तक अनुशासन का सवाल है, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मैं सबसे ज्यादा अनुशासन का हामी हूँ, सदन में सभी माननीय सदस्य भी अनुशासन के हामी हैं । लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इस कानून के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में लिखा है

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

वह कुछ और लिखा है और इस कानून की धाराओं में कुछ और ही लिखा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस कानून के उद्देश्य और कारणों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि किस उद्देश्य से, किन कारणों से इस कानून को लाये हैं या लाया जा रहा है। यहां लिखा है:—

"Cases are not infrequent when attempts are made-

(a) by means of threats, intimidation or otherwise to induce member of the Rajasthan Police Force to refrain from doing their duty, and

(b) to spread disaffection among them."

और कानून की धारा में क्या लिखा है, कानून की धारा में लिखा है, धार ३ में :—

"Whoever intentionally causes or attempts to cause, or does any act which he knows is likely to cause; disaffection towards the Government established by Law in the State amongst the member of a police force,or induces, or attempts to induce or does any act which he knows is likely to induce any member of the police force..."

यह इसका ऑब्जेक्ट है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यह आपने बीच में क्यों घुसेड़ा :

"disaffection towards the Government"

आपके उद्देश्य और कारणों में तो यह है कि पुलिस फोर्स में इस तरह की बात नहीं चाहते पर कानून की धाराओं में कहते हैं कि कोई व्यक्ति जानबूझ कर राजस्थान सरकार के विरुद्ध किसी प्रकार का डिसएफेक्शन, प्रेम का अभाव पैदा करेगा, उस व्यक्ति को भी आप सजा देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक राज्य सरकार का सवाल है, जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज भारत के अन्दर जो संविधान स्वीकार किया गया है उसमें यह स्वीकार किया है कि हिन्दुस्तान की सरकार का विरोध या राज्य सरकारों का विरोध करें, हरएक को लोकतान्त्रिक तरीकों से इनके विरुद्ध डिसएफेक्शन पैदा करने का अधिकार है। क्या राजनैतिक दलों पर यह पाबन्दी है कि सरकार के प्रति अफेक्शन पैदा करें? हम राज्य सरकार के विरुद्ध डिसएफेक्शन पैदा करते हैं, हम सदन में कहते हैं और सदन के बाहर कहते हैं कि हमें इस सरकार के प्रति अफेक्शन नहीं, डिसएफेक्शन है। हमारा परम कर्त्तव्य है कि इस सरकार के प्रति डिसएफेक्शन पैदा करें; हम राजस्थान की सवा दो करोड़ जनता को बतायें कि राजस्थान सरकार के ऐसे कारनामे हैं कि इसे प्यार करने की जरूरत नहीं एफेक्शन करने की जरूरत नहीं, यह सरकार हमारे प्रेम की भाजन नहीं हो सकती। हम राजस्थान के कौने-कौने में जाकर राजस्थान सरकार के काले कारनामों का ढिंढोरा पीटेंगे। राजस्थान के हर राजनैतिक दल का अधिकार है कि इस सरकार के कारनामों को जनता के समक्ष रखे और उसको यह बताये कि यह सरकार प्रेम के काबिल नहीं, यह नाकाबिल सरकार है। फिर आप कहेंगे कि राज्य सरकार के खिलाफ डिसएफेक्शन पैदा करते हो।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हम जनता के ऊपर होने वाले जुल्मों के खिलाफ आवाज बुलन्द करेंगे, सभाएं करके कहेंगे कि राजस्थान राज्य में पुलिस कानून है, पुलिस का राज्य राजस्थान स्टेट एक पुलिस स्टेट है। जिस राज्य में पुलिस का राज्य हो, जिस देश, प्रदेश पर पुलिस छाई हुई हो जनता को क्रश (crush) करने के लिये वह सरकार किसी भी हालत में प्रेम करने के लायक नहीं। इस संबंध में सदन तथ्य रखे गये मैं उन्हें दोबारा दोहराना नहीं चाहता।

राजस्थान के किसी भी कोने में चले जाइये पुलिस की हरकतों से लोग परेशान हैं। पुलिस की हरकतों से परेशान हजारों सैकड़ों लोगों की दरख्वास्तें गृह मन्त्रीजी के पास, हमारे पास, प्रान्तीय ऑफिस में आती हैं। उनमें से कुछ गलत भी हो सकती हैं, पर बहुत सी सही होती हैं। जो सही होती हैं उनमें किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होती है। अगर कार्यवाही होती है और शिकायत साबित हो जाती है तो उसे दबा दिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ इस प्रकार की जालिमाना हरकतें हों, जहाँ पुलिस स्टेट हो, पुलिस का राज हो, वहाँ पर ईमानदार आदमी का, हर राजनैतिक पार्टी का कर्तव्य है कि उसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ लोगों में भावनाएं पैदा करें कि ऐसे कारनामों को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाय, उनका घोर विरोध किया जाय। ऐसा कौनसा दल, कौन व्यक्ति, कौन समाज सेवक या कार्यकर्त्ता होगा जो इस प्रकार की सरकार के प्रति प्रेम की भावना लोगों में पैदा करेगी ? इस प्रकार की एक नहीं अनेकों बातें हैं, हो सकती हैं, टैक्सेज़ का सवाल हो सकता है, एड्मिनिस्ट्रेटिव एट्रोसिटीज़ का सवाल हो सकता है, जिनके विरुद्ध बोलना एक ईमानदार आदमी का परमधर्म हो जाता है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान में जितनी भी बातें हैं, सारी बातों को लेकर राजस्थान सरकार के खिलाफ डिसएफेक्शन पैदा करने की बात करके इस प्रकार का आरोप लगा कर सजा का कानून रखना, मैं तो कहूँगा कि लोकतान्त्रिक परम्पराओं के खिलाफ और संविधान की मन्शाओं के खिलाफ होगा, संविधान की मान्यताओं के खिलाफ होगा, संविधान की व्यवस्थाओं के खिलाफ होगा।

माननीय गृह मन्त्रीजी कहेंगे कि पुराना कानून बना हुआ था। पुराने कानून की नकल कर ली। आपने पुराने कानून की नकल की। कौन से कानून की ? सन् १९२२ के कानून की। उस समय हिन्दुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत थी और उन्होंने हिन्दुस्तानियों की स्वतन्त्रता की आवाज को कुचलने के लिए यह कानून बनाया था। उसी कानून की आप नकल करना चाहते हैं और उस कानून की नकल करके आप यहां राजस्थान में उसको लागू करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जहां सारे देश में—सारे हिन्दुस्तान में यह फिजाँ बनती जा रही है कि पुराने कानूनों में परिवर्तन की आवश्यकता है, भारत की आज की परिस्थितियों में कौनसा कानून भारतीयों को राहत पहुंचा सकता है, आज की बदली हुई परिस्थितियों में कौनसा कानून इस देश और समाज को आगे बढ़ा सकता है, उनमें उस दृष्टिकोण से आज परिवर्तन की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, आवश्यकता ही नहीं; जिन अंग्रेजों के जमाने में बने हुए कानून हैं, जिन कानूनों

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

को हम आज तक काले कानून कहते आये हैं, उनकी नकल करके राजस्थान के गृह मन्त्री पुलिस का राज्य राजस्थान में कायम करना चाहते हैं। इस पर सिलेक्ट कमेटी को विचार करना चाहिये और सवा दो करोड़ राज्य की जनता की राय लेनी चाहिये। एक तो वह पुराना जमाना था, अंग्रेजों का जमाना था जब कि प्रथम महायुद्ध के अन्दर अंग्रेज और जर्मनी की लड़ाई हो रही थी और उसके बाद सन् १६२२ के अन्दर अंग्रेजों ने यह बात महसूस की कि हिन्दुस्तान की आजादी की बढ़ती हुई आवाज को कुचला जाना चाहिये, उन्होंने इस प्रकार के कानून की शुरुआत की। जब हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई प्रारम्भ थी, नीचे से ऊपर तक, चाहे गरीब हो या अमीर, हिन्दुस्तान के लोगों की एक ही प्रवृत्ति थी कि हिन्दुस्तान को आजाद किया जाय, हिन्दुस्तान के लोग चाहे स्टूडेन्ट हों, विद्यार्थी हों, चाहे सरकारी कर्मचारी हों, उन सब की सहानुभूति अन्दर ही अन्दर उस स्वतन्त्रता आन्दोलन के प्रति थी; होनी चाहिये थी और वह थी। हमें मालूम है कि १६४७ से पूर्व जब कि हमारा देश आजाद हुआ था, किस प्रकार हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जिस समय महायुद्ध चल रहा था किस प्रकार हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष किया जा रहा था। हिन्दुस्तान इस कारण से आजाद नहीं हुआ, हिन्दुस्तान में इस कारण से आजादी नहीं आई कि अहिंसा के नारे लगा कर वह किया हो, लेकिन यह एक कटोर तथ्य है, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, यह देश इस बात को कभी नहीं भूल सकेगा, हिन्दुस्तान की आनेवाली सन्तानें, हिन्दुस्तान का इतिहास, जब देश का सच्चा इतिहास लिखा जायगा, आजादी की लड़ाई का जब सच्चा इतिहास लिखा जायगा, यह कभी नहीं भूल सकेंगे और इसके लिए सबसे ऊपर यदि किसी का नाम होगा, हिन्दुस्तान की सबसे पहले लड़ाई लड़नेवाले किसी वीर पुरुष का नाम होगा तो वह होगा नेताजी श्री सुभाषचन्द्र बोस का नाम होगा उनकी आजाद हिन्द फौज का। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की जो आजाद हिन्द फौज थी, उसके जो सिपाही थे वे अंग्रेजों के सिपाही थे, वे अंग्रेजों के मातहत थे, वे अंग्रेजों के गुलाम थे, लेकिन उनके दिलों में हिन्दुस्तान की आजादी का जलजला उठा, उनके हृदयों में मातृभूमि को आजाद बनाने की भावना प्रज्वलित हुई उसके कारण उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई का झण्डा खड़ा किया, बगावत का झण्डा खड़ा किया और नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के आधीन आजाद हिन्द फौज का गठन किया और देश की स्वतन्त्रता को आगे बढ़ाया।

सन् १६४७ के पहले के जमाने में हिन्दुस्तान के हर व्यक्ति में चाहे वह फौज में हो, चाहे वह राज्य कर्मचारी हो, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, देश की स्वतन्त्रता के लिए हृदय में एक चिंनगारी विद्यमान थी और इसी कारण उस जमाने की ब्रिटिश हुकूमत ने, अंग्रेजों की हुकूमत ने यह जरूरी समझा कि पुलिस का राज्य बनाना चाहिये जिससे कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कोई आदमी ऐसी कार्यवाही न करे, उसके प्रति घृणा की भावना पैदा न करे, कोई आदमी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लोगों को उकसाये नहीं। उसने इसमें ये शब्द रखे "Towards the Government", ये रखना जरूरी थे।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

यह इसलिए रखा कि गवर्नमेंट भी उसमें थी और पुलिस भी उसमें थी । गवर्नमेंट के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ कोई व्यक्ति ऐसा न कर सके । अंग्रेजों ने १६२२ में कानून बनाया पुलिस के डंडे पर। पुलिस के डंडे पर राज्य चलाया। जब हिन्दुस्तान में कांग्रेस के नेतृत्व में आजदी की लड़ाई चल रही थी, १६४२ के अन्दर भी जो कांग्रेस के लोग नारे लगाते थे वे यही लगाते थे कि "पुलिस डंडे का राज नहीं चलेगा," "पुलिस के डंडे की हुकूमत नहीं चलेगी"। जिस पुलिस के डंडे के राज के आप खिलाफ थे, जिसके खिलाफ आप आन्दोलन कर रहे थे क्या आप आज उसी पुलिस के डंडे का राज राजस्थान में कायम करना चाहते हैं ? आज की इन बदली हुई परिस्थितियों में भी आप ब्रिटिश हुकूमत के पुलिस के डंडे के राज्य की तरह राजस्थान का राज्य चलाना चाहते हैं ! अब तो देश स्वतन्त्र हो गया है। हिन्दुस्तान की अपनी हुकूमत है । हिन्दुस्तान का अपना संविधान है और उस संविधान के अन्तर्गत हिन्दुस्तान के व्यक्ति को तरह तरह के अधिकार प्राप्त हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि क्या अंग्रेजों के जमाने में पुलिस यूनियन, कर्मचारी यूनियन या गवर्नमेंट् सर्वेन्ट्स की यूनियन बन सकती थीं। क्या इस प्रकार की गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स की यूनियन बन कर गवर्नमेंट से संघर्ष हुआ करता था ? आप भी कहेंगे कि नहीं हुआ करता था । लेकिन आज स्वतन्त्र भारत के इस संविधान ने हम सब को यह अधिकार दिया है। आज के राज्यों के अन्दर कर्मचारी यूनियन बन सकती हैं, आज के राज्य के अन्दर पुलिस यूनियन बन सकती है और आज के राज्य के अन्दर राज्य के खिलाफ संघर्ष किया जा सकता है। आज यह सब संविधान ने अधिकार दिया है। जब संविधान ने यह अधिकार दिया है तो राज्य सरकार उस अधिकार पर क्यों कुठाराघात करती है ? मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये सारी परिस्थितियां हैं और इन सब पर गम्भीरतापूर्वक राज्य सरकार को, माननीय गृह मन्त्रीजी को बड़ी ही गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, इस प्रकार के कानून का दुरुपयोग होगा। किस तरह से होगा ? मैं इस सम्बन्ध में डी० आई० आर० के लिए निवेदन करूंगा । माननीय गृह मन्त्रीजी कह सकते हैं कि इस कानून के अन्तर्गत हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं पकड़ेंगे । उनके आश्वासन काम आनेवाले नहीं हैं। हमने देखा है कि डिफेन्स ऑफ इन्डिया रूल्स २६–१०–१६६२ के बाद लागू हुए। भारतीय अखंडता को चुनौती करने वाले लोगों को रोकने के लिए, भारत की सार्वभौम सत्ता को अखंड करने के लिए अक्षुण्ण रखने के लिए, भारत की सार्वभौम सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए, भारत रक्षा कानून बना । आपने देखा होगा कि भारत की पार्लियामेंट में, लोक सभा में, शिकायतें की गई, इस विधान सभा में शिकायतें की गई कि सुरक्षा नियमों का कई स्थानों पर दुरुपयोग किया गया है। मैं निवेदन करना चाहूँगा केवल बहाना लेकर ही कि पुलिस को लोग बहकाते हैं इसका उपयोग किया गया। मैं निवेदन करूंगा कि डिफेन्स ऑफ इन्डिया रूल्स का किस प्रकार से उपयोग किया गया। कम्युनिस्टों को, जनसंघ के एक सदस्य को पकड़ा गया। किस लिए पकड़ लिया कि पुलिस के लोगों को ये बहकाते हैं। कॉम्युनिस्ट

Page No 83

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

साथियों को पकड़ा । चार लोगों ने कहा इसलिए छोड़ भी दिया । एक आदमी ने कहा तो गिरफ्तार कर लिया । उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह से कानून की क्रियान्विति होती है तो कितना गलत होता है । भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत अजमेर के नानक इसरानी को गिरफ्तार कर लिया । यह कह कर कर लिया कि यह पुलिस में डिसएफेक्शन पैदा करता है । आपके डिफेन्स ऑफ इन्डिया रूल्स कहाँ गये ? जयपुर में आपको डिफेन्स ऑफ इन्डिया रूल्स काम में लेने चाहिये थे माननीय गृह मंत्रीजी । जयपुर के एक व्यापारी का दस लाख का माल ब्लेक मार्केट में पकड़ा गया । आपको डी. आई. आर. काम में लेना चाहिये था । वह व्यक्ति गायब हो गया । वह व्यक्ति एब्स्कोन्ड हो गया । आपको मालूम था कि वह व्यक्ति फरार रहा और ताज्जुब होगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि शायद माननीय गृह मंत्रीजी को यह मालूम होगा कि वह फरार हो गया है और कहाँ रहा है फरारी की हालत में ? वह आदमी फरार होकर आपके घर में रहे तो आपत्ति है, पुलिस अफसर के घर में रहे तो आपत्ति है, यह मैं नहीं कहता कि आपके यहाँ रहा ....

(विद्युत प्रकाश अदृश्य)

एक माननीय सदस्य : यह सब गलत कह रहे हैं इसलिए बन्द हो गई ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): यह तुम्हारे राज में अन्धेरा है, यह दिखाया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह बात सही है ।

मैं निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, सदन को यह सुन कर ताज्जुब होगा कि पैसे के बूते पर, रुपयों के बल पर, चाँदी का जूता और सोने के डंडे के बल पर एक ब्लेक मार्केटियर फरार रह सकता है और वह कहाँ रहता है ? राजस्थान सरकार के बड़े अधिकारी के यहाँ, आइ० ए० एस. अधिकारी के यहाँ, जो सचिवालय में बैठते हैं, उनके घर के तहखाने में रहता है । गृह मंत्री महोदय की जानकारी में होगा इसलिये आप उसकी जाँच करें....

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : अब तो गिरफ्तार हो गया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब तो हो गया, लेकिन सदन आपसे पूछना चाहता है कि चोरबाजारी, काला बाजारी करने वाला राज्य सरकार के एक आई० ए० एस० अधिकारी के तहखाने में पड़ा हो, यह क्या सरकार के लिये शर्म की बात नहीं है ? किस आदमी के तहखाने में वह रहा, यह आपको मालूम है ? आप उसके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : आप ही बता दीजिये, आपको मालूम हो तो । आपको मालूम था तो आपका एक नागरिक होने के नाते यह फर्ज हो जाता है कि आप भी बताते कि फलां के तहखाने में पड़ा हुआ है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुझे अब मालूम पड़ा है । लेकिन आपको मेरे से पहले मालूम हुआ है ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं आपको यह विश्वास के साथ कहता हूँ कि मुझे मालूम नहीं है, आपको पुख्ता मालूम है तो बतलाइये, सदन में उस अधिकारी का नाम बतलाइये, मैं उसके खिलाफ जरूर कार्यवाही करूँगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने जैसे आपको कहा, अभी मालूम पड़ा है कि वह दस-पन्द्रह दिन गायब रहा और एक आई. ए. एस. अधिकारी के तहखाने में रहा।

श्री मथुरादास माथुर : हमने उसे यहीं से गिरफ्तार किया है, जयपुर में किया है और उसको अदालत में पेश किया है और डी० आई० आर० के तहत गिरफ्तार किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप गिरफ्तार कर सके हो १५ दिन के बाद !

श्री मथुरादास माथुर: दूसरे मुल्जिम तो गिरफ्तार हो गये। यह एक फरार था, जिसको बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप गिरफ्तार कर सके हैं १५ दिन के बाद में। इतने दिन तक वह कहाँ रहा, यह भी आपको पता नहीं लग सका।

श्री मथुरादास माथुर: अगर हमें मालूम होता तो ये पन्द्रह दिन क्या पन्द्रह सैकिन्ड भी गुजरने नहीं देते। आप बताईये किस के यहाँ तहखाने में पड़ा रहा ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको बताने पर आप क्या तीसमारखांपन कर लेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : आप बताइये तो सही।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं कहना चाहता हूँ वे आई० ए० एस० अधिकारी हैं, आजकल कलेक्टर हैं। सदन के बाहर आपको नाम बता दूँगा और एवीडेन्स के रूप में उस व्यक्ति को भी पेश कर दूंगा जिसकी बात आप मानते हैं, जिसको आप मोअज्जिज समझते हैं, वह मोअज्ज़िज़ आदमी उनके घर गया। वहाँ पर उसने उसको तहखाने में पड़ा देखा। मुझे ताज्जुब है गृह मंत्रीजी को यह पता नहीं।

श्री मथुरादास माथुर : हियर-से पर मत कहिये। आप उस अधिकारी का नाम बतलाइये जिसने, जिस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस का वारन्ट था, जो कानून के तहत आता है तो बराबर कार्यवाही की जायगी। उसको साबित करने की जिम्मेवारी माननीय सदस्य की होगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उस मोअज्ज़िज़ आदमी को आपके सामने पेश कर दूँगा जिसने मुझे बताया और आप भी जिसकी बात मानते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : लेकिन आपसे ज्यादा मोअज्ज़िज़ कौन होगा ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं पेश कर दूँगा आपके समक्ष उस व्यक्ति को जिस पर आपका विश्वास है, उसको पेश कर दूंगा।

तो मैं निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, डी० आई० आर० के तहत जिन लोगों के नाम वारन्ट हो और उन लोगों को छिपा लिया जाय और ऐसे आदमी जिसने एक रुपये की रिश्वत ले ली हो, मामूली

Page No 85

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

चोरबाजारी की हो उसको तो आप हथकड़ियां डाल कर बाजार में घुमाते हुए ले जाते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को जो ब्लेक मार्केटियर हो, चोरबाजारी करने वाला हो, उसके गद्दे भी पुलिस के लोग साथ लेकर जायं, गिरफ्तार करके हथकड़ियां भी न पहिनाई जाय और उसकी जमानत उसी दिन हो जाती है। यह जो डिस्क्रिमीनेशन है....

श्री मथुरादास माथुर : जमानत लेने का काम अदालत का है, हमारा नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने रिमान्ड के लिये मूव किया, आपको रिमान्ड की जरूरत है उन लोगों के लिये जो दो आने की रिश्वत लेकर भ्रष्टाचार करते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : आप वकील हैं। आप जानते हैं कि रिमान्ड उसी समय लिया जाता है जब कि पुलिस की तफ्तीश में कमी रह जाती है। जब उस मामले में तफ्तीश हो चुकी थी तो रिमान्ड लेने की क्या जरूरत थी ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा इस सम्बन्ध में कहना नहीं चाहता। पुलिस का आज यह काम है कि छोटे आदमियों को पकड़ना और बड़े आदमियों को प्रोटेक्शन देना....

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : इसी राज्य ने तो पकड़ा है।

श्री मथुरादास माथुर : अगर पुलिस को किसी को संरक्षण देना होता तो पुलिस इन्हें पकड़ती ही क्यों ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पुलिस ने पकड़ा, लेकिन पन्द्रह दिन तक वह कहां रहा; इसका पता नहीं लगा सकी।

श्री उपाध्यक्ष : I hope the debate will not be reduced to question hour.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आज किस तरह से कानून के पालन में राज्य सरकार पक्षपात करती है। मुझे सदन में केवल एक ममला रखना है। इस कानून में लिखा है राजस्थान सरकार इस प्रकार की यूनियन जो पुलिस कर्मचारियों द्वारा बनाई जायेगी वह न बना सके इसी भावना से यह लाया गया है। मैं इससे सम्बन्धित एक बड़ा मसला सदन के सामने रखना चाहूंगा, जिस पर सदन को गम्भीरता से विचार करना चाहिये, सहानुभूति से विचार करना चाहिये। मैं कोई पोलिटिकल बात नहीं कहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं राजस्थान के अन्दर हजारों पुलिस कर्मचारी हैं, छोटे पुलिस के कर्मचारी हैं, कॉन्सटेबल हैं, हैड कॉन्सटेबल हैं, नॉन गजटेड पुलिस कर्मचारी हैं, जिन्होंने यूनियन बनायी, उसके बाद राजस्थान सरकार को उसकी मान्यता के लिये दर्ख्वास्त दी सात साल हो गये, आज दिन तक यूनियन को मान्यता नहीं दी गई। नहीं देने के कारण लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई और नॉन गजटेड पुलिस कर्मचारियों को बर्ख्वास्त किया गया। उसके बाद उन कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में रिट पेश की। रिट का फैसला जो हाई कोर्ट ने किया कि राज्य सरकार की आज्ञायें गलत हैं, संविधान के खिलाफ हैं, यूनियन को मान्यता दी जानी चाहिये। उस फैसले का कुछ रिलेवेन्ट पोर्शन है वह मैं सदन की जानकारी के लिये रखना चाहूंगा। यह पैरा ३ है। मदनलाल

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

वर्सस डी० आई० जी० नवम्बर, १६६२ को फैसला दिया गया है। पिटीशन थी, उपाध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पढ़ना चाहता हूं :—

"In the light of the above observations, the State having reserved the power to grant or refuse recognition to be exercised on its subjective satisfaction and having established no emergent and extraordinary circumstances warranting such reservation of power; we find no difficulty in concluding that prima facie the rules denied or unduly restricted the rights of the Government servants as a class to exercise their fundamental rights. To illustrate this point, it is unnecessary to travel beyond the facts of the present case which speak quite eloquently. The association was formed in the year 1957. It has not been recognised so far. In the meanwhile, the Deputy Superintendent of Police instituted a departmental inquiry in May, 1958 and the charges framed against the petitioner mainly centred over his connection with the association."

आगे हैं :

"Even so, it was argued......that the petitioner belongs to the police force of the State which is directly concerned with the maintenance of law and order and which must of necessity be a highly disciplined force, and on these considerations he made a submission to use his own words 'that the rules should not be declared ultra vires on a writ application by a police employee.' We treat this submission to imply that the restrictions envisaged in the rules cannot be considered as unreasonable qua police officers and that the rules in their applicability to the police force are not ultra vires.

We are unable to accept this contention and our reasons are two-fold......"

रीज़न्स मैं सदन में नहीं लाऊँगा।

"Secondly, the rules have been framed under Article 309 of the Constitution for regulating the conditions of the entirety of civil servants and have no reference to the peculiar nature of the duties of the police officers. Article 33 of the Constitution while recognising the peculiar nature of duties of the police officers has made provisions for the abrogation and restriction of fundamental rights but the founders of the Constitution in their wisdom reserved the exercise of such power only under law to be framed by the Parliament. We may also conceive of reasonable provision in the police regulations for the maintenance of discipline in the police force. We are, however, quite unable to appreciate a plea as to the peculiar nature of the police force in relation to a rule under Article 309 of the Constitution regulating generally the conditions of services. Even if this were possible, the rule having been found ultra vires qua Government servants generally it is

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

not competent to this Court to exercise legislative functions and to reconstruct them after removing the unconstitutional restrictions as the rules are incapable of severance. This Court cannot but annul the rules themselves."

"In the light of the above discussions, rules 23 and 23-A of the Rules must be held to infringe the fundamental rights of the Government servants as a class and cannot be sustained with reference to the interest of the public order or morality and they have to be declared ultra vires of the Constitution."

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ नॉन गजटेड पुलिस कर्मचारी संघ के सारे कार्यकर्ताओं ने रिट पीटिशन की। इस फैसले द्वारा धारा २३ और २३ ए० अल्ट्रा-वायर्स करार दिया गया है। संविधान की शपथ खाने वाले, संविधान के प्रति निष्टा रखने वाले हमारे गृहमंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आज इन रूल्स की तहत इनकी यूनियन को मान्यता नहीं दी। जिस यूनियन के १६ हजार सदस्य हैं, सैकड़ों लोगों के केसेज़ पड़े हुए हैं, लोगों को सस्पेन्ड कर रखा है, वे रो रहे हैं इस राज्य को रिप्रेजेन्टेशन कर रहे हैं अदालतों में जा रहे हैं। लो, करना हो सो कर लो राज्य सरकार आपकी यूनियन को मान्यता नहीं देती है। उच्च न्यायालय फैसला दे देता है, उस फैसले का आप यह आदर करते हैं। हाई कोर्ट का फैसला हो गया, मान्यता दो।

हाईकोर्ट का फैसला हो गया। यूनियन की मान्यता को देने की बात कही। यूनियन को मान्यता दी; रूल २३ आपका अल्ट्रा वायर्स है। सरकार को यूनियन को मान्यता देनी चाहिये, पर राजस्थान सरकार ने अभी तक मान्यता नहीं दी। गृह मन्त्रीजी बता दें, अगर मान्यता दी हो तो ! यह भी बताएं कि आपने उनमें कितने लोगों की सेवाएं टर्मिनेट की हैं ? इसलिये मैं कहता हूं कि इसका भी बड़ा भारी दुरुपयोग होगा। राजनैतिक कार्यकर्ताओं को इस आधार पर कि विरोधी दल के लोग हैं, पुलिस के आदमियों को बहकाया है, उनको ड्यूटी पर जाने से रोका है, इस आधार पर जिसको चाहेंगे जेल में बन्द कर देंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : आपको डर क्या है, जब बहकाने का काम करते नहीं हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके अब्दुल हादी को उठाकर सीखचों में रख दिया। आपने बहुत जोर लगाया। पर आपके गृह मन्त्रीजी नहीं माने। नाथूरामजी आपके कहते हैं गलत गिरफ्तार किया है उसको, पर गृह मन्त्रीजी तो आपके कहते हैं, करेंगे और ठीक किया है। यह तलवार आपके ऊपर भी चलेगी। आप, आप याद रक्खें, जोश में न आवें, आपके यहां भी पार्टीबाजी है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ऐसा नहीं हो सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हो सकता है ऐसा। हमारी भी लोगों से जानकारी है। यहां से हम निकले, कोई पुलिस कर्मचारी मिल गया और उससे कोई बात हममें से किसी ने कर ली और आपके गृह मन्त्रीजी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ने देख लिया और समझ लिया हम उसे बहका रहे हैं। हममें से किसी का कुछ बिगड़े न बिगड़े यह अलग बात है, पर वह गरीब कर्मचारी मर जावेगा। इसलिये हम यह कहते हैं। इसके एक नहीं, अनेकों उदाहरण हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

लोगों के खिलाफ आपने कार्यवाही की है, पार्टीबाजी के आधार पर पकड़ा है और उनके खिलाफ भी कार्यवाही की है। यह अंग्रेजों के जमाने का काला कानून है। सरकार की सही बातों का हमने भी समर्थन किया है, अगर वह सही होती है। इण्डियन सोल्जर्स एक्ट का हमने भी समर्थन किया है। पर यह काला कानून है। लागू हो जावेगा तो पुलिस में भयंकर असन्तोष हो जावेगा।

छोटे-छोटे कर्मचारी कहेंगे कि आर० पी० एस० वाले अपनी यूनियन बना सकते हैं, क्लब बना सकते हैं, पर कॉन्सटेबल नहीं बना सकते, वे अपने अधिकारों के लिये नहीं लड़ सकते। आज यह तीव्र भावना व्याप्त है पुलिस में कि ये आई० पी० एस० के लोग हमारे पर राज कर रहे हैं। ये यूनियन बना सकते हैं, अपने अधिकारों के लिये लड़ सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिये जरूरी है कि इनको राहत दी जावे, यूनियन का अपने अधिकारों के लिये संघर्ष करने का उनको अधिकार दिया जावे।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि जो यह काला कानून आप पास कर रहे हैं उस पर जनता की राय जान लें। कोई जल्दी नहीं है, दो महीने बाद पास करा लें। क्या बिगड़ जावेगा इस बीच में ?

अब हरिरामजी बोलने वाले हैं तो इन्हीं शब्दों के साथ में अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ और अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस बीच में निवेदन कर दूं माननीय सदस्यों को कि यदि वे उचित समझें तो यह मान लिया जावे कि जिन्होंने बिल को सर्क्यूलेट के लिये संशोधन रखे हैं उनको सबको मूव समझ लिया जावे।

श्री हरिराम चौहान।

श्री मथुरादास माथुर (गृह-मन्त्री) : मेरा यह निवेदन है कि इस पर डिबेट शुरू हो गई है, जब कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन की पार्टियों के लीडरों ने बात कर के यह तय किया था कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जावे और इस पर सदन में डिबेट न हो। मैंने इसे एग्री कर लिया। इस पर भी अब अगर डिबेट करना शुरू हो गया है तो मुझे भी इसका जवाब देना होगा और फिर इसे सिलेक्ट कमेटी में और पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजने के बारे में गवर्नमेन्ट की तरफ से मेरा कोई कमिटमेन्ट नहीं रह जावेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : यह अनुचित तरीका है, धमकी है यह तो।

श्री मथुरादास माथुर : धमकाने का कोई सवाल नहीं है। रामानन्द जी, भैरोंसिंह जी, मास्टर साहब, आप सब थे उसमें।

श्री रामकिशन (वैर) : मैं नहीं था।

श्री मथुरादास माथुर : तो आप अपने

(श्री मथुरादास माथुर)

कमिटमेन्ट से हटते हैं, तो मैं भी अपना कमिटमेन्ट वापिस लेता हूँ ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी में यह तय कर लिया है तब तो हमें कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह तय कर लिया गया था कि इसे सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जावेगा; पर मैं समय पर आ नहीं सका और अपनी पार्टी के सदस्यों को सूचना नहीं दे सका और इस कारण इस पर बहस हो गई है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): यह तो प्रश्न है सिलेक्ट कमेटी का ।

(एक और माननीय सदस्य के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : One at a time.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं अर्ज कर रहा था कि इस सम्बन्ध में दो प्रकार के अमेन्डमेन्ट दिये गये हैं । एक सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये और दूसरा पब्लिक ओपीनियन के लिये सर्कूलेट करने का । जो अभी बोले हैं वे इस विचार के हैं कि इसे पब्लिक ओपीनियन के लिये सर्क्यूलेट किया जावे । तो कम से कम जो इस विचार के हैं कि पब्लिक ओपीनियन को भेजा जाय तो वे तो अपने विचार निष्पक्ष रूप से प्रकट करेंगे । जो सिलेक्ट कमेटी में भेजने की बात करते हैं वे सहमत हो सकते हैं इससे ।

श्री मथुरादास माथुर : पर मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कॉम्यूनिस्ट पार्टी के रामानन्दजी भी इस निर्णय में सम्मिलित थे ।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : यह ठीक है । उन्होंने सूचित कर दिया था इसी वजह से हम बाहर भी चले गये थे और यह मान कर बैठे थे कि इस पर बहस नहीं होगी और यह सिलेक्ट कमेटी में चला जावेगा । मगर अब चूंकि बहस शुरू हो गई है तो फिर हो जावे, हर्ज नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुझे इत्तला नहीं थी इसलिये मैं बोल गया ।

श्री उपाध्यक्ष : If all the Members agree that they don't press it, then....

एक माननीय सदस्य : Let it be sent to the Select Committee.

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) इसे सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जावे, हमें एतराज नहीं है । जब ऐसा निश्चित हो चुका है तो मैं इसको पब्लिक सर्क्यूलेशन के लिये भेजने की अपनी बात को वापिस लेता हूँ ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): I beg leave of the House to withdraw my motion

श्री उपाध्यक्ष : Is it the pleasure of the House to allow him to withdraw his motion.

(स्वीकृत)

The leave is granted.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): I withdraw my motion.

श्री उपाध्यक्ष : I hope the othe Members will also.......

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): It may be sent to the Select Committee.

श्री उपाध्यक्ष: तो प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द किया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया।

प्रवर समिति के सदस्यों की सूचना बाद में दे दी जावेगी।

Next please.

श्री रामकिशन (वैर): जब नई बात हो गई तो हम नेकस्ट के लिये तो तैयार ही नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष: The House is adjourned till 2. 30. P. M. tomorrow.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.प. ६.४८ बजे कल दिनांक ३० अगस्त, १९६३ के म. प. २. ३० बजे तक के लिये स्थगित हुई)।

संक्षिप्त-विवरण

(गुरुवार, २६ अगस्त, ६३)

स्तम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक १

माफीदारों व जागीरदारों की जमा-शुदा रकम का भुगतान—तहसील सहाड़ा।

अजमेर की सहकारी समिति द्वारा भवन निर्माण ऋण के लिये आवेदन-पत्र।

राजनैतिक पीड़ितों को मुआवजा।

ऑफिसरों का जन्म दिन मानने का आधार।

सस्ती कार तथा स्कूटर बनाने का कारखाना खोलने की योजना।

अजमेर जिले के शिक्षकों को मंहगाई भत्ते का भुगतान

जिला बून्दी के ग्रामों में भूमिहीन किसानों को भूमि का अलॉटमेंट।

कृषि सहकारी समितियों का गठन, तहसील सांचोर।

राजस्थान विश्वविद्यालय में राजस्थानी भाषा में अनुसंधान व पठन-पाठन की व्यवस्था।

अलवर में कृषि भूमि को आबादी भूमि में तब्दील करने की दर।

सैलाइन एरियाज़ का सर्वे।

स्तम्भ

जंगल लगाने हेतु प्रोत्साहन।

तहसील कुशलगढ़ क्षेत्र में माध्यमिक पाठशाला।

शुगर फैक्ट्री लगाने हेतु भूमि का एलाटमेंट—ग्राम कोठियां, जिला भीलवाड़ा।

गंगकैनाल कोलोनी क्षेत्र में स्थाई भूमि का बंटवारा।

मान्डलगढ़ ग्राम विकास पंचायत को निर्माण कार्य के लिए दी गई धनराशि।

अध्यापकों के फिक्सेशन के मामले।

भू-प्रबन्ध विभाग के भू-मापक की नई वेतन श्रृंखला।

जिला पाली के कृषकों को खातेदारी के पर्चे।

पंचायत समितियों के अस्थाई कर्मचारी।

बीकानेर शहर की सहकारी समितियों द्वारा निर्माण कार्यों ठेके के।

उप-जिलाधिकारी परबतसर की कोर्ट में लम्बरदारी के मुकदमे।

पंचायत समिति पीपलखूंट में सड़कें बनाने पर खर्चा।

मुआफीदारान की जमीनों से बेदखली, जिला गंगानगर।

सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अनियमितताएं।

बेरोजगारों को रोजगार।

रायसिंहपुरा मण्डी।

पंचायत समिति मावली द्वारा प्रोजेक्टर व जेनरेटर की खरीद।

अध्यापकों की जिलेवार वरिष्ठता सूची।

अजमेर की फर्म मिश्रा एण्ड सन्स को रोक साल्ट और स्क्रैप आइरन का कोटा।

मीठे पानी की व्यवस्था।

छात्रवृत्ति।

मार्केटिंग सहकारी समिति, निवाई।

जागीरों के गांवों में नम्बरदारों की नियुक्ति।

भूतपूर्व सरपंच घाटवा द्वारा धन का दुरुपयोग व गबन।

रिवाइज्ड-पे-स्केल में फिक्सेशन।

स्थगित प्रश्न

[२२-८-६३]

टोकन के लिए आवश्यक प्रमाण-पत्र।

तालाब व एनीकट के लिए रकम।

कुम्हेर पंचायत समिति में अनियमितताएं।

२. विधायी कार्य

(क) वापस लिया गया विधेयक:—

श्री निरंजननाथ आचार्य, उप-शिक्षा मन्त्री, ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६२

[The Rajasthan Secondary Education [Second Amendment] Bill, 1962].

को सदन की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् वापस ले लिया।

(ख) विचारार्थ लिये गये विधेयक:-

(१) राजस्थान सार्वजनीक प्रन्यास (संशोधन) विधेयक, १९६३ ८७

[The Rajasthan Public Trusts (Amendment) Bill, 1963].

श्री राम प्रसाद लड्ढा, उप-मन्त्री, राजस्व विभाग के इस प्रस्ताव पर कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, सर्व श्री मुरलीधर व्यास एवं रामकिशन, सदस्य विधान सभा, ने क्रमशः विधेयक को जनमत जानने हेतु

प्रसारित करने तथा विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द करने के संशोधन-प्रस्ताव प्रस्तुत किये।

उप-मन्त्री के उत्तर के पश्चात्, विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

(२) इन्डियन सोल्जर्स (लिटिगेशन) (जागीर सम्बन्धी कार्यवाहियों पर विस्तार) विधेयक, १९६३ १०४

[The Indian Soldiers (Litigation) (Extension to Jagir Proceedings) Bill, 1963].

श्री रामप्रसाद लड्ढा, प्रभारी मन्त्री द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव पर कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाये, श्री रामकिशन, सदस्य विधान सभा ने विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द करने का संशोधन-प्रस्ताव प्रस्तुत किया। वाद-विवाद के पश्चात् विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

(३) राजस्थान पुलिस (अनिष्ठा हेतु अभिप्रेरण) विधेयक, १९६३ १५४

[The Rajasthan Police (Incitement to Disaffection) Bill, 1963].

उपरोक्त विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया।

सदन की बैठक ६ बज कर ५० मिनट पर शुक्रवार, दिनांक ३० अगस्त, १९६३ को २.३० बजे दिन तक के लिए स्थगित की गई।

शुक्रवार, दिनांक ३० अगस्त, १९६३ की कार्य-सूची

१. कार्य सलाहकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन।

२. गैर-सरकारी संकल्प

(अ) राज्य की सभी अदालतों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अविलम्ब बन्द कर अदालती कार्य हिन्दी में।

(आ) राज्य के सरकारी कार्यालयों का समय प्रातः १० से सायं ५ बजे तक ही रखना।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २६५ का उत्तर देखिए)

ग्राम पंचायत मांडलगढ़ को निर्माण कार्य के लिए दिये गये अनुदान की सूची

क्र० सं०	वर्ष	नाम	रकम	दिनांक
१.	१६५८-५६	मांडलगढ़ में हरिजनों के रास्ते पर खुर्रा के लिए	१०००)	२८-३-५६
२.	,,	मांडलगढ़ नयी कोलोनी में कुई	६००)	,,
३.	,,	मेला की बावड़ी मांडलगढ़	५००)	,,
४.	,,	मांडलगढ़ में नालिया बनाने हेतु	१०००)	,,
५.	१६५६-६०	ग्राम पंचायत भवन के लिए	५००)	१२-५-६०
६.	१६६०-६१	नयी आबादी की कुई	२००)	१३-५-६१

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २१८ का उत्तर देखिए)

क्रमांक १५-१०-५५ से ३१-१२-६१ तक नामान्तरण देय शुल्क का विवरण

१.	धारा १५ के अन्तर्गत जो शुल्क देय हैं :	१४५०४४ रुपये
२.	धारा १९ के अन्तर्गत जो शुल्क देय हैं :	६५६२३ रुपये
३.	खुदकाश्त को खातेदार बनाने पर जो शुल्क देय हैं	७३२८६९ रुपये
	कुल रकम	९४३५३६ रुपये
	सरकारी हिस्सा	३७७४१४ रुपये
	पटवारी का हिस्सा	३७७४१४ रुपये
	रेवेन्यू इन्स्पेक्टर का हिस्सा	१८८७०८ रुपये

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३०१ का उत्तर देखिए)

सूची परिशिष्ट (क)

क्र० सं०	निर्माण कार्य का ठेका लेते वाली समितियों के नाम	तारीख रजिस्ट्रेशन	किस समिति का किस किस तारीख को ऑडिट हुआ ऑडिट वास्ते वर्ष						ऑडिट समय पर न होने का कारण
			५६-५६	५७-५८	५८-५६	५६-६०	६०-६१	६१-६२	
	१	२	३	४	५	६	७	८	६
१.	रिटायर्ड रेल्वे मेन्स श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि०	१३-२-६३	—	—	—	—	—	—	इन समितियों का ऑडिट ड्यू नहीं हुआ है ।
२.	हिन्द श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि०	२२-५-६३	—	—	—	—	—	—	
३.	रानीसर नास श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि०	२३-३-६३	—	—	—	—	—	—	

परिशिष्ट

१	२	३	४	५	६	७	८	९
४. बीकानेर श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि०	५-१-५६	—	—	२४-५-६० से २५-५-६०	१५-१-६१ से २०-१-६१	२५-५-६२ से ३१-५-६२	—	
५. राजस्थान वुड वर्क्स एण्ड कन्सट्रक्शन सहकारी लि०	५-१-५६	२५-६-५८ से २१-५-५६	१६-५-५६ से २५-६-६०	१६-६-६०	३०-६-६२	३०-६-६२	—	
६. जिला खनिज एवं उत्पादक सहकारी समिति लि०	५-६-५४	१७-३-५८ से २१-३-५८	२५-१-५६ से ३०-१-५६	२६-११-५६ से २-१२-५६	१६-७-६० से १८-७-६०	२२-६-६२ से २३-६-६२	१६-११-६२ से १८-११-६२	
७. बीकानेर आदर्श श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि०	१७-४-६१	—	—	—	—	२२ से २३ -५-६२	—	इन समितियों का रिकार्ड मुकम्मिल नहीं होने से समय पर ऑडिट न हो सका ।
८. नव निर्माण ठेका सहकारी समिति लि०	१७-८-६१	—	—	—	—	—	४ से ८ -४-६३	
९. महावीर बिजली श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि०	२२-४-५८	—	२६-५-५६	—	—	—	—	

	१	[illegible]	३	४	५	६	७	८	९
१०.	भारतीय श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि०	१४-७-५६	—	—	—	—	—	—	इन समितियों का रेकार्ड मुकम्मिल नहीं होने से ऑडिट समय पर न हो सका ।
११.	पश्चिमी राजस्थान श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि०	१७-१०-५६	—	—	—	१५ से १७ ६-६१	—	—	
१२.	प्रगतिशील श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि०	२६-५-६०	—	—	—	२८ से ३१-११-६०	—	—	
१३.	विश्वकर्मा श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि०	१३-३-६२	—	—	—	—	—	—	

परिशिष्ट ४

(समयाभाव के कारण प्रश्न समय में न लिए जा सकने वाले तारांकित प्रश्नों के उत्तर)

बेरोजगारों को रोजगार

२०६. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(१) तृतीय पंचवर्षीय योजनानुसार पांच वर्षों में सरकार कितने बेरोजगारों को काम दे सकेगी ? जो रोजगार मिलेगा वह किस किस क्षेत्र में किस प्रकार मिलेगा ? आंकड़ों सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(२) क्या सरकारी रिट्रेंचमेन्ट व खर्चे में कमी से बेकारों की संख्या बढ़ी है ?

उत्तर

१. राज्य की तृतीय पंच वर्षीय योजना २३६ करोड़ रुपयों की बनाई गयी थी। परन्तु देश की संकटकालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुये यह निश्चय किया गया कि प्राथमिकता मुख्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों को ही दी जावे, जिनके लिये लगभग २०६ करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया। अब ऐसा अनुमान है कि २ लाख १० हजार अतिरिक्त व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं से प्रत्यक्ष रोजगार मिल सकेगा। साथ ही सरकार के प्रयत्नों से निजी क्षेत्रों में लगभग एक लाख से अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा लगभग एक लाख ८६ हजार व्यक्तियों को कृषि तथा संबंधित व्यवसायों में तथा १ लाख ७६ हजार अतिरिक्त व्यक्तियों को अन्य व्यवसायों में अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने का अनुमान है। इस प्रकार तृतीय योजना काल में ६ लाख ७५ हजार कार्य करने योग्य व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा।

२. योजना के अनुसार संभावित नियुक्ति की संख्या पर छटनी या व्यय में कमी का प्रभाव पड़ा है। क्योकि इसके कारण जितनों की कमी की गई है उतने कम नये व्यक्तियों को नियुक्ति मिल सकेगी।

रायसिंहपुरा मण्डी

३०७. **श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** (रायसिंहनगर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि रायसिंहपुरा मण्डी तहसील अनूपगढ़ भूतपूर्व बीकानेर रियासत के जमाने से एक स्वीकृत मण्डी है तथा इस मण्डी के एरिया के लिये चार मुरब्बा भूमि रिजर्व थी ?

(२) क्या यह सही है कि इसी कारण इस मण्डी के चारों ओर स्थित भूमि को मण्डी रेट से बेचा गया था ? तथा आज भी इस भूमि का मूल्य मण्डी रेट के अनुसार ही है ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त मण्डी के लिये रिज़र्व भूमि में से एक मुरब्बा भूमि परमानेन्ट अलाट कर दी गई है ?

(४) क्या यह सही है कि उपरोक्त मण्डी में बाकायदा सरकार द्वारा इण्डस्ट्रियल प्लाट्स, रेज़ीडेंशियल प्लॉट्स तथा दुकानों के प्लॉट्स आज तक नहीं काटे और बेचे गये हैं जिससे सरकार को लाखों रुपयों का घाटा हुआ है ? क्या सरकार को विदित है कि इस क्षेत्र के किसानों को अपना माल दूर विजयनगर मण्डी में ले जाकर बेचना पड़ता है ?

उत्तर

१. रायसिंहपुरा चक नं० ५६ जी. बी. में एक कच्ची मंडी है जो स्क्वायर नम्बर ४३ की ६६ बीघा भूमि पर बसी हुई है, यह मण्डी भूतपूर्व बीकानेर रियासत के समय से ही है। यह सही नहीं है कि ४ स्क्वायर भूमि इसके लिये रिजर्वड् थी।

२. सम्वत् २००३ के बंदोबस्त के समय उपर्युक्त चक में मुरब्बे नं० ५० व ५१ आबादी के लिये रिजर्व किये गये। इस प्रकार इस समय इस कच्ची मंडी के लिये ५६ बीघा भूमि रिजर्वड है। रिजर्वड प्लाटों के चारों ओर के मुरब्बे मण्डी रेट से ही बेचे गये तथा अब भी वही रेट है।

३. जी नहीं, उपर्युक्त रिज़र्व भूमि में से कोई मुरब्बा किसी भी किसान को अलाट नहीं किया गया।

४. कच्ची मण्डी को पक्की मण्डी बनाने का प्रश्न अभी विचाराधीन है। अतः सरकार को घाटा होने का कोई प्रश्न नहीं है। पक्की मण्डी के प्लान निश्चित होने पर ही इन्डस्ट्रियल, रेजीडेन्शियल आदि प्लाट्स बेचे जा सकते हैं। चूंकि यह अभी कच्ची मंडी है, अनाज विजयनगर मंडी को भी भेजा जाता है।

पंचायत समिति मावली द्वारा प्रोजेक्टर व जेनरेटर की खरीद

३०८. **श्री सम्पत्तिलाल बोहरा** (मावली) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) मावली पंचायत समिति ने कब कब कितने प्रोजेक्टर व जेनरेटर खरीदे ?

(२) वे नये हैं या पुराने ?

(३) क्या उनके लिये टेन्डर मंगवाये गये थे ?

(४) यदि हां, तो लोएस्ट टेन्डर किसका व किस मेक के लिये था और जो मशीनरी खरीदी गई वह किस मेक की है ?

(५) क्या खरीदी हुई मशीन ठीक काम कर रही है ?

(६) यदि नहीं, तो क्यों ?

(७) यदि हां, तो फिर वो गुड़ली में फैल कैसे हो गये ? उसके ठीक करवाने के लिए कितनी बार जयपुर ले जाना पड़ा और उसमें कितना खर्चा आया ?

(८) क्या सरकार इस खरीद के बारे में कोई जांच करवायेगी ?

उत्तर

(१) दिनांक २७–८–६२ को एक प्रोजेक्टर खरीदा गया। जेनरेटर नहीं खरीदा।

(२) नया है।

(३) जी हां।

(४) लोएस्ट टेण्डर मेसर्स सिंधी फिल्म एक्सचेन्ज जयपुर का था। उनका टेण्डर डेवरी प्रोजेक्टर हैवी ड्यूटी यू, एस, ए, मेक १६ एम. एम. साउन्ड का था। जो प्रोजेक्टर खरीदा गया वह इसी मेक का है।

(५) जी हां।

(६) प्रश्न ही नहीं उठता।

(७) ग्राम गुड़ली के मेले में मशीन के ठीक काम न करने का कारण स्पीकर के तारों के कनेक्शन का हट जाना था जबकि मौके पर रात में ऑपरेटर ने फोटो सैल व एक्साइटर आदि की गल्ती समझ कर मशीन चलाने का असफल प्रयास किया। ११–६–६२ को केवल एक बार मशीन यहां भेजी गई जिसके ठीक कराने पर कोई खर्चा नहीं हुआ।

(८) कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

अध्यापकों की जिलेवार वरिष्ठता सूची

३०६. श्री रामकिशन (वैर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या राज्य में जिलेवार अध्यापकों की कोई वरिष्ठता सूची तैयार की गई है ?

(२) क्या उक्त सूची को प्रसारित करने पर सरकार को कुछ आपत्तियां प्राप्त हुई हैं ?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार ने वरिष्ठता सूची में सुधार कर लिया है ?

उत्तर

(१) ट्रेण्ड इन्टर ग्रेड तक की वरिष्ठता सूची तैयार की गई थी। अब १–६–६२ से नई पे स्केल्स के लागू होने से सरकारी अध्यापकों व पंचायत समिति के अध्यापकों की मिली जुली वरिष्ठता सूची जिलेवार तैयार की जा रही है।

(२) वरिष्ठता सूची तैयार की जा रही है। सम्पूर्ण होने पर आपत्तियों का प्रश्न उत्पन्न होगा।

(३) तैयार करने के बाद अध्यापकों को सूचनार्थ प्रकाशित की जावेगी। यदि अध्यापकों ने अपनी वरिष्ठता के लिए कोई एतराज उठाया तो उस पर फिर विचार किया जायगा और बाद में अन्तिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित की जायेगी।

अजमेर की फर्म मिश्रा एण्ड सन्स को रॉक साल्ट और स्कैप आइरन का कोटा

३१०. श्री **रामानन्द अग्रवाल**, (अलवर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या अजमेर में मिश्रा एण्ड सन्स नाम की फर्म को रॉक साल्ट और स्कैप आयरन के कोटों के लिये नियुक्त किया गया है ?

(२) अगर हां, तो सरकार ने इसी फर्म को इस काम के लिए क्यों चुना ?

(३) फर्म कितनी पुरानी है, इस फर्म को इन दोनों कामों का क्या अनुभव है ?

(४) इस फर्म के पार्टनर कौन हैं ?

उत्तर

(१) जी हां, केवल रोक साल्ट के लिये।

(२) जिलाधीश की सिफारिश पर।

(३) ६, ७ साल पुरानी।

(४) इस फर्म के मालिक पं० जे० सी० मिश्रा है। पार्टनर कोई नहीं है।

मीठे पानी की व्यवस्था

३११. श्री **शिवनारायण छाछीया** (सूरजगढ़) ; क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में पीने का जहां खारा पानी है वहां मीठे पानी की व्यवस्था के लिये सरकार की क्या योजना है ?

(२) तृतीय पंचवर्षीय योजना में मीठे पानी की व्यवस्था के लिये कितने नल कूप लगाये जायेंगे और उन पर कितना व्यय होगा ?

(३) इस योजना के अन्तर्गत पानी की समस्या का किस हद तक समाधान हो जावेगा ?

उत्तर

(१) राजस्थान में जहां खारा पानी है उन स्थानों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था हेतु अलग से कोई योजना नहीं है अपितु जहां पानी खारा है या कम है अथवा पीने के पानी की कमी है उसके लिए पंचायत समितियों द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, समाज कल्याण कार्य, लोकल डवलपमेंट आदि योजनाओं के अन्तर्गत तथा पाइप्ड वाटर सप्लाई स्कीम के द्वारा व्यवस्था करने की योजना है।

(२) तृतीय पंचवर्षीय योजना में पीने के मीठे पानी की व्यवस्था के लिए नल कूप की कोई योजना नहीं है अपितु पाइप्ड वाटर सप्लाई की योजना अवश्य है।

(३) इस पाइप्ड वाटर सप्लाई स्कीम से आंशिक पूर्ति ही हो सकेगी।

छात्रवृत्ति

३१२. श्री श्रवणलाल, (हिन्डौन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) मेरिट-कम-नीड स्कॉलरशिप के क्या नियम हैं ? कृपया उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) सन् १९६१-६२ में कहां-कहां कितने-कितने छात्रों को कितनी-कितनी छात्रवृत्ति दी गई और इसका पेमेन्ट कब-कब किया गया ?

(ग) जिन छात्रों को यह छात्रवृत्ति मिली है, क्या वह नियमानुसार है ? यदि नहीं, तो कितने और किन-किन मामलों में ?

उत्तर

(क) मैरिट-कम-नीड स्कोलरशिप के नियमों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) सन् १९६१-६२ में उपरोक्त नियमों के अनुसार जो छात्रवृत्ति स्वीकृत हुई है उनकी सूची संलग्न है। पर एक छात्र को पेमेन्ट की तारीख उपलब्ध नहीं है।

(ग) जिन छात्रों को यह छात्रवृत्ति मिली है वह नियमानुसार दी गई है। प्रश्न ही नहीं उठता।

सूची

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

(Education Department)

No. F. 17A(2) Edu. II/54 Dated, tho 11th August, 1954.

Sub : SCHEME & RULES REGARDING THE AWARD OF FINANCIAL ASSISTANCE TO STUDENTS.

In supersession of this office order No. F. 15(30) Edu-11-51 dated the 3rd November, 1951 regarding the Scheme and Rules for the award of Financial Assistance to students published in the Rajasthan Rajpatra dated 9th November, 1951 at pages 6, the Government of Rajasthan are pleased to sanction the following revised scheme of scholarships and financial assistance to students and rules governing their award :—

1. MERIT-CUM-NEED SCHOLARSHIPS :

Merit-cum-need scholarships tenable for two academic years shall be awarded to the extent as shown below every year to such students of the following classes as show high promise of benefitting by the education for which scholarships are given but who lack the material means of getting such education. No condition of repayment shall attach to these scholarships :-

(a) 250 Scholarships of Rs. 100/- per academic year to students of High School classes in recognised schools and Inter Colleges of Rajasthan.

(b) 150 Scholarships of Rs. 150/- per academic year to students of Intermediate Classes in recognised schools and Inter Colleges of Rajasthan.

(c) 75 scholarships of Rs. 200/- per academic year to students of Degree classes in recognised colleges of Rajasthan.

(d) 25 Scholarships of Rs. 250/- per academic year to students of post-graduate classes, excluding students of law, in recognised colleges of Rajasthan.

(e) 10 Scholarships of a sum not exceeding Rs. 250/- per academic year to students belonging to Rajasthan and studying for some specialised courses in recognised institutions outside Rajasthan.

(f) 10 Scholarships of a sum not exceeding Rs. 250/- per academic year to students belonging to Rajasthan who are not eligible to get scholarship under the above categories but who deserve aid because of physical disability, extreme poverty or such other reasons as the Commitee deem proper.

Note :- The Scholarships under this section will not be admissible in respect of technical courses to which section II below applies.

II. Students from Rajasthan joining technical courses at any of the recognised professional colleges in India may, in suitable cases, be awarded study loans upto the amount as recommended by the Committee appointed for the purpose but shall not exceed the limits prescribed as below:-

Such assistance will be given annually for the duration of the course of study renewable every year after examination of each case on merits :-

		Maximum limit
(a)	Civil Engineering, Mechanical & Electrical Engineering, Aeroneutical Engineering.	Rs. 1,500/-
(b)	Medical Training.	Rs- 1,500/-
(c)	Ayurvedic Training	Rs. 800/-
(d)	Agriculture & Veterinary Training	Rs. 1,000/-
(e)	Research students; Teachers Training; Diploma Courses in Civil & Electrical & Mechanical Engineering; & other not covered by the above but considered necessary by the Government.	Rs. 1,500/-

III. FINANCIAL ASSISTANCE TO CHILDREN OF DECEASED GOVT. SERVANTS

(1) In addition to the merit-cum-need scholarship mentioned above 50 merit-cum-need scholarships shall be awarded to sons and daughters of Government servants who die while in Govt. service and whose children lack the material means of continuing their education.

(2) Such scholarships shall be awarded irrespective of the class in which the student is studying and shall be tenable, subject to the continu-

ed satisfactory progress, till the student passes the Intermediate Examination in Arts, Science or Commerce, as the case may be.

(3) No condition of repayment shall attach to these scholarships also.

(4) The amount of scholarship awarded to each student shall range from Rs.10/- to Rs. 30/- p.m. but the total amount of such scholarships in a family shall not exceed Rs. 60/- p.m.

IV Payment, withdrawal, suspension, renewal, restoration or transfer of scholarships and study loans shall be governed by the following rules :-

(a) Payment of Scholarships or loans would start as soon as the award is made. The candidate should apply to the sanctioning authority with the following documents :-

(i) A certificate of admission from the Head of the Institution in which the student wishes to prosecute his/her studies during the tenability of scholarship or loan.

(ii) A certificate in the prescribed form from the Head of the Institution where the student passed his qualifying examination or from a Magistrate of the place of residence of the student not below the rank of a lst class Magistrate with regard to his/her financial circumstances and means.

(iii) Academic record certified by the Head of the Institution where the student passed his qualifying examination.

(b) Any of these scholarhips or loans may be suspended or withdrawn by the sanctioning authority if the recipient is found by such authority to lack in regular attendance, satisfactory academic progress, general good conduct or due observation of school or college discipline.

Provided that the scholarships or loan so suspended may be restored by the sanctioning authority with or without retrospective effect on being satisfied that the suspension is no longer necessary.

(c) All Scholarships and loans shall ordinarily continue to be available throughout the period of the course for which they have been awarded, provided that the sanctioning authority shall, from time to time, satisfy itself that the recipient continues to show regular attendance,

satisfactory academic progress, general good conduct and due observance of school or college discipline. The sanctioning authority may, on being satisfied that a recipient has failed to fulfil any of the above conditions, suspend or withdraw the scholarship or loan permanently or for such time as it may deem necessary.

(d) A Scholarship or loan withdrawn under the above rule, may, at the discretion of the sanctioning authority, be awarded to the next eligible candidate for the unexpired period of its tenability.

(e) A Scholarship or loan-holder is entitled to have his/her scholarship/loan transferred to any other recognised institution at any time during its currency provided that his/her migration has the previous approval of the sanctioning authority.

(f) No student shall hold more than one scholarship from Government funds at the same time.

(g) Scholarships and study loans shall be granted only for the period of study which a student is now carrying on and not for the period which has already expired.

(h) A student who is granted a loan shall, before the payment of loan starts, be required by the authority granting a loan to sign a declaration that he would start refunding the amount of loan as soon as he starts earning Rs. 150/- p. m. or more in the following minimum instalments :-

Amount of income.	Monthly instalment
Below Rs. 149/- p. m.	Nil
Rs. 150/- p. m. to Rs. 199/- p. m.	Rs. 15/-
Rs. 200/- p. m. to Rs. 299/- p. m.	Rs. 25/-
Rs. 300/- p. m. to Rs. 499/- p. m.	Rs. 30/-
Rs. 500/- p. m. and over	Rs. 50/-

(i) Scholarships and loans sanctioned according to the scheme shall be tenable with effect from the begining of the academic session i. e. July.

(i) rules of scholarships and loans in force in various parts of Rajasthan shall be deemed to have been superceded and replaced by these

except that scholarships and study loans granted before the introduction of these rules shall continue to be Governed by the respective rules under which they were awarded.

V ADMINISTRATION OF SCHOLARSHIPS AND LOANS

(a) Except as otherwise provided in the body of these Rules, Scholarships and loans shall be administered by a Committee consisting of–

(1)	Minister for Education	Chairman
(2)	The Education Secretary	Member Secretary
(3)	The Director of Education	Member
(4)	One Principal of Degree or Post-Graduate college (to be nominated by the Education Minister.)	"
(5)	Principal, S. M. S. Medical College, Jaipur	"
(6)	Principal, M. B. M. Engineering College, Jodhpur.	"
(7)	A representative of the Finance Deptt.	"
(8)	Principal Agriculture College, Jobner.	"

The committee will have power to frame such subsidiary rules for the administration of this scheme as do not in any way prejudice or change the provisions of this scheme.

(b) Funds necessary for the administration of these scholarships and loans shall be intimated to the Committee from year to year by the Government.

(c) The Committee would recommend the grant of loans and scholarships in accordance with the scheme.

(d) All recoveries of loans granted shalll be made by the Education Department.

(e) In the case of candidates from the depressed and backward classes and women applicants the Committee may apply, if necessary, comparatively lower standards in selecting candidates for scholarships or loans.

(f) The Committee shall confirm to the directions issued by Government from time to time in regard to the minimum number of scholarships or loans to be granted for particular courses of study.

(g) The Government may at their diserction direct that a specified sum out of the funds placed at the disposal of the Committee be disbursed in granting loans to sons and daughters of Government servants, who die while in service.

(h) All Scholarships under rule I shall be sanctioned by the Committee but all cases of loans and scholarships under rule II and III shall be sanctioned by the Government.

(i) Financial assistance for Technical Education or Research in foreign countries in the form of loans is not provided under these rules.

By Order of His Highness the
Rajpramukh,
Sd.-
Secretary to Government of Rajasthan
Education Department, Jaipur.

STATEMENT SHOWING THE NUMBER AND DATE OF MERIT CUM NEED SCHOLARSHIP DURING THE YEAR 1961-62.

1. High and H. S. Schools.	613	IX & X @	Rs. 10/- p. m.
		XI	15/- p. m.
2. College Education.	464	P. U. C. I. Yr. TDC	15/- "
		II & III Yr. TDC & B.A., B.Sc. & B. Com.	20/- "
3. (a) Specialised Course	10)		
(b) Physical disability	(20) 122	usually rates are as	
(c) Extreme Poverty	(162)	mentioned in 1 & 3 above.	
4. Engineering. Degree	70	B E. @	Rs.'0/- p. m.
Diploma	59	Diploma	30/- "
5. Medical	52		50/- "
6. Ayurved.	49	Bhisgacharya	50/- "
		Bhisagwar	30/- "
7. Agriculture	53		50/-
8. Research	8	4 @ Rs. 200/- p. m.	
		4 @ Rs. 100/- p. m.	
9. Sanskrit	31	Acharya	20/- "
		Shastri	15/- "
		Upadhayaya	10/- "
		Pravishika	5/- "

मार्केटिंग सहकारी समिति, निवाई

३१३. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) निवाई कस्बे में मार्केटिंग सहकारी समिति की स्थापना कौन सी तारीख को की गई थी व उसमें अब तक कितने सदस्य हैं ?

(२) उक्त समिति को अब तक कितना कर्जा कहां-कहां से मिला व कितनी सहायता किस-किस कार्य के लिये मिली ?

(३) समिति ने कितना रुपया वापिस जमा करा दिया है व कितना रुपया समिति पर बकाया है ?

(४) समिति ने अब तक कितना हजार का काम किया व अब तक कितना मुनाफा कमाया है ?

(५) समिति की कार्यकारिणी के सदस्य कौन-कौन हैं ? पदवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(६) समिति में कितने वैतनिक कर्मचारी हैं और उनको क्या २ वेतन दिया जाता है ? कर्मचारियों की क्या क्या योग्यतायें हैं व उनमें कौन कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के सम्बन्धी हैं ?

(७) समिति की कार्यकारिणी का चुनाव कब हुआ था ?

उत्तर

१. दिनांक रजिस्ट्री ३१-१२-१६६० एवम् सदस्य संख्या ४१ है :—

"अ" श्रेणी — १६
"ब" श्रेणी — २२
"स" श्रेणी — ३
— ४१

(२) ऋण रूप में रु० १८७५०,०० राज्य सरकार से मिले, एवं सहायता रूप में रु० ६२५०.०० गोदाम निर्माण हेतु, रु० ८००.०० गोदाम किराये हेतु एवं रु० ३४००.०० मैनेजिरियल व्यय हेतु मिली।

(३) गोदाम ऋण की खन्दी अभी ड्यू न होने से अदा नहीं की गई है, रु० १८७५०.०० कुल ही बकाया है।

(४) समिति ने रु० ७६६५७.०० के माल का क्रय एवं रु० ११५७६६.०० के

माल का विक्रय किया है। कारोबार में वर्ष ६२-६३ में रु० ६००.०० का लाभ रहा है लेकिन पूर्व हानि होने से वास्तविक रूप में रु० ६३६.०० हानि बाकी रहती है।

५. क्रमांक सदस्य का नाम पद

क्रमांक	सदस्य का नाम	पद
१.	श्री लालचन्द	अध्यक्ष
२.	श्री हनुमानदास	सदस्य
३.	श्री भैरूंलाल	"
४.	श्री भंवरलाल	"
५.	श्री जगन्नाथ	"
६.	श्री छीतरमल	"
७.	श्री भैरूंराम	"
८.	श्री कपूरचन्द	"
९.	श्री देवकीनन्दन	"
१०.	श्री रामकृष्ण	"
११.	श्री सीताराम	"
१२.	श्री विजयलाल	"
१३.	श्री रामकिशोर	"

६. समिति में ३ कर्मचारी हैं जिनका वेतन, योग्यता एवं कार्यकारिणी के सदस्यों का सम्बन्ध निम्न प्रकार से है :—

क्रमांक १	नाम कर्मचारी २	पद ३	वेतन ४	योग्यता ५	सम्बन्ध ६
१.	श्री भगवानदास	व्यवस्थापक	१९०) रु०	मैट्रिक विशारद १½ वर्ष का व्यापारिक एवं क्रय-विक्रय समिति का अनुभव	श्रीहनुमान दास, संचालक का छोटा भाई

१	२	३	४	५	६
२.	श्री नेमीचन्द जैन	कैशियर	१२०) रु०	मैट्रिक २ वर्ष का व्यापारिक अनुभव	श्री लालचन्द, अध्यक्ष के मामा का लड़का
३.	श्री लादूलाल	सैल्समेन	६०) रु०	मैट्रिक	–

७. निर्वाचन ८-७-६३ को हुआ है।

जागीरों के गांवों में नम्बरदारों की नियुक्ति

३१४. श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि जागीरों के गांवों में नये नम्बरदार नियुक्त किये जा रहे हैं ? अगर हां, तो किस नीति के आधार पर ?

(२) तहसील लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में इस संबंध में कितने आवेदन-पत्र आये हैं ?

(३) अब तक तहसीलदार ने कितने केस सिफारिश करके एस. डी. ओ. के यहां भेजे हैं ? और कितने केस अब तहसीलदार के ऑफिस में विचाराधीन हैं ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) तहसील लक्ष्मणगढ में इस संबंध में १५६ आवेदन-पत्र आये हैं।

(३) तहसीलदार ने अब तक १६ केस सब डिविजनल-ऑफिसर राजगढ़ के कार्यालय में भेजे हैं जो वहां विचाराधीन है तथा तहसील में अब तक २१ केस पेन्डिंग हैं।

भूतपूर्व सरपंच घाटवा द्वारा धन का दुरुपयोग व गबन

३१५. श्री हनुमानसिंह चौधरी (नांवा) : क्या पंचायत एवं विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि भूतपूर्व सरपंच घाटवा, तहसील नावां ने अपने काल में १०,४२०-रु० का दुरुपयोग व गबन किया ?

(२) क्या यह भी सही है कि सन् १९६०-६१ की ऑडिट रिपोर्ट में इस गबन व दुरुपयोग का उल्लेख है ?

(३) इस संबंध में सरकार ने आज तक क्या कार्यवाही की व क्या करने जा रही है ?

उत्तर

(१) रु० २०३) के गबन व रु० ७३५०) के दुरुपयोग का आक्षेप किया गया है ।

(२) जी हां । उपरोक्त रकम के गबन व दुरुपयोग का उल्लेख है।

(३) ऑडिट रिपोर्ट पंचायत को भेजी जाकर उत्तर मांगा गया । ऑडिट रिपोर्ट पंचायत समिति में विचाराधीन है ।

रिवाइज्ड पेस्केल में फिक्सेशन

३१६. श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) सरकार के कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिनका अभी तक रिवाइज्ड–पे–स्केल में फिक्सेशन नहीं हुआ है ?

(२) उक्त कर्मचारियों के रिवाइज्ड–पे–स्केल में फिक्सेशन अब तक न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इस विषय में शीघ्रता करने के लिये कोई कदम उठा रही है ?

उत्तर

(१) गजेटेड ऑफिसर्स की तादाद ६६२८ के करीब है जिनमें से १३०६ का पे फिक्सेशन नहीं हुआ है । नॉन गजेटेड स्टाफ की तादाद करीब डेढ लाख है । इनमें से अब तक की जानकारी के मुताबिक ४२६६१ का फिक्सेशन किया जा चुका है । इस बारे में अलग अलग विभाग और कार्यालय से पूरी जानकारी हासिल करने में वक्त लगेगा । यह जानकारी हासिल होने पर सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

(२) गजेटेड और नॉन गजटेड स्टाफ की पे फिक्सेशन में देरी होने की कई वजूहात हैं । कुछ पोस्ट्स ऐसी हैं जिनके पे स्केल, रिवाइज्ड पे स्केल में शामिल नहीं किये गये थे और बाद में शामिल किये गये । इनका फिक्सेशन किया जा रहा है । इसके अलावा फिक्सेशन स्टेटमेन्ट तैयार होने पर पहले अकाउन्टस ऑफिसर उसकी जांच करता है और बाद में ए० जी० ऑफिस को ऑडिट के लिए भेजा जाता है । इस कार्रवाई में कुछ देर लग जाती है । मगर सरकार इस हालत से आगाह है और फिक्सेशन जल्दी पूरा करने के ऑर्डर्स निकालती रहती है । आखिरी ऑर्डर (Order) ६ जून ,१९६३ को जारी किया गया था ।

स्थगित प्रश्न

[२२-८-६३]

टोकन के लिए आवश्यक प्रमाण-पत्र

६२. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि आर. टी. ओ. से जिस समय मोटर मालिक नये साल के टोकन लेते हैं उस समय सेल्स टैक्स ऑफिसर का क्लियरेंस सर्टिफिकेट पेश करना पड़ता है कि उनके जिम्मे आर. जी. पी. टी. बाकी नहीं है ?

(२) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले के आर. टी. ओ. ने बगैर इस सर्टिफिकेट के भी मोटर मालिकों को टोकन दे दिये ?

(३) उदयपुर जिले में किस किस मोटर मालिकों में कितना आर. जी. पी. टी. बाकी है तथा किस साल से एवं कितनी कितनी रकम है ?

(४) सरकार ने इसकी वसूली के लिये क्या कदम उठाये ? क्या उनके टोकन रिन्यू हो गये हैं ?

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) जी नहीं

(३) लिस्ट संलग्न है ।

(४) वसूली L. R. Act व विभाग द्वारा की जा रही है । जी नहीं ।

सूची

LIST OF THE OUTSTANDING UNDER R. P. G. T ACT OF DISTT. UDAIPUR ON 29-7-63.

S. No.	Name of owner and Vehicle No.		Amount.	Year.	Refer under L. R. Act
1		2	3	4	5
1.	Shri Amritlal Kishanlal.	R. J. Y. 925.	117-00	60-61	L. R. Act
2.	,, Sital Singh.	R. J. Y. 605.	190-00	,,	,,
3.	,, Babulal Gupta.	R. J. Y. 1582.	81-00	,,	,,
4.	,, Chandra Bhansingh	R. J.Y. 739.	30-00	,,	,,
5.	,, Purshotam.	R. J. Y. 1178	155-00	,,	,,
6.	,, Gamersingh.	R. J. Y. 861	380-00	,,	,,
7.	,, Kachrulal	R. J. Y. 976 & 915.	491-00	,,	,,
8.	,, Noor Mohammed.	R. J. Y. 927	405-00	,,	,,
9.	,, Gordhan Singh	R. J. Y. 785.	185-00	,,	,,
10.	,, Taxi Motor Association, Nathdwara.		2247-88	,,	,,
11.	,, Modiram.	R. J. Y. 1173	311-00	,,	,,
12.	,, Naziruddin.	R. J. Y. 1526	311-00	,,	,,
13.	,, Bhagwatilal	R. J. Y. 191.	91-00	,,	,,
14.	,, Mukhi Gordhandas.		251.58	61-62	,,
15.	,, Bhagwan Singh.		645.75	,,	,,
16.	,, Gotulal.	R. J. Y. 935	41.06	,,	,,
17.	,, Omprakash.	R. J. Y. 1015.	27.00	,,	,,
18.	,, Zakir Hussain. Gulamabbas.		11242.52	62-63	,,
19.	,, Istiyakh Hussain.		2269.67	,,	,,
20.	,, Mukhi Gordhandas.		3246.32	,,	,,
21.	,, Deepchand s/o. Laxman Sewak	R. J. Y. 1217	337-00	,,	,,
22.	,, Mumtaz Khan.	R. J. Y. 1173	80-00	,,	,,
23.	,, Sahiblal.	R. J. Y. 264	82-00	,,	,,

1		2	3	4	8
24.	„ Jagdishchandra.	R. J. Y. 224	260-00	„	„
25.	„ M/S. Zakir Hussain Gulam Abbas.		50380.52	„	„
26.	„ Ganesh Bus Service.	R. J. L. 5331	506.55	„	„
27.	„ Chaudhary Bus service.		8264.38	„	„
28.	„ Fatehlal	R. J. Y. 410.	486-00	„	„
29.	„ Satnam Transport.		300.25	„	„
30.	„ M/S. Gulabchand Bhanwarlal.	R. J. Y. 892.	60-00	62-63	Notice issued.
31.	„ Girdharilal Jethi.		3932.12	„	„
32.	„ M/S. Zakir Hussain, Gulamabbas.	R. J. Y. 1169	1660.27	„	„
33.	„ Thawardas Kashiram	R. J. Y. 513	591.00	„	„
34.	„ Shrimati Kusum Kumari	R. J. L. 8508	2966.59	63-64	„
35.	„ M/S. Zakir Hussain Gulamabbas.		28356.58	63-64	„
36.	„ Shrimati Dhapubai w/o. Ramglal Khamesra., Kankroli.		4130.18	„	„
37.	„ Chaudhary Bus Service, Nathdwara.		50111.65	„	„
	Total.		1,76,223.67		

स्थगित प्रश्न

[२२-८-६३].

तालाब व एनीकट के लिए रकम

१०६. श्री विट्ठल (बांसवाड़ा) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला बांसवाड़ा के पंचायत समिति पीपलखूंट क्षेत्र में सन् १६६० से १६६३ तक तालाब व एनीकट बांधने का कितनी रकम का प्रावधान था ?

(२) अब तक कितने तालाब व एनीकट किन किन गांवों में बने और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) २५०००) रू० का प्रावधान था।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

सूची

पंचायत समिति पीपलखूंट में सन् १६६० से ६३ तक तालाब व एनीकट बांधने की सूची:—

क्र० सं०	ग्राम	कार्य	स्वीकृत राशि	रिमार्क
१.	लाम्बा-डाबरा	तालाब	५०००)	ग्राम पंचायत सोडलपुर को २८३२.७५ नये पैसे दिये गये थे। कार्य केवल ३७०) रु० का हुआ। पंचायत की शिथिलता से काम नहीं हुआ।
२.	चौकी	"	५,०००)	कार्य चालू है। लगभग ५,३००)रु० का कार्य हो चुका है। वर्षा के कारण सेल्युसगेट का कार्य नहीं कराया गया है।
३.	दानपुर	तालाब मरम्मत	७५०)	कार्य पूरा हो चुका है। पंचायत द्वारा हिसाब न देने के कारण आखिरी किश्त नहीं दी गई।
४.	दानपुर	नाले पर एनीकट में फाटक लगाना	७३०)	पंचायत द्वारा सहायकेग प्राप्त नहीं होने के कारण रकम पंचायत समिति कोष में वापिस जमा करा दी गई।

स्थगित प्रश्न

(२२-८-६३)

कुम्हेर पंचायत समिति में अनियमितताएं

१११. श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्या पंचायत एवं सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कुम्हेर पचायत समिति में नये चुनाव के बाद सात स्थायी समितियों का निर्माण हुआ था ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त चुनाव के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट जज के यहां इलेक्शन पिटिशन पेंडिंग होने पर भी प्रधान, पंचायत समिति कुम्हेर ने पंचायत समिति के एक प्रस्ताव द्वारा स्थायी समितियों को भंग कर दिया तथा सात की जगह पांच स्थायी समितियों का निर्माण किया ?

(३) क्या यह सही है कि प्रधान ने पुन: इन पांच स्थायी समितियों में से न्याय स्थायी समिति को भंग करने का प्रस्ताव पंचायत समिति से करा कर उसे भंग घोषित कर दिया ?

(४) क्या यह सही है कि न्याय स्थाई समिति को भंग करने के पंचायत समिति के प्रस्ताव को सरकार द्वारा अवैध करार दिया गया ? क्या पहली सात स्थायी समितियों को भंग करने के संबंध में सरकार द्वारा कोई कदम उठाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(५) क्या यह सही है कि पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम की धारा १८ में संशोधन हो जाने के बाद और रिक्त स्थान हुए पांच माह निकल जाने के बाद भी सहकारी समितियों के प्रतिनिधि के सहवरण का चुनाव प्रधान ने ही कराया और उसमें ६ मनोनयन पत्रों में से पांच को खारिज कर दिया ? क्या यह सही है कि इस विषय में पंचायत समिति, कुम्हेर के करीब १६ या १७ सदस्यों ने जिलाधीश को नियमानुसार चुनाव कराने का आवेदन-पत्र दिया था फिर भी जिलाधीश ने उस पर कार्यवाही नहीं की ?

(६) क्या यह सही है कि पंचायत समिति के १७ सदस्यों ने राज्य सरकार को पंचायत समिति, कुम्हेर के प्रधान की अनियमितताओं एवं अवैधानिकताओं की जांच करने का आवेदन-पत्र दिया है ? यदि हां, तो आवेदन-पत्र कब दिया गया था और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) जी हां। यह सही है कि स्थाई समितियों को भंग कर ७ की जगह ५ का निर्माण किया किन्तु चुनाव के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट जज के यहां इलेक्शन पिटीशन पैन्डिंग होने की सूचना पंचायत समिति को नहीं थी।

(३) जी हां।

(४) जी हां। न्याय स्थाई समिति को भंग करने के प्रस्ताव को अवैध करार दिया गया है। ७ स्थाई समितियों के बजाय ५ स्थाई समितियां बनाने का निर्णय सरकार के सामने नहीं लाया गया।

(५) जी नहीं। धारा १८ का संशोधन दिनांक ३०-५-६२ से प्रभाव में आया जिसके पहले ही सहकारी समितियों के प्रतिनिधि का सहवरण करा दिया गया था। यह सही नहीं है कि ५ मनोनयन-पत्र खारिज कर दिये गये। यह सही है कि पंचायत समिति, कुम्हेर के कुछ सदस्यों ने जिलाधीश को चुनाव कराने के लिए आवेदन-पत्र दिया लेकिन उस समय जिलाधीश ऐसे चुनाव कराने के लिए सक्षम नहीं थे।

(६) जी हां। आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर ३०-१०-६१ को जिलाधीश को जांच के लिए भेजा गया। इस पर प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट १६-२-६२ को राज्य सरकार को प्राप्त हुई। आरोपों को अस्वीकार करने पर नियमानुसार जांच की कार्यवाही की जा रही है।

शुद्धि-पत्र

(बृहस्पतिवार, दिनांक २६ अगस्त, १६६३)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
७	२२	श्री भैरौंसिह	श्री भैरोंसिह
८	६	नहीं	नहीं
१३	४	ही दें।	हों, बता दें।
१५	शीर्ष	(श्री कुमारानव्द)	(श्री कुमारानन्द)
,,	१८	एक्सचेंज	एक्सचेंज
१६	३	श्री निरंजनानाथ	श्री निरंजननाथ
२०	१७	लड्ढा	लड्ढा
२४	२४	डिपार्ठमेंट	डिपार्टमेंट
२५	८	अनुसंधान	अनुसंधान
२६	१	ग्रन्यमाला	ग्रन्थमाला
२७	१६	सव	सर्व
२८	५	किल	किस
३१	२१	श्री चन्दनमल वेद	श्री चन्दनमल वैद
३२	१ व १६	नहीं	नहीं
,,	५	श्री चन्दनमल वेद	श्री चन्दनमल वैद
३३	१	प्रोत्सहन	प्रोत्साहन
३६	२४	पुरी	पूरी
३७	शीर्षक	प्रश्नोत्तत	प्रश्नोत्तर
,,	अन्तिम पंक्ति	निर्णय क	निर्णय का
३८	६	आच र्य	आचार्य
३६	१२	अध्यत्त	अध्यक्ष
४०	८	क्ना	क्या
४३	१६	प्रात	प्राप्त
,,	२८	विचांर	विचार
४४	१	अनग्रोंक्यूपाइड	अनआॅक्यूपाइड
४५	२	बात	बाद
४६	२४	विचार ले	विचार है

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
४७	अन्तिम पंक्ति	संशोघन	संशोधन
४८	८	अभेन्डमेन्ट	अमेन्डमेन्ट
५१	१२	श्री निरंजनन थ	श्री निरंजननाथ
५६	अन्तिम से ३	श्री नत्थीसिह २६६	२६६. श्री नत्थीसिंह
५८	२६	श्री भवानीभंकर	श्री भवानीशंकर
६१	१० व ११ के बीच में	————	(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)
६३	५	राजस्वा	राजस्व
७३	६	अध्यक्षा	अध्यक्ष
७६	द	बना भोर	बना और
७६	शीर्षक	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा।	तारांकित प्रश्नोत्तर
८०	शीर्षक	(द्वितीय संशोधन) वियघेक, १६६२	माध्यमिक शिक्षा विधेयक, १६६२
८१	शीर्षक	माध्यमिस	माध्यमिक
८२	शीर्षक	विधेयक, १६६३	विधेयक, १६६२
,,	अन्तिम पंक्ति	उप–मंत्रीं	उप-मंत्री
८६	२७	मृझे	मुझे
८७	३	केबल	केवल
८७	अन्तिम से ७ व ३	पब्लिक ट्रस्टस	पब्लिक ट्रस्ट्स
८८	शीर्षक	प्रन्यास विघेयक	प्रन्यास विधेयक, १६६३
६१	२१	करण	कारण
६५	शीर्ष	म्यास	व्यास
१०६	शीर्षक	('लिटिशगेन)	(लिटिगेशन)
१११	शीर्षक	सोजर्ल्स	सोल्जर्स
११५	शीर्षक	(लिटिगेघन)	(लिटिगेशन)
११८	२५ व ३१	क्लेक्टर	कलेक्टर
११८	२८	प्रोसोडिग्ज	प्रोसीडिंग्ज्
१३४	१८	he	The
१३६	२०	विलाम्ब	विलम्ब
१३६	२५	ग्रोर	ग्रौर
१४२	२७	डिस्यूप्ट	डिस्प्यूट
१४३	अंतिम पंक्ति	(हवामहल,	(हवामहल, जयपुर)
१४७	शीर्षक	२६ ग्रगस्त	२६ अगस्त
१५२	२३ व २६	रेवेन्य	रेवेन्यू

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१५३	शीर्षक	राजस्थान पुलिस (अनिष्ठा हेतु	इंडियन सोल्जर्स विधेयक
१५३	अन्तिम से ५	उापध्यक्ष	उपाध्यक्ष
१५४	शीर्षक	अभिप्रेरण) विधेयक, १६६३	रा. पुलिस विधेयक, १६६३
१५७	शीर्षक	२६ अएस्त	२६ अगस्त
१६३ से १७६ तक	शीर्षक	अनुष्ठा	अनिष्ठा
१७८	शीर्षक	अभिप्रेरणा	अभिप्रेरण
१७८	१०	श्री सतीशचंन्द्र	श्री सतीशचन्द्र
१६५	४	रकेल्स के लागू होंने	स्केल्स के लागू होने
२०१	१८	Subsid!ary	Subsidiary
२०३	५	P. U. C, Yr.	P. U. C. Ist Yr.
२०६	४	गवों	गांवों
२०७	अन्तिम से ३	करिवाही	कार्यवाही